



विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018 certified & ISPS compliant



2020-21

प्रशासनिक रिपोर्ट
वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट

Certificate

This is to certify that

Visakhapatnam Port Trust
has been declared

WINNER

*for Outstanding Achievements
in Environment Protection.*

**Greentech
Foundation**
PARTNERS IN YOUR PRIDE & PRESTIGE



Rema

Mrs. REMA
General Secretary

11th February 2021
Mahabalipuram (India)



प्रशासनिक रिपोर्ट – 2020–21



विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018
certified & ISPS compliant

दूरदर्शिता

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
दक्षिण एशिया में
विश्व स्तर की सेवाएं देने वाला
एकमात्र पसंदीदा पोर्ट

हमारा ध्येय

क्षेत्र के
आयातकों, निर्यातकों
की संभारतंत्र संबंधी आवश्यकता
को पूरा करने के लिए
प्रमुख भगीदार बनना

विषय वस्तु

न्यासी मंडल

पोर्ट के प्रमुख अधिकारी

वर्ष पर एक नज़र

तुलन पत्र पर एक नज़र

न्यासी रिपोर्ट

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यिकी

वित्तीय निष्पादन

परिचालन निष्पादन

पूंजी व्यय

मानव संसाधन विकास

सुरक्षा उपाय

पर्यावरण प्रबंधन

अन्य घटनाएं

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल
(31.03.2021 को)

01	श्री के.राम मोहन राव, भा.प्र.से.,	अध्यक्ष
02	श्री पी.एल.हरनाथ, आई आर टी एस. (20-12-2020 तक) श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आई आर टी एस. (20-12-2020 से)	उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष
03	श्री भूषण कुमार (18-01-2021 तक) श्री अरविंद चौधरी (19-01-2021 से)	संयुक्त सचिव, शिपिंग मंत्रालय निदेशक (पत्तन), शिपिंग मंत्रालय, नई दिल्ली - 110 001
04	श्री करिकलवाल्वेन, भा.प्र.से.,	सरकार के विशेष मुख्य सचिव संरचना एवं निवेश, पि.व. कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलगपूडी, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश
05	डॉ. डी.के.श्रीनिवास, आई.आर.एस.	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क विभाग, पोर्ट एरिया, विशाखपट्टणम- 530 035
06	एस. सत्यनारायण मूर्ती	सर्वेयर प्रभारी सहित शिपिंग के मुख्य उप निदेशक (तकनीकी), मरकेंटाईल मेराईन डिपार्टमेंट, एमएमडी स्टॉफ आवास कांप्लेक्स, सालग्रामपुरम, विशाखपट्टणम - 530 024
07	कमांडर संजीव इस्सार (दिसंबर, 2020 तक) कमांडर गोवर्दन राजू	नौसेना प्रभारी अधिकारी (आं.प्र) नौसेना बाग, फ्लीट मेइल कार्यालय, पूर्व नौसेना बाग, विशाखपट्टणम - 530 014
08	श्री बी. रंजन	उप महा निरीक्षक, (आं.प्र.) कमांडर, कोस्ट गार्ड, जिला मुख्यालय सं.6, मार्फत फ्लीट प्रधान कार्यालय, पोर्ट हाईस्कूल के पास, मल्कापुरम, विशाखपट्टणम - 530 014

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल
(31.03.2021 को)

09	श्री संजय कुमार मिश्रा, आई.आर.टी.एस.	चीफ फ्राईट ट्रान्सपोर्टेशन मैनेजर, पूर्व तट रेल्वे, रेल सदन मुख्यालय भवन, प्रचालन विभाग, निचली मंजिल, चंद्र शेखरपुर, भुवनेश्वर – 751 017
10	श्री आर. हेमंत कुमार, आई.एफ.एस.,	वन का महा उप निदेशक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, (सेज़) सौत ईस्ट्रन जोन, पर्यावरण मंत्रालय, वन और क्लाइमेट चेंज, 1 एवं 2 मंजिल, एचईपीसी भवन, सं.34, केथड्रल गार्डन रोड़, नुनगमबाकम, चेन्नै – 600 034
11	श्री बी.सीएच. मसेन	महा सचिव, विशाखपट्टणम हार्बर एंड पोर्ट वर्कर्स यूनियन, डोर नं.26-26-27, हार्बर अप्रोच रोड़, विशाखपट्टणम – 530 001
12	श्री डी.के.शर्मा	महा सचिव, वी पी ई, यूनियन, डोर नं. 16-15-204, धर्मशक्ति भवन, मेईन रोड, विशाखपट्टणम – 530 001

पोर्ट ट्रस्ट के प्रमुख अधिकारी

(31.03.2021 को)

01.	श्री के.राम मोहन राव, भा.प्र.से.,	अध्यक्ष
02.	श्री पी.एल.हरनाथ, आई आर टी एस. (10-08-2020 तक)	उपाध्यक्ष
	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आई आर टी एस. (21-12-2020 से)	उपाध्यक्ष
03.	श्री जे. प्रदीप कुमार, आई.आर.एस.एम.ई.,	मुख्य सतर्कता अधिकारी
04.	कप्तान प्रदीप महंती (18-10-2020 तक)	उप संरक्षक
	कप्तान टी. श्रीनिवास (19-10-2020 से)	उप संरक्षक
05.	श्रीमति एस. शांति (02-09-2020)	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
06.	श्री आर.एन.हरि कृष्णा (तक)	मुख्य अभियंता (सांविधिक शक्तियां)
07.	श्री ए. वेणु प्रसाद (01-03-2021 से)	मुख्य अभियंता
08.	श्री बी. रत्न शेखर राव	यातायात प्रबंधक
09.	श्री सी. हरि चंद्रन (18-10-2020 तक)	सचिव
	श्री टी. वेणु गोपाल (19-10-2020 से)	सचिव एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी

वर्ष 2020-21 पर एक नज़र

भौतिक संकेतक

विवरण	यूनिट	2020-21	2019-20
विदेशी यातायात	मिलियन टन	52.99	56.38
तटीय यातायात	मिलियन टन	16.85	16.34
पीपीपी घाट	मिलियन टन	33.05	37.58
वीपीटी घाट	मिलियन टन	36.79	35.14
कुल यातायात	मिलियन टन	69.84	72.72
कंटेनर यातायात	टि यू ज	481,072	503,630
जहाज प्रविष्टि – आंतरिक बंदरगाह	संख्या	1,241	1,294
जहाज प्रविष्टि – बाह्य बंदरगाह	संख्या	832	871
जहाज प्रविष्टि – कुल	संख्या	2,073	2,165
औसत प्री बर्थिंग अवरोधन	दिन	0.05	0.05
औसतन आवर्तन काल	दिन	2.80	2.48
प्रति शिप घाट दिवस उत्पादन	टन	12,865	14,901
औसतन पार्सल साईज	टन	34,204	34,581
पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो	मि.टन	32.38	32.13
ओ एच सी पर लादी गई कार्गो	मि.टन	13.57	12.51
ओ एच सी पर टिपल की गई मात्रा	मि.टन	7.90	6.78
प्रति गैंग शिफ्ट उत्पादन	टन	714	728
31 मार्च को नियोजित व्यक्ति कार्गो संभलाई अनुभाग सहित – पहले वीडिएलबी)	संख्या	52.99	3,150

वर्ष 2020-21 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2020-21	2019-20
1.	तुलन पत्र		
	विवरण		
ए.	दायिताएं		
	(i) पूँजी आरक्षण	1017.08	962.98
	(ii) अन्य आरक्षण	1854.30	1615.08
	(iii) उधार	0.00	0.00
	(iv) पूँजी ऋण	7.72	23.39
	(v) प्राप्त अनुदान	21.27	20.35
	(vi) चालू देयताएं एंड प्रावधान एंड अन्य देयताएं (भ.नि./पेंशन, उपदान निधि)	2021.13	2376.12
	(vii) विलंबित कर देयताएं	13.44	0.00
	कुल	4934.94	4997.92
बी.	परिसंपत्तियाँ		
	(i) स्थिर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध ब्लॉक)	2702.50	2689.37
	(ii) घाटा रू मूल्यहास	-837.33	-784.23
	(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1865.17	1905.14
	(iv) प्रगति पर रहे पूँजी कार्य	237.54	175.94
	(v) निवेश	519.47	508.98
	(vi) चालू ऋण परिसंपत्तियाँ और अग्रिम	2312.77	2253.30
	(vii) विविध व्यय	0.00	0.00
	(viii) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	0.00	154.56
	कुल	4934.94	4997.93
सी.	कार्यचलन पूँजी	291.63	-122.82
डी.	शुद्ध मूल्य	2871.38	2578.06
ई.	नियोजित पूँजी	2156.80	1782.32
एफ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	11.00	15.40
जी.	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	2394.34	1958.27
च.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	9.91	14 .01
आई.	प्रचालन अनुपात	45.25	47.18
	वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	189.65	100.28

वर्ष 2020-21 पर एक नज़र

वित्तीय संकेत

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2020-21	2019-20
2.	लाभ एवं हानि खाता :		
ii.	राजस्व		
ए.	आय		
	प्रचालन आय	1445.69	1404.18
	गैर प्रचालन आय	78.16	107.65
		1523.85	1511.83
बी.	व्यय		
	प्रचालन व्यय	654.15	662.55
	गैर प्रचालन व्यय	464.39	543.45
		1118.54	1206.00
सी.	कर और विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष/कमी या लाभ	405.30	305.83
	घाटा रू कर के लिए प्रावधान		
	पिछले वर्ष	0.00	0.00
	फ्रिंज लाभ कर	0.00	0.00
	चालू वर्ष	0.00	68.56
	अस्थगित कर	167.99	-37.12
	कर के बाद लाभ	237.31	274.40
डी.	घाटारू स्थिर परिसंपत्तियों को निपटाने पर लाभ और पूँजी आरक्षण में स्थानांतरण	0.07	0.04
ई.	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	237.24	274.36
एफ.	घाटारू मैनेजमेंट विनियोजन/आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	129.41	148.36
जी.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	107.83	125.99
एच.	निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत		
	प्रचालन आय	16.41	19.54
	शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	12.72	14.40
	शुद्ध मूल्य	8.26	10.64

अनुपात विश्लेषण के लिए कार्य निम्नानुसार है :

क्र.सं	अनुपात विश्लेषण (तरलता एवं संपन्नता)	2020-21	2019-20
1.	चालू दायिताएं से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत	114.43	94.83
2.	चालू दायिताओं से त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	66.42	57.01
3.	चालू दायिताओं से तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	48.40	41.55
4.	परिचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	25.19	26.15
5.	ऋण / पूँजी आरक्षण और अन्य आरक्षणों का प्रतिशत	0.27	0.91
6.	चालू परिसंपत्तियों से कुल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	46.87	45.08
7.	प्रचालन व्यय से प्रचालन आय का प्रतिशत	45.25	47.18

न्यासी रिपोर्ट

विशाखपट्टणम पोर्ट का न्यासी मंडल, विशाखपट्टणम पोर्ट की वर्ष 2020-21 से संबंधित 88 वीं प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 72.72 मिलियन टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 69.84 मिलियन टन कार्गो संभलाई किया गया था।

देश में कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित लॉकडाऊन के विघटनकारी प्रभावों के कारण पोर्ट क्षेत्र में कार्गो आयात और निर्यात की संयुक्त मात्रा में गिरावट को प्रभावित किया गया है।

इस प्रकार, पोर्ट ने सभी महा पत्तन न्यासों में 3 स्थान प्राप्त किया और यातायात संभलाई के मामले में पूर्वी तट पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। कोविड-19 के प्रभाव के कारण सभी महा पत्तन न्यासों पर 4: नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान पोर्ट रेल्वे (464: रेल गुणांक) सिस्टम द्वारा 32.38 मिलियन टन मात्रा कार्गो की चलन की गई, जबकि वर्ष 2019-20 में 32.13 मिलियन टन की गई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख घटनाएं :

- ❖ वीपीटी ने राष्ट्र की गौरव पूर्ण सेवा में 7 अक्टूबर, 2020 को अपना 87वीं स्थापना दिवस मनाया।
- ❖ ओआर-1 और 2 परियोजनाएं (चरण-1) के उपयोग क्षमता में सुधार कार्य पूरा किया गया और दि. 09-01-2021 को इसका उद्घाटन किया गया है।
- ❖ वीपीटी "विश्व पर्यावरण दिवस" मनाया गया है और दि. 05-06-2020 को 3.84 करोड़ रुपये की लागत पर ग्रीन विशाखा के तहत रु. 1.02 लाख पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2020-21 में वीपीटी 40,000 पौधे लगाने पर विचार कर रहा है।
- ❖ पोर्ट गोल्डन जूबली अस्पताल में पलंग की कमी को दूर करने के लिए वीपीटी कर्मचारियों के लिए दि. 12-08-2020 को राजीवगांधी इंडोर स्टेडियम में 63 पलंग क्षमतावाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना की।
- ❖ कोविड-19 के कारण मृत्यु (दावें) दावे के लिए रु. 50.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया था और मंत्रालय के मार्गदर्शन क अनुसार कुछ मामलों की समीक्षा की जा रही है।
- ❖ प्लॉन योजनाओं पर अपने स्वयं के संसाधनों से पोर्ट द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 78.97 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

फोटो : दि. 07-10-2020 को आयोजित वीपीटी के 87वीं स्थापना दिवस।

दि. 09-01-2021 को ओआर-3 घाट पर एम.वी. सेलोशिया पहला जलयान का उद्घाटन।

प्रारंभ की गई मुख्य परियोजनाएं :

वर्ष 2020-21 के दौरान (1) एलईडी हाई मास्ट्स लाईटिंग की स्थापना (दि.3 0-09-2021 को (रु. 3.95 करोड़ पर), (2) गंगुलागेड्डा से एच-जंक्शन तक सड़क बिछाने (दि.01-01-2021 को

रु.2.41 करोड़ पर) (3) पश्चिमी ईस्सार सड़क पर नाली सुविधा का प्रावधान (दि.30-09-2020 को रु. 45.02 लाख पर), (4) मेसर्स श्रावण सीएफएस जंक्शन से पश्चिमी क्षेत्र में अल्फ्लोराईड कंपनी तक आगमन सड़का बिछाने (दि.07-07-2020 को रु.39.64 लाख पर), (5) एक्स एवं वाई लाईन रूट के रेलवे स्टील गिडुर ब्रिड्ज के स्थान पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का प्रावधान (दि.22-10-2020 को रु.31.30 लाख पर), (6) ओबी-1 घाट पर फेंडर को हटाने और पुनरुस्थापित करने (दि.09-09-2020 को रु. 16.93 लाख पर) और (7) क्रूज़ सहित कार्गो घाट का विकास के लिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन (दि.14-03-2021 को रु.14.63 लाख पर) जैसे कार्यों के लिए अनुमानित लागत पर रु. 7.84 करोड़ राशि खर्च किया गया ।

दिये गये प्रमुख परियोजनाएं :

ओआईएसडी 156 के मार्गदर्शन के अनुसार वर्ष 2020-21 में एक प्रमुख परियोजना अर्थात् 50,000 से 1,00,000 डीडब्ल्यूटी जलयानों (पेनामेक्स जहाज) को ठहराने के लिए ओआर-1 और ओआर-2 घाटों की क्षमता का उन्नयन के लिए नई अग्निशमन सुविधाओं को प्रदान करने चरणवार - चरण-2 पर रु. 32.32 करोड़ की अनुमानित लागत पर मेसर्स थर्मो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सौंपा गया ।

फोटो : 10 एमडब्ल्यू सोलॉर फोटोवोल्टेक पॉवर प्लांट, हार्बर मोबाईल क्रैन्स

प्रगति पर रहे प्रमुख परियोजनाएं :

वीपीटी में क्षेत्रीय विकास की दिशा में "प्रारंभ किये सागरमाला" के हिस्से के रूप में निम्नलिखित परियोजनाओं पर रु. 1,385.00 करोड़ की अनुमानित लागत की परिकल्पना की गई है।

- ❖ रु. 96.05 करोड़ की लागत पर क्रूज़ टर्मिनल का निर्माण।
- ❖ रु. 35.52 करोड़ की लागत पर आर एवं डी यार्ड पर विद्युत इंटरलॉकिंग उपलब्ध करना।
- ❖ रु. 22.55 करोड़ की लागत पर लगभग 38.00 टीकेएम रेलवे लाईनों का विद्युधीकरण।
- ❖ रु. 15.64 करोड़ की लागत पर पूर्वी यार्ड में लगभग 6.70 टीकेएम ट्राकों का उन्नयन
- ❖ रु. 68.05 करोड़ की लागत पर (चरण-1) ईस्ट ब्रेक वॉटर से कान्वेंट जंक्शन तक 4 लाईन कनेक्टिविटी का विकास।
- ❖ रु. 36.38 करोड़ की लागत पर (चरण-1) पोर्ट क्षेत्र में ढके भंडारण शेडों का निर्माण।
- ❖ रु. 52.32 करोड़ की लागत पर 30 एकड़ों में वर्ल्ड क्लास ट्रक पार्किंग टर्मिनल का विकास।
- ❖ रु. 6.07 करोड़ की लागत पर स्टॉक यार्ड को एम-55 ग्रेड के प्रीकास्ट कांक्रीट ब्लॉक के साथ हार्ड सरफेसिंग का प्रावधान करना।
- ❖ रु. 4.93 करोड़ की लागत पर 50,000 से 1,00,000 डीडब्ल्यूटी जलयानों (पेनामेक्स जहाज) को ठहराने के लिए ओआर-1 और ओआर-2 घाटों की क्षमता का उन्नयन के लिए नई अग्निशमन सुविधाओं को प्रदान करने।

- ❖ रू. 4.93 करोड़ की लागत पर मूरिंग और ब्रेस्टिंग डालफिन सहित एलपीजी घाट की मरम्मत / पुनरुस्थापना।
- ❖ रू. 32.05 करोड़ की लागत पर 1,00,000 डीडब्ल्यूटी से अधिक जलयानों को ठहराने के लिए ओएसटीटी घाट में नई अग्निशमन सुविधाओं का उन्नयन।
- ❖ आगमन चैनल में रू. 32.05 करोड़ की लागत पर ओआरएस जेटी का मरम्मत और पुनः स्थापना।
- ❖ डब्ल्यूक्यू-7 और 8 घाटों को रू. 288.47 करोड़ की अनुमानित लागत पर ड्राई बल्क कार्गो को पीपीपी पद्धति पर यांत्रीकरण करने।
- ❖ रू. 200.99 करोड़ की लागत पर उर्वरक और अन्य ड्राई बल्क कार्गो संभलाई के लिए पीपीपी पद्धति पर ईक्यू-7 घाट का यांत्रीकरण।
- ❖ पीपीपी पद्धति पर रू. 250.00 करोड़ की लागत पर ईक्यू-6 घाट का यांत्रीकरण।
- ❖ पीपीपी पद्धति पर रू. 250.00 करोड़ की लागत पर डब्ल्यूक्यू-6 घाट का यांत्रीकरण।

फोटो : 1. यांत्रीकृत धूली दमन सिस्टम 2. वीपीटी में ग्रीन पौधारोपण।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- ❖ बड़े जहाजों की संभलाई करने की संभावना पता लगाने के लिए मेसर्स फोर्स टेक्नोलॉजीज़ के साथ सिंगपूर में एक सिम्यूलेशन अध्ययन को सफलतापूर्वक किया गया था।
- ❖ नई बिछाई गई भूमिगत कास्टिक सोडा पाईपलाईन का उपयोग करते हुए कास्टिक सोडा की संभलाई करने के लिए दि. 04-11-2020 को डब्ल्यूक्यू-4 में एम.वी. चेम्बुलक योकोहामा का बर्थिंग किया गया था, जिसके कारण यातायात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- ❖ आंतरिक बंदरगाह में ईक्यू-7 पर दि. 30-11-2020 को एम.वी. डब्ल्यू ओएसएलओ 38 मी. बीम, 229.20 मी.लोवा, डीडब्ल्यूटी 92.997 टन और 14.5 मी. ड्राफ्ट की जो अभी तक सबसे ऊँचा बीम जहाज बर्थिंग हुई है। आम तौर पर आंतरिक बंदरगाह में पहले 33 मीटर के बीम जहाजों की संभलाई किया जाता था।
- ❖ आंतरिक बंदरगाह में दि. 30-12-2020 से लागू करते हुए 235 मी. से 240 मी. तक लोवा वृद्धि करते हुए अनुमति दिया गया।
- ❖ वेस्ट क्वेरी-4 और वेस्ट क्वे-5 घाटों पर दि. 02-01-2021 से लागू करते हुए 11.00 मी. से 11.50 मी. तक ड्राफ्ट वृद्धि करते हुए अनुमति दिया गया।
- ❖ वित्त और नियंत्रण, मानव पूँजी प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, पीएम, पीएस, आरई-एफएक्स और पीओएस जैसे मॉड्युअलों डिजिटलैजेशन को सेप के साथ एकीकृत किया गया था।
- ❖ पीसीएस1एक्स में उपलब्ध सुविधाएं जैसे ई-डीओ, ई-पेमेंट, और जहाजों से संबंधित सूचनाओं को उपयोग करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स जैसे बैंक, शिपिंग लाईन्स, ट्रेडर्स, कस्टम हाऊस ऐजेंट,

कस्टम और अन्य स्टॉक होल्डर्स को ऑन बोर्ड पर लाने के लिए वीपीटी ने पीसीएस1एक्स का कार्यान्वयन किया गया है।

- ❖ स्मार्ट पोर्ट पहल के तहत सभी नोट और फाईलों को ई-आफीस की माध्यम प्रक्रिया से किया जाता है।

फोटो : 1. एलईडी लेंप के साथ स्ट्रीट लेंप्स, 2. स्वच्छ भारत अभियान

निर्बाध सड़क संपर्क :

- ❖ पोर्ट के राष्ट्रीय राजमार्ग-16 (जिसे पहले एनएच-5 कहा जाता था) से 12 कि.मी. की 4 लाईन लिंक सड़क से जोड़ने, एनएचएआई द्वारा वीपीटी के साथ जेवी के रूप में गठित एसपीवी द्वारा विकास और अनुरक्षण किया जाता है।
- ❖ वीपीटी के एच-7 क्षेत्र से कान्वेंट जंक्शन तक पोर्ट कनेक्टिविटी सड़क के टेकऑफ पाइंट तक एक ग्रेड सपरेटर सितंबर, 2020 में पूरा किया गया है। यह सुविधा कान्वेंट जंक्शन पर शहर के यातायात से पोर्ट यातायात को अलग करेगी और वाहन परिवहन को अधिक कुशल बनाएगी।

सड़क परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत है :

- ❖ पूर्व ब्रेक वाटर से कान्वेंट जंक्शन (4 कि.मी.) तक 4 लाईन सड़क का विकास ।
- ❖ शीला नगर जंक्शन से सब्बरम अर्थात एनएच-16 (12.7 कि.मी.) विशाखपट्टणम पोर्ट से सड़क कनेक्टिविटी।
- ❖ सीहार्स जंक्शन / कान्वेंट जंक्शन क्षेत्र से डॉक क्षेत्र तक फ्लाई ओवर ब्रिड्ज।

सामरिक महत्व का अर्थ :

माईन हेड से पॉवर प्लांट तक कोल के परिवहन के लिए टेंजेडको को पूर्ण एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक सोल्यूशन – महा पत्तनयों के बीच अपनी तरह का पहला ठेके को विस्तार करते हुए दूसरे चरण थर्मल कोल की संभलाई के लिए और एक वर्ष 02-10-2020 से 01-10-2021 तक बढ़ाया।

फोटो : श्री के.राम मोहन राव, भा.प्र.से., अध्यक्ष/वीपीटी ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए – एक कार्यक्रम का झलक 2. वेस्ट क्वे – 7 एंड 8 घाटों का नई निर्माण

- ❖ “भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यवसायिक आवश्यकताओं की खोज और आत्म निर्भर भारत बनाने” के लिए मेरीटाईम इंडिया समिट 2021 को 2 मार्च से 4 तक आयोजित किया गया।
- ❖ शिखर सम्मेलन के दौरान, वीपीटी ने विभिन्न व्यापारिक भागीदारों जैसे मेसर्स एचपीसीएल, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील लिमिटेड, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईपीआरसीएल और सेईल आदि के साथ निवेश रू. 28.875 करोड़ के 27 समझौते ज्ञापनों का अंतिम रूप दिया।
- ❖ विशाखपट्टणम पोर्ट ने नागरनार स्टील प्लांट को 2 एमएमटीपीए कोकिंग कोल के आयात के लिए कुल लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करने के लिए प्रारंभ की है।

- ❖ कोस्टल शिपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा पहचाने गए “कार्गो मोडल शिफ्ट और कोस्टल शिपिंग” के साथ एंड टू एंड लॉजिस्टिक दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित है।
- ❖ मंत्रालय द्वारा विज़न 2030 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, 22 परियोजना गतिविधियों और मील के पत्थरों के साथ वीपीटी की व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना में सूचीबद्ध 100 मिलियन टन के कार्गो निष्पादन को प्राप्त करने पर रोड़ मैप।
- ❖ वीपीटी ने सीएसआर गतिविधि के भाग के रूप में रु. 15 करोड़ की लागत पर मेसर्स सीडीआईएल के साथ दि. 10-02-2021 को समुद्रतट पोषण के लिए तीन वर्ष के ठेके पर हस्ताक्षर किया है।

व्यापार करने के अवसर :

- ❖ रेल वेगनों से थर्मल कोल को उतारने के लिए कार्गो संभलाई लेवी को 499: से कम करके 150: कर दिया गया है।
- ❖ 50: छूट और 50,000 जीआरटी से कम कंटेनर जहाजों के लिए पाईलटेज पर पोर्ट देय पर छूट और 50,000 से अधिक जीआरटी वाले जहाजों के लिए पाईलटेज पर पोर्ट देय पर 70: छूट।
- ❖ पोर्ट देय पर और 50,000 एमएमटी से कम जीआरटी के साथ पाईलटेज में 70: छूट कंटेनर नौवहन के लिए न्यूनतम आवक 250 ट्यूज़।
- ❖ पोर्ट देय पर और 50,000 एमएमटी से अधिक जीआरटी के साथ पाईलटेज में 80: छूट कंटेनर नौवहन के लिए न्यूनतम आवक 250 ट्यूज़।
- ❖ कंटेनर यातायात के लिए जहाज संबंधी प्रभारों पर 31-03-2022 तक छूट का विस्तार।
- ❖ लेवी में छूट और सीएचडी श्रामिक गेंगों को केवल न्यूनतम एक वर्ष के लिए नियुक्ति।
- ❖ निर्यात स्टील, ग्रेनाईट, खाद्यान्न, अल्यूमिना, सामान्य कार्गो पर कार्गो संभलाई लेवी को हटा दी जाती है।
- ❖ बंकरिंग उद्देश्य के लिए पहले 48 घंटों के लिए निःशुल्क एंकरेज़।
- ❖ क्षेत्रों में भूमि आबंटन के लिए पट्टा शुल्क कम करते हुए प्रति वर्ग मीटर रु. 3.11, प्रति सप्ताह कर रु. 6.21।
- ❖ सभी कार्गो संबंध में कार्गो संभलाई श्रमिकों की नियुक्ति पर लेवी 245: से घटाकर 150: दी गई है।
- ❖ वीपीटी में निर्यात चीनी जहाजों की प्राथमिकता बर्थिंग 26-02-2021 से लागू करते हुए छरू महीने की अवधि के लिए विस्तार किया गया।

प्रशंसा :

- ❖ आईआरएस लेखापरीक्षा टीम द्वारा आईएसओ 9001- 2015 और आईएसओ 14001 - 2015 के लिए और आईएसओ 45001-2018 में उन्नयन दिनांक 27-10-2020 से 29-10-2020 तक निगरानी लेखापरीक्षा - 2 किया गया। आईआरएस लेखापरीक्षा टीम ने ओषास को आईएसओ 45001-2018 में उन्नयन करने के लिए वीपीटी की सिफारिश की।
- ❖ पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 "विजेता" है।
- ❖ कर्मचारी श्रेणी में सुरक्षा उत्कृष्टता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक सुरक्षा अवार्ड 2020 " विजेता"।
- ❖ वीपीटी ने 14 दिसंबर 2020 को कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की गतिविधियों को अद्ययन करने सहित कर्मचारियों की छुट्टी की स्थिति के अद्ययन के लिए एक नया मोबाईल ऐप विकसित किया है।
- ❖ 07-12-2020 के मेक इन इंडिया कांसेप्ट के तहत ड्रेजर "जीएचडी सागर दुर्गा" जिसे 2005 में मेसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दक्षिण कोरिया से आयात किए गए 2 क्रेनों के साथ टूटे हुए विदेशी क्रेन के स्थान पर एक क्रेन के साथ भारतीय स्वदेशी क्रेन से बदल दिया गया था। यह क्रेन सफलतापूर्वक काम कर रही है।

फोटो : 25.03.2021 को वास्तविक औद्योगिक दुर्घटना परिदृश्य में वीपीटी के एलपीजी जेटी परिसर में आपातकालीन तैयारी एक मॉक ड्रिल।

आपातकालीन आग और सुरक्षा तैयारी :

मेसर्स सौत एशिया एलपीजी कंपनी प्रा.लि., (एसएएलपीजी) वीपीटी कर्मचारियों के साथ वीपीटी के एलपीजी जेटी परिसर में आपातकालीन तैयारियों पर एक मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में वीपीटी अधिकारी, कारखानों के संयुक्त मुख्य निरीक्षक (जेसीआईएफ), जिला, अग्निशमन अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) टीम, पुलिस और नौसेना अधिकारी, औद्योगिक जैसे एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल उपस्थित थे और 25-03-2021 को वास्तविक औद्योगिक दुर्घटना परिदृश्यों में सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

विकास की पहल पर ध्यान केंद्रित करने के बगैर, विशाखपट्टणम पोर्ट ने प्राइवेट प्रचालक, ट्रेड और अन्य व्यापार सहयोगियों से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने में रणनीतिक विचारों को लागू कर रहा है ताकि बाद के वर्षों में पोर्ट क्षेत्र के बीच भविष्य की व्यापार गतिविधियों में चुनौतियों का सामना किया जा सके।

न्यासी मंडल के लिए और उनकी ओरसे


अध्यक्ष

पोर्ट की बहुमूल्य सांख्यिकी 2020-21

बर्थों की संख्या	26+1 एसपीएम
विद्युत वार्फ क्रैन	4
शिपिंग टग्स	6
पोर्ट - 3, प्राइवेट - 3	
भंडारण सुविधाएं (शुष्क)	
पोर्ट का अपना (लाख वर्ग मीटर)	
- अच्छादित	0.48
- सीमाशुल्क के अंतर्गत खुले क्षेत्र	1.97
- सीमाशुल्क के बाहर खुले क्षेत्र	10.47
संभलाई गई यातायात (मिलियन में)	
- निर्यात	30.08
- आयात	38.73
- यानांतरण	1.03
- कुल	69.84
प्रति घाट दिवस उत्पादन (टन)	
- यांत्रिक	20,767
- गैर यांत्रिक	8,911
- कुल	12,865

संभलाये गये ट्यूजों की संख्या	408,072
नौचालित जहाजों की संख्या	2,071
नौचालित जहाजों की जीआरटी (मिलियन में)	67.80
पोर्ट रेल्वे सिस्टम	
- ट्रेक लंबाई (कि.मी.)	186
- साईडिंग की संख्या	13
- खुले टर्मिनल्स	22
पोर्ट रेल्वे द्वारा संचालित कार्गो (मिलियन टनों में)	
- प्राप्ति (लोहा अयस्क)	8.15
- प्राप्ति (सामान्य)	7.97
- प्रेषण (सामान्य)	16.26
- कुल	32.38

आगे का विवरण अनुलग्नक 1 से 5 में दिया गया है ।

परिचालन निष्पादन :

1.0 यातायात

1.1 विशाखपट्टणम पोर्ट में वर्ष 2020-21 में 69.84 मि. टन की कार्गो की संभलाई की जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान 72.72 मि.टन यातायात की संभलाई की ।

1.2 निर्यात आयात और यानांतरण के विवरण नीचे दिये गये हैं । (मिलियन टन)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19
निर्यात	30.08	24.34	20.49
आयात	38.73	46.32	43.73
यानांतरण	1.03	2.06	1.08
कुल	69.84	72.72	65.30

1.3 कुल यातायात में तटीय यातायात का अनुपात 24: था । (मिलियन टन)

विवरण	विदेशी	तटीय	कुल
निर्यात	17.61	12.47	30.08
आयात	34.86	3.87	38.73
यानांतरण	0.52	0.51	1.03
कुल	52.99	16.85	69.84

1.4 वर्गवार यातायात (मिलियन टन)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19
ड्राई बल्क	41.91	42.43	38.26
तरल बल्क	17.94	21.05	18.26
ब्रेक बल्क	1.81	0.59	0.82
कंटेनर	8.18	8.65	7.96
ट्यूज़	(0.48)	(0.50)	(0.45)
कुल	69.84	72.72	65.30

विवरण अनुलग्नक 6 एवं 7 में दिया गया है ।

1.5 कुल यातायात 69.84 मिलियन टन में से 45.78 मिलियन टन (66%) यांत्रिक साधनों से संभलाया गया ।

(मिलियन टन)

वस्तु का वर्ग	यांत्रिक	गैर यांत्रिक	कुल
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स (निर्यात)	13.57	5.73	19.30
अल्युमिना	1.18	—	1.18
उर्वरक एफ आर एम (शुष्क)	0.29	2.74	3.03
तरल बल्क	17.94	—	17.94
कोकिंग कोल	2.65	2.80	5.45
स्टीम कोल	1.97	3.11	5.08
कंटेनर कार्गो	8.18	—	8.18
अन्य कार्गो	—	9.68	9.68
कुल	45.78	24.06	69.84

एफ आर एम – उर्वरक कच्ची सामग्री ।

1.6 भारतीय/विदेशी फ्लौग के शिप

कुल यातायात 69.84 मि.टन में से इंडियन बॉटम द्वारा 11.51 मि.टन संभलाया गया जो 16% है ।

1.7 कंटेनर कार्गो

विवरण	निर्यात	आयात	कुल
बाक्सों की संख्या	203781	198991	402772
ट्यूजों की संख्या	243057	238015	481072
टन भार	4942264	3236186	8178450
कार्गो का भार	4874654	3037268	7911922
टेयर का भार	67610	198918	266528

विवरण अनुलग्नक 8 में दिया गया है ।

1.8 परिचालित कंटेनर सेवाएं :

कंटेनर टर्मिनल में चार प्रधान लाईन सेवाएं अर्थात एफएमई, सीसीजी और आईईएक्स स, तीन एक्जिम फीडर सेवाएं एमडीएम, सीएचएक्स स और सीवीके और दो तटीय सेवाएं ईसीएक्स और टीसीआई प्रचालन कर रहे हैं ।

1.9 कंटेनर जहाज विंडो :

सेवा आईडी	प्रचालक	टाईप	सेक्टर
एफएमई,	केएमटीसी / सीएमए / आरसीएल / सीओएस / टीएसएल / फीडरटेक	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम – वेस्ट पोर्ट किलांग – सिंगापूर – मन्ला – शीको – शांगौ – क्विगडो – बूसन – सिंगापूर – वेस्ट पोर्ट किलांग – चेन्नौ – विशाखपट्टणम
एमडीएम	बीटीएल / डब्ल्यूएचएल	एक्जिम फीडर	विशाखपट्टणम – सिंगापूर – पोर्ट किलांग – सिंगापूर – चेन्नौ – विशाखपट्टणम
सीएचएक्स	एमएसके	एक्जिम फीडर	विशाखपट्टणम – टॉनजंग पिल्पिस – ऐन्नोर – विशाखपट्टणम
आईईएक्स	एचएलएल / सीओएस / ओओसीएल / ओएनई / वाईएलएल	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम – कृष्णपट्टणम – चेन्नै – कोलंबो – कोच्चिन – डामिटा – रेट्टरडॉम – लंदन गेटवे – हमबर्ग – एंटरपे – ली हेवी – जेड्डा – कोलंबो – विशाखपट्टणम
सीसीजी	ग्लोबल फीडर्स	प्रधान लाईन	विशाखपट्टणम – कृष्णपट्टणम – काटूपल्लि – कोलंबो – कोच्चिन – मुंद्रा – न्यू मेंगलूर – कोच्चिन – कोलंबो – चेन्नौ – विशाखपट्टणम
सीवीके	एफएआर शिपिंग	एक्जिम फीडर	विशाखपट्टणम – कोलंबो – विशाखपट्टणम
ईसीएक्स	श्रेयास शिपिंग	तटीय सेवा	विशाखपट्टणम – कोलकत्ता – विशाखपट्टणम
टीसीआई	टीसीआई	तटीय सेवा	विशाखपट्टणम – पोर्ट ब्लेयर – माया बुनदर – विशाखपट्टणम

1.10 प्रधान वस्तुवार यातायात

(लाख टनों में)

वस्तु	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2018-19
पी ओ एल	160.19	189.14	163.21
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स	188.61	143.86	102.42
कोकिंग कोल	54.23	74.46	57.27
स्टीम कोल	50.75	92.68	90.26
थर्मल कोल	6.95	8.21	18.51
उर्वरक – फिनिशड	19.57	20.59	21.25
उर्वरक कच्ची सामग्री (शुष्क)	10.76	8.99	9.85
कंटेनर कार्गो	81.78	86.49	79.59
अन्य	125.59	102.80	110.65
कुल	698.43	727.22	653.01

1.11 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात

(लाख टनों में)

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
आस्ट्रेलिया	53.16	15.25
यू ए ई	36.99	10.61
इंडोनेशिया	32.35	9.28
सौदी अरेबिया	24.33	6.98
सौत आफ्रिका	24.31	6.97
यूएसए	23.92	6.86
नैजीरिया	15.40	4.42
चैना	12.38	3.55
कोलंबिया	12.30	3.53
खतार	11.09	3.18
ईराख	10.47	3.00
सिंगापुर	10.44	2.99
स्स	8.44	2.42
जापान	6.26	1.80
कुवार्ट	5.47	1.57
गबन	5.08	1.46
ईरान	4.83	1.39
टोगो	4.52	1.30
केनडा	4.28	1.23
मोराको	3.64	1.04

1.12 मुख्य विदेशी भागीदार – निर्यात

देश	वालयूम (लाख टनों में)	हिस्सा (%)
चैना	67.83	38.53
सिंगापूर	24.40	13.86
कोलंबिया	15.88	9.02
जापान	12.06	6.85
जीबेल आली	9.90	5.62
वेस्ट पोर्ट कलांग	5.97	3.39
पोर्ट कलांग	5.01	2.85
टेनजांग पिलिपेस	4.63	2.63
ओमन	3.53	2.00
कोरिया रिपब्लिक	3.18	1.81
वियत्नाम	2.67	1.52
सौत कोरिया	2.27	1.29
बांग्लादेश	2.20	1.25
इंडोनेशिया	2.10	1.19

1.13 मुख्य विशेषताएं

- खतरनाम महामारी की स्थिति के बावजूद वर्ष 2020–21 के दौरान 69.84 मि.ट. की कार्गो संभलाई की गई जबकि पिछले वर्ष 2019–20 की 72.72 मि.ट. किया गया था ।
- यातायात के मामले में प्रमुख महा पत्तनों में विशाखपट्टणम पोर्ट ने तीसरा और पूर्व तटीय में दूसरा स्थान पर है ।

1.14 सेवा क्षेत्र से प्राप्त / सेवा क्षेत्र को प्रेषित । परिवहन की विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्राप्त / प्रेषित कार्गो का वस्तुवार विवरण अनुलग्नक 10 एवं 11 में दिया गया है ।

2.0 शिपिंग

2.1 आंतरिक बंदरगाह में 14.50 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले पेनामाक्स जलयानों के लिए खोला गया। बाह्य बंदरगाह में 18.10 मीटर्स तक ड्राफ्ट वाले केप साईज़ जलयानों के लिए खोला गया। वर्ष के दौरान पोर्ट में 2,073 जहाजों ने प्रवेश किया और 2,071 जहाजों का नौचालन हुआ। पोर्ट में आये जहाजों (नौचालन) का विवरण एन आर टी, जी आर टी तथा डी डब्ल्यू टी निम्नानुसार है रू

(मिलियन)

वर्ष	जहाज	डीडब्ल्यूटी	जीआरटी	एनआरटी
2020-21	2,071	109.16	67.80	36.64
2019-20	2,163	109.50	68.26	36.55
2018-19	2,054	99.07	61.24	32.89

आगे का विवरण अनुलग्नक 12 में दिया गया है।

2.2 प्रवेश और नौचालित जहाज (विदेशी / तटीय)

वर्ग	प्रविष्ट जहाज		नौचालित जहाज	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
विदेशी	1,528	1,534	1,524	1,530
तटीय	545	631	547	633
कुल	2,073	2,165	2,071	2,163

2.3 घाट अधिग्राहिता :

वर्ष 2020-21 के दौरान घाट की अधिग्राहिता 59: थी जबकि पिछले वर्ष 2019-20 में 56: रही। अन्य विवरण अनुलग्नक 03 में दिया गया है।

2.4 अधिकतम जहाज संचालन

विवरण	2020-21	2019-20
एक दिन में	41 (18-02-2021)	30 (19-08-2019)
महीने में	1,083 (मार्च, 2021)	1,105 (अगस्त, 2019)

2.5 कार्गो प्रकार के अनुसार नौचालित जहाज

जहाजों का वर्ग	2020-21	2019-20
लोहा अयस्क एवं पिल्लेट्स		
बाह्य बंदरगाह	207	175
आंतरिक बंदरगाह	115	54
पी ओ एल टैंकर्स	460	554
कोकिंग कोल (यांत्रिक + परंपरागत)	115	146
स्टीम कोल (यांत्रिक + परंपरागत)	83	136
थर्मल कोल	14	22
उर्वरक थौली सहित (यांत्रिक + परंपरागत)	71	63
रॉक फास्फेट और गंधक (यांत्रिक + परंपरागत)	37	36
अन्य शुष्क बल्क	238	255
अन्य तरल कार्गो	196	215
खाद्यन्नवाले	10	1
अन्य अयस्क (मैंगनीस और आदि)	95	67
अन्य कार्गो (ब्रेक बल्क)	90	46
कंटेनर	309	329
पानी, बंकर आदि के लिए जहाज	31	64
कुल	2,071	2,163

2.6 एक दिन में घाट पर जहाजों की अधिकतम संख्या 8.01 लाख जी आर टी के साथ अधिकतम 37 जहाज दि. 23-10-2020 को पोर्ट में थे ।

2.7 शिप संचालन

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19
आगमन	2,073	2,165	2,055
प्रस्थान	2,071	2,163	2,054
शिपिंग	80	68	81
कुल	4,224	4,396	4,190

2.8 अत्यधिक लंबाई, बीम और डी डब्ल्यू टी वाले जहाज

विवरण	2020-21	2019-20
आंतरिक बंदरगाह		
लोवा 195-210 मी	91	53
लोवा 210-225 मी	50	50
लोवा 225 मी.	68	89
बीम 32.26 मी.	13	7
बाह्य बंदरगाह		
वीजीसीबी (झडीडब्ल्यूटी 150,000) में केप साईज़		
जलयान	5	9
लोवा 270 मी.	3	—
लोवा वी सी टी पर 270 मी.	81	87

2.9 अत्यधिक डी डब्ल्यू टी वाले जलयान

जलयान / बर्थ	डी डब्ल्यूटी	लोवा (मीटर्स.)	बीम (मीटर्स.)	ड्राफ्ट (मीटर्स.)
बाह्य बंदरगाह ओबी 2 पर एम.वी.अक्वा दिवा	182,060	292.00	45.00	16.34
आंतरिक बंदरगाह डब्ल्यूक्यू- 7 पर एम.वी.बल्क मलेशिया	95,766	234.98	38.00	14.58
एसपीएम पर एम.वी. देश विराट	320,411	333.00	60.00	14.00

अत्यधिक ड्राफ्ट वाले जलयान :

विवरण	2020-21	2019-20
वीजीसीबी पर 16 मीटर	1	7
आंतरिक बंदरगाह पर 14 मीटर	62	111

2.10 हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान पोर्ट के हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य करनेवाले दो सर्वेक्षण यूनिटों का कार्य संतोषजनक रहा। पूर्ण रूप से कंप्यूटराईज्ड सर्वेक्षण लांच "निर्मल" को पोर्ट सीमाओं के अंतर्गत वीओएच सर्वेक्षण, आंतरिक चैनल आर्म्स एवं बर्थ तथा ब्रेक वाटर के बाहर सर्वेक्षण के लिए नियोजित किया गया है। वीओएच यूनिट उत्तर तरंगरोध के उत्तरी ब्रेकवाटर सागरनगर तक और अन्य क्षेत्रों में समुद्र तट के साथ साथ साऊंडिंग्स एवं लेवल्स लेने के लिए भूमि सर्वेक्षण यूनिट (बीच प्रोफाईल यूनिट) के साथ काम किया।

आंतरिक बंदरगाह यूनिट ने घाटों के पास और क्षेत्रों के समीप "मसूला बोट" ईको साऊंडर और जीपीएस के साथ फैलाते हुए साऊंडिंग्स लेने के लिए और जहां आवश्यकता है (कीचडधार क्षेत्रों) वहां सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है ।

नक्शा कार्यालय ने उन्हें प्राप्त डॉटा के साथ साऊंडिंग चार्ट्स तैयार करने और प्लॉट करने के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के साथ काम किया ।

वर्ष के दौरान आयोजित सर्वेक्षण के विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	आंतरिक बंदरगाह	बाह्य बंदरगाह	बीच प्रोफाईल	कुल
2020-21	247	242	154	643
2019-20	238	223	156	617

2.11 मौसम

रिपोर्ट के दौरान बाह्य बंदरगाह पर 26-11-2020 में 1.82 मीटर की अधिकतम ऊंची लहर देखी गई, जब कि पिछले वर्ष के दौरान दिनांक 12-08-2019 को देखी गई अधिकतम ऊंचाई वाली लहर 1.75 मीटर थी ।

2.12 पायलटेज संचालन :

विवरण	आगमन	प्रस्थान	शिपिंग	कुल
आंतरिक बंदरगाह	1254 (945)	1211 (918)	3778 (3086)	6243 (4949)
बाह्य बंदरगाह	816 (627)	790 (609)	800 (1038)	2406 (2274)
मत्स्य बंदरगाह	8 (13)	8 (10)	56 (65)	72 (88)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	9 (9)	4 (12)	47 (70)	60 (91)
अन्य	105 (90)	92 (71)	4199 (2838)	4396 (2999)
कुल	2192 (1684)	2105 (1620)	8880 (7097)	13177 (10401)

कोष्टक के अंकडे पिछले वर्ष की सूचना देते हैं :

2.13 नौचालन सुविधाएँ : आंतरिक बंदरगाह – दिन में : (मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन / प्रस्तान	पौनामौक्स / हेन्डीमौक्स	38.00	14.50	0.50

- ✓ 195 मी. से अधिक लोवा वाले या 32.0 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है ।

आंतरिक बंदरगाह – रात्री नौचालन : (मीटर में)

विवरण	जलयान साईज़	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
आगमन	हेन्डीमौक्स	32.50	14.50	---
प्रस्तान	पौनामौक्स	32.50	14.50	---

- ✓ 200 मी. लोवा जहाजों को रात्रि के समय में अधिकतम 14.0 मी. ड्राफ्ट में अनुमेय है ।

बाह्य बंदरगाह – दिन में : (मीटर में)

विवरण	लोवा	बीम	ड्राफ्ट	ज्वार भाटा
ओ बी-1 और 2	300	50.00	16.5	---
कंटेनर टर्मिनल (वी सी टी)	320	42.00	14.5	---
वीजीसीबी (200,000 डीडब्ल्यूटी)	300	50.00	18.10	---
एल पी जी बर्थ	230	42.00	14.0	---
10,000 डी डब्ल्यू टी के लिए चौनल बर्थ	150	18.75	8.50	---
मत्स्य बंदरगाह	70	14.00	5.50	0.70
एसपीएम	बर्थिंग दिन के समय में ही किया जा सकता है ।			

270 मी. से अधिक लोवा वाले या 42 मी. से अधिक बीम वाले जलयानों की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है ।

बाह्य बंदरगाह – रात्रि नौचालन :

आगमन :

- 1 एल पी जी / ओएसटीटी घाटों पर 220 मी. लोवा के टेंकरों को और इससे अधिक एल पी जी / ओएसटीटी पर दो पायलेटों द्वारा बर्थ किया जाता है ।
- 2 ओ बी -1, ओ बी -2 और वी जी सी बी के पास 75,000 डी डब्ल्यू टी और उससे अधिक वाले जहाज और 270 मी. और उससे अधिक लोवा वाले जलयान कंटेनर टर्मिनल पर 2 पायलेटों के साथ बर्थ किए जाते हैं ।

नोट :

अधिक ड्राफ्ट वाले जलयानों के साथ मामले से मामले के आधार पर उपयुक्त ज्वार पर विचार करते हुए अनुमति दी जाएगी ।

मौ जहाजों के साथ बेटी जहाजों की बर्थिंग / अन- बर्थिंग की संभलाई दो पायलेटों द्वारा की जा सकती है ।

3.0 दक्षता पौरामीटर्स

3.1 वर्ष 2020-21 में प्रति शिप घाट दिवस उत्पादन 12,865 टन है, जहाजों का आवर्तन समय 2.80 दिन और औसतन प्री बर्थिंग अवरोध 0.05 दिन रहा ।

3.2 भौतिक दक्षता पौरामीटर्स

वस्तुओं का वर्ग	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)		औसतन टी आर टी (दिन)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1. ड्राई बल्क (यांत्रिक.)	26,080	26,333	0.06	0.06	2.43	2.64
2. ड्राई बल्क (परंपरागत)	8,367	8,863	0.05	0.06	4.37	3.95
3. तरल बल्क	16,984	16,631	0.04	0.04	1.75	1.79
4. ब्रेक बल्क	2,753	2,354	0.06	0.09	5.89	4.15
5. कंटैनर्स	27,793	30,697	0.05	0.04	1.07	0.97
6. निवल	12,865	14,901	0.05	0.05	2.80	2.48

पी बी डी रू प्री बर्थिंग अवरोध, टी आर टी रू आवर्तन काल, ओ एस बी डी रू प्रति जहाज घाट दिवस उत्पादन

3.3 प्रति जहाज घाट दिवस अधिकतम उत्पादन के साथ कार्गो (ओ एस बी डी) :

(टनों में)

क्र सं.	वस्तु	2020-21	पिछला उत्तम	वर्ष
1.	थर्मल कोल	19,621	19,254	2019-20
2.	एलपीजी	12,452	12,338	2019-20
3.	स्टीम कोल (परंपरागत)	11,573	11,134	2019-20
4.	आयात पेट्रोलियम कोक	8,997	8,928	2016-17
5.	आंध्रासाईट कोल	8,635	8,544	2016-17

3.4 प्रति जहाज घाट दिवस (ओएसबीडी) के उत्पादन का वस्तुवार विवरण तथा औसतन पार्सल

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क यांत्रिक दृ विदेशी	26,667	27,865	63,965	59,938
2. लोहा पिल्लेट्स – विदेशी	32,242	---	51,395	---
3. लोहा अयस्क यांत्रिक. – तटीय	31,610	27,342	54,394	57,082
4. लोहा पिल्लेट्स यांत्रिक –तटीय	41,060	44,486	75,808	91,649
5. अल्युमिना पाऊडर	19,992	18,887	30,374	30,265
6. गंधक दृ एफबी पर	---	8,999	---	12,468
7. रॉक फास्फेट एफ बी	4,504	4,714	36,129	34,806
8. कोकिंग कोल	20,205	20,061	52,481	52,128
9. स्टीम कोल	20,928	24,210	80,662	80,038
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	26,080	26,333	59,636	64,770
ख. ड्राई बल्क (परंपरागत)				
10. लोहा अयस्क	8,881	8,637	45,335	41,981
11. लोहा पिल्लेट	12,563	9,020	41,470	22,051
12. अन्य उर्वरक	6,797	6,710	27,368	26,031
13. क्यू बी पर गंधक	4,632	5,187	18,682	18,589
14. रॉक फास्फेट – क्यू बी	5,539	5,755	29,878	25,472
15. क्यू बी में उर्वरक	7,023	7,059	33,848	39,302
16. कोकिंग कोल	17,136	14,300	44,848	49,373
17. थर्मल कोल	19,621	19,254	49,652	37,314
18. लाईम स्टोन	7,516	8,165	29,011	33,355
19. लौम कोक	4,181	4,285	18,135	15,971
20. बी एफ स्लौग	13,775	17,078	72,512	51,470
21. स्टीम कोल	11,573	11,134	53,732	52,410
22. पेट कोक (आयात)	8,997	8,646	32,294	35,754
23. सी पी कोक (निर्यात)	4,851	6,742	16,614	18,789
24. जिप्सम	6,376	9,442	47,124	39,955

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
25. मौजी (बल्क)	4,132	—	23,876	—
26. सी.पी.कोक (आयात)	4,023	3,399	22,435	20,136
27. आंत्रासाईट कोल	8,635	6,983	38,265	25,677
28. लोहा अयस्क (आयात)	8,652	12,484	40,515	46,932
29. अन्य ड्राई बल्क	3,154	4,021	9,523	
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	8,367	8,863	35,269	33,536
ग. तरल बल्क				
30. निर्यात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	9,043	8,391	18,744	16,522
31. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	7,169	7,845	11,038	12,914
32. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- बा बं	14,660	14,643	27,119	33,949
33. एल पी गौस	12,452	12,338	24,707	24,963
34. आयात क्रूड ऑयल	56,755	59,974	108,883	1,01,085
35. यानांतरण क्रूड ऑयल	46,351	48,047	56,008	2,57,334
36. (नि)(ओएच) क्रूड ऑयल का यानांतरण	41,278	58,059	45,005	51,467
37. यानांतरण पी ओ एल उत्पाद्य	31,600	28,933	28,658	28,509
38. निर्यात पीओएल का यानांतरण	24,816	24,539	28,096	27,119
39. फास्फारिक एसिड	8,101	8,989	7,734	9,182
40. कार्बिक सोडा	9,872	9,134	14,574	14,574
41. तरल अमोनिया	6,253	6,769	6,741	6,790
42. माल्टेन गंधक	7,851	8,856	7,898	11,418
43. स्टेरीन मोनोमार	4,205	6,578	5,892	6,167
44. निर्यात पीओएल बा.बं.	12,567	12,404	28,664	19,224
45. एथिलिनी आल्काहॉल	2,860	3,618	4,953	5,722
46. सल्फ्यूरिक एसिड	9,459	9,632	11,960	12,180
47. बयो डीज़ल	3,652	4,539	2,984	6,623
48. एडिबिल ऑयल	—	5,388	—	9,485
49. अन्य रसायन	4,934	5,162	6,503	5,304
कुल तरल बल्क	16,984	16,631	27,353	27,280

वस्तु	ओ एस बी डी (टन)		औसतन पीबीडी (दिन)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
घ. ब्रेक बल्क				
50. खाद्यान्न (बोरें) – (एफ)	1,321	---	19,888	---
51. इस्पात कार्गो (आयात)	3,768	2,780	23,190	14,283
52. पिग आयरन	5,400	---	18,770	---
53. आयात सामान्य कार्गो	1,545	639	3,639	686
54. निर्यात सामान्य कार्गो	292	2,300	582	13,106
55. उर्वरक (बोरें)	1,807	2,356	11,534	14,761
56. ग्रेनाईट ब्लॉक्स (निर्यात)	2,446	2,988	7,481	9,461
कुल ब्रेक बल्क	2,753	2,354	15,800	9,108
च. कंटेनर कार्गो	27,793	30,697	26,407	26,256
कुल योग	12,865	14,901	34,204	34,581

3.5 वस्तुवार औसतन प्री बर्थिंग अवरोध (पोर्ट लेखा) और औसतन आवर्तन काल

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
क. ड्राई बल्क (यांत्रिक)				
1. लोहा अयस्क (एफ)	1.17	1.20	2.53	2.45
2. लोहा पिल्लेट्स (एफ)	1.65	—	1.75	—
3. लोहा अयस्क (सी)	1.98	1.73	1.88	2.24
4. लोहा पिल्लेट्स (सी)	0.89	1.31	1.96	2.19
5. अल्यूमिना	1.84	1.28	1.69	1.75
6. एफ बी पर गंधक	—	2.25	—	1.56
7. रॉक फास्फेट एफ बी	0.70	1.56	8.27	7.82
8. कोकिंग कोल	1.44	1.70	2.75	2.80
9. स्टीम कोल	1.32	0.84	3.99	3.43
कुल ड्राई बल्क (यांत्रिक)	1.38	1.32	2.43	2.64
ख. ड्राई बल्क (पर)				
10. लोहा अयस्क	0.92	1.17	5.29	5.02
11. लोहा पिल्लेट्स	1.02	1.23	3.44	2.57
12. अन्य अयस्क	0.99	0.90	4.17	4.02
13. क्यू बी पर गंधक	1.53	4.25	4.19	3.87
14. क्यू बी पर रॉक फास्फेट	0.61	1.17	5.53	4.58
15. क्यू बी पर उर्वरक	1.35	1.82	4.98	5.75
16. कोकिंग कोल	0.96	1.01	2.78	3.62
17. थर्मल कोल	1.18	1.06	2.67	2.08
18. स्टीम कोल	1.36	1.21	4.81	4.87
19. लाईम स्टोन	1.64	1.89	4.04	4.27
20. जिप्सम	0.61	0.80	7.53	4.37
21. मौजी बल्क	0.70	—	5.90	—
22. लेम कोक	0.82	0.76	4.47	3.86
23. बी.एफ.स्लाग	—	1.00	5.38	3.18
24. पेट कोक (आयात)	1.42	1.47	3.75	4.30

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
25. सी.पी. कोक (निर्यात)	1.78	2.45	3.59	2.99
26. सी.पी. कोक (आयात)	—	0.54	5.67	6.02
27. आंत्रासाईट कोल	1.88	0.93	4.62	3.81
28. अन्य ड्राई बल्क	0.84	2.65	3.13	2.23
29. आयात लाहा अयस्क	0.82	0.58	4.83	3.92
कुल ड्राई बल्क (परंपरागत)	1.09	1.45	4.37	3.95
ग. तरल बल्क				
30. निर्यात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	0.95	0.85	2.21	2.10
31. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- आं बं	0.63	1.05	1.65	1.79
32. आयात पी ओ एल उत्पाद्य- ब बं	0.63	0.70	1.98	2.50
33. एल पी गौस	1.00	0.70	2.12	2.14
34. आयात क्रूड ऑयल	1.00	1.12	2.06	1.85
35. यानांतरण क्रूड ऑयल	0.67	1.00	1.45	6.01
36. निर्यात क्रूड ऑयल का यानांतरण आं.बं.	0.92	1.11	1.24	1.12
37. यातनांतरण पीओ एल उत्पाद्य	0.48	1.57	1.02	1.16
38. निर्यात पीओएल का यानांतरण आं.बं.	1.38	0.90	1.26	1.22
39. फास्फारिक एसिड	1.30	0.64	1.10	1.15
40. कार्बोस्टिक सोडा	0.92	0.94	1.61	1.89
41. तरल अमोनिया	1.33	1.07	1.23	1.15
42. माल्टेन गंधक	1.07	2.15	1.14	1.47
43. स्टेरीन मोनोमार	3.54	1.21	1.60	1.06
44. सल्फ्यूरिक एसिड	1.18	1.93	1.43	1.44
45. अन्य तरल	1.98	1.11	1.48	1.15
46. बयो डीज़ल	1.81	0.97	0.96	1.60
47. निर्यात पीओएल का यानांतरण बां.बं.	1.50	0.61	2.46	1.68
48. एथिलिनी आल्काहॉल	3.03	1.42	2.00	1.77
49. एडिबिल ऑयल	—	1.00	—	2.44
कुल तरल बल्क	1.02	1.03	1.75	1.79

वस्तु	ओ एस बी डी (पोर्ट लेखा) (घंटों में)		औसतन पीबीडी (दिनों में)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
घ. ब्रेक बल्क				
50. आयात सामान्य कार्गो	1.83	3.90	2.55	1.32
51. निर्यात सामान्य कार्गो	—	0.86	2.08	5.86
52. इस्पात कार्गो (निर्यात)	1.74	1.41	6.32	5.29
53. पिग आयरन	1.00	—	3.61	—
54. ग्रानाईट ब्लॉक्स	0.83	1.12	3.18	3.31
55. उर्वरक थौली	1.06	1.44	6.53	6.80
56. आयात इस्पात	2.42	—	2.41	—
कुल ब्रेक बल्क	1.36	2.04	5.89	4.15
च. कंटेनर्स	1.23	0.98	1.07	0.97
कुल योग	1.15	1.22	2.80	2.48

अन्य विवरण अनुलग्नक 13,14 एवं 15 में दिए गये हैं ।

3.6 शिफ्ट का प्रति गैंग कार्मिकों का निष्पादन रु

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति शिफ्ट गैंग का उत्पादन 714 टन था ।

आगे का विवरण अनुलग्नक 16 में दिये गये हैं ।

4.0 अयस्क संभलाई संकुल

4.1 अयस्क संभलाई संकुल के तीन टिप्पलर्स ने अभिग्राही प्रणाली द्वारा 2020–21 में 1,784 रैकों का टिप्पल किया गया, जबकि वर्ष 2019–20 में 1,558 रैकों को टिप्पल किया गया था। मेन्युअल साईडिंग पर 61 रैकों की उतराई की गई। 78.98 लाख टन का लोहा अयस्क प्राप्त किया गया और यांत्रिकी रूप से टिप्पल किया गया।

4.2 वैगन टिप्पलर्स का निष्पादन :

विवरण	2020–21	2019–20
टिप्पल रैकों की संख्या	1,853	1,593
– यांत्रिक	1,785	1,558
– हस्तगत	68	35
टिप्पल वैगनों की संख्या	1,06,496	77,568
– यांत्रिक	1,03,015	75,421
– हस्तगत	3,481	2,147
खाली समय में टिप्पल की गई रैकों की संख्या	698 (39%)	888 (57%)
वैगन को टिप्पल करने में लगा औसत समय (मिनट)		
द्विन टिप्पलर	2.10	2.11
तीसरा टिप्पलर	1.43	1.40

टिप्पल किये गये रैकों की बारंबारता वितरण

प्रति दिन रैक	वर्ष में दिन	
	2020–21	2019–20
6 तक	263	327
7 से 8	85	37
9	14	2
10	3	—
11	—	—
12 और उससे अधिक	—	—
टिप्पल नहीं किये गये दिन	—	—
कुल	365	366

4.3 बाह्य बंदरगाह में अयस्क संभलाई संकुल के शिपिंग प्रणाली ने 213 लोहा अयस्क जलयानों से 135.74 लाख टनों का लोहा अयस्क तथा पिल्लेटों की संभलाई की गई।

4.4 लदान दर का बारंबार वितरण (प्रचालन घंटों पर आधारित) : (जलयानों की संख्या)

उत्पादन (टन)	2020-21	2019-20
40,000 टन से कम	34	9
40,000 से 50,000 टन	38	22
50,000 से 60,000 टन	64	35
60,000 से 70,000 टन	53	39
70,000 से 80,000 टन	20	47
80,000 से अधिक	—	30
कुल	209	182

4.5 चालू वित्तीय वर्ष में विशाखपट्टणम पोर्ट द्वारा अट्ठाईस निर्यातकों ने लोहा अयस्क और लोहा अयस्क पिल्लेटों का निर्यात किया गया ।

5.0 पोर्ट रेल्वे

5.1 वर्ष 2020-21 में पोर्ट रेल्वे द्वारा 32.38 मि.टन यातायात का संचालन किया गया ।

(मिलियन टन)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19
प्राप्त लोहा अयस्क	8.15	6.92	3.98
प्राप्त सामान्य	7.97	3.75	4.17
प्रेषित सामान्य	16.26	21.46	19.39
कुल	32.38	32.13	27.54

5.2 संभलाये गये वैगनों की संख्या – सामान्य यातायात :

पोर्ट रेल्वे ने वर्ष 2020-21 में 4 पहियों के मामले में (लोहा अयस्क के अलावा) 16.77 लाख वेगन यूनिट्स की संभलाई की जब कि वर्ष 2019-20 में 18.89 लाख वेगन यूनिट्स की ।

वर्ष	वेगन यूनिटों की संख्या		
	प्राप्त	प्रेषित	कुल
2020-21	838,905	838,280	1,677,185
2019-20	944,190	944,368	1,888,558
2018-19	851,628	851,095	1,702,723
2017-18	808,328	807,998	1,616,326

वेगन यूनिटों की औसतन संख्या (चौपहियों के संबंध में) (लोहा अयस्क के अलावा)

विवरण	2020-21	2019-20
प्रति दिन प्राप्त वैगन यूनिटों की औसत संख्या	2,298	2,580
प्रति दिन प्रेषित वैगन यूनिटों की औसत संख्या	2,297	2,580

अन्य विवरण अनुलग्नक 17 एवं 18 में दिये गये हैं ।

5.3 संभलाये गए रैक्स की संख्या – लोहा अयस्क (यांत्रिक और हस्तचालित)

विवरण	ओ एच पी	मैनुअल साईडिंग्स	कुल
प्राप्त रैक	1,784 (1,558)	61 (35)	1,845 (1,593)
टिप्पल / उत्तराई रैक	1,784 (1,558)	61 (35)	1,845 (1,593)
टिप्पल / उत्तराई वेगन	1,03,402 (75,421)	3,570 (2,147)	1,06,972 (77,568)
प्राप्त की गई मात्रा (लाख टनों)	78.98 (69.23)	2.57 (3.43)	81.55 (72.66)

(कोष्टकों में आंकड़ें 2019–20 से संबंधित हैं)

अन्य विवरण अनुलग्नक 19 एवं 20 में दिये गये हैं ।

6.0 कार्गो संभलाई उपकरण का उपयोग

विवरण	% उपलब्धता		% उपयोगिता	
	मानक	वास्तविक	मानक	वास्तविक
विद्युत वार्फ क्रैन	67	100	23	6
लोकोमोटिव	95	94	78	76

अन्य विवरण अनुलग्नक 21 में दिये गये हैं ।

7.0 निकर्षण

7.1 पूंजी निकर्षण

वर्ष 2020–21 के दौरान आंतरिक बंदरगाह में 0.1740 लाख क्यू.मी. की पूंजी निकर्षण की गई ।

7.2 अनुरक्षण और निक्षेप निकर्षण

• पोर्ट ड्रेजर :

पोर्ट ड्रेजर जी एच डी सागर दुर्गा को आंतरिक बंदरगाह और बाह्य बंदरगाह तथा मत्स्य बंदरगाह के विविध क्षेत्रों में नियोजित किया गया । वर्ष के दौरान पोर्ट ड्रेजर ने 0.3082 लाख क्यू. मी. मात्रा का अनुरक्षण निकर्षण और 0.0418 लाख क्यू.मी. का जमा निकर्षण किया गया । वर्ष के दौरान पोर्ट ड्रेजर और ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1.8228 कुल मात्रा ड्रेजिंग किया गया । इस प्रकार पोर्ट ड्रेजर और ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनुरक्षण और जमा निकर्षण के अंतर्गत कुल 2.1728 लाख क्यू.मी. मात्रा का निकर्षण किया ।

प्रधान निकर्षण और अनुरक्षण के रूप में 0.1740 लाख क्यूबिक मीटर अन्य कंपनी के ड्रेजरों द्वारा तथा 2.1728 लाख क्यूबिक मीटर की मात्रा में निकर्षण किया गया और वर्ष के दौरान निकर्षित कुल मात्रा 2.3468 लाख क्यूबिक मीटर था ।

विवरण अनुलग्नक – 22 एवं 23 में दर्शाया गया ।

8.0 सामानसूची प्रबंधन

- सामान सूची स्टॉक मद वर्ष 2020–21 में 365 था जबकि 2019–20 में 365 थी ।
- वर्ष 2020–21 के लिए गैर न्यूनतम स्टॉक मदें (एनएमएस) 76 हैं जबकि 2019–20 में 76 थी ।
- वर्ष के दौरान प्राप्त कुल माँग / आवश्यकताओं की संख्या 347 है ।
- वर्ष के दौरान कुल क्रय आदेशों की संख्या 310 हैं ।
- वर्ष में उपभोग्य वस्तुओं का अनुपालन प्रतिशत 89.06: है ।
- सामान्य स्टोर्स डिपों की मालसूची रु. 4.31 करोड़ है ।
- वर्ष के दौरान कुल रु. 3.71 करोड़ मूल्य की मदों का निपटारा किया गया ।

9. पूँजी व्यय :

9.1 वर्ष 2020–21 के दौरान किये गये पूँजी कार्यों का पूर्णयोग रु.100.28 करोड़ है जबकि 2019–20 रु.100.28 करोड़ था । 2020–21 के दौरान पूँजी व्यय का विवरण इस प्रकार हैं :

(रूपये करोड़ों में)

पूँजी व्यय	2020–21	2019–20
योजना कार्य		100.28

9.2 वर्ष 2020-21 में योजना और गौर योजना कार्यों पर पूँजी व्यय का विवरण अनुलग्नक 26 में हैं।

9.3 वर्ष 2020-21 में मंजूर किये गये, पूरा एवं प्रारंभ किये गये कार्य :

विवरण	मंजूर किया गया		समाप्त एवं प्रारंभ किया गया		पिछले वर्षों में स्वीकृत और प्रगति पर रहे	
	योजनाओं की संख्या	पूँजी लागत (लाख रुपये)	योजनाओं की संख्या	पूँजी लागत (लाख रुपये)	योजनाओं की संख्या	पूँजी लागत (लाख रुपये)
योजना कार्य						
सिविल	13	6439.65	9	731.98	5	24735.40
यांत्रिक	7	6640.18	1	395.00	8	1326.58

विवरण अनुलग्नक 27 से 32 में हैं।

मानव संसाधन विकास :

1.0 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा। हलांकि एक अवसर पर कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर दिनांक 26 नवंबर, 2020 को अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल में भाग लिये हैं।

विवरण अनुलग्नक-38 पर दिया गया है।

2.0 स्टाफ की संख्या और मानव संसाधन विकास

स्टाफ की संख्या का विवरण – अनुलग्नक –33 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान चुकाये गये वेतन और मजदूरी का विवरण –अनुलग्नक – 34 में दिया गया है। दि. 31.03.2021 तक अ जा / अ ज जा के आरक्षण का विवरण –अनुलग्नक-35 में दिया गया है।

2.1 कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा 79 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। 1,338 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं।

विवरण	प्रशिक्षित कर्मचारियाँ
अधिकारी	141
पर्यवेक्षक	257
लिपिक वर्गीय स्टाफ	316
कर्मकार	443
कें.औ.सु.ब.	30
अन्य	151

2.2 अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 और वीपीटी में संशोधन अधिनियम 1973 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण को महामारी कोविड –19 को देखते हुए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

3.0 कल्याणकारी गतिविधियां :

3.1 चिकित्सा सुविधाएं :

- पोर्ट कर्मचारियों के लिए रोग निरूपण तथा इलाज के लिए चिकित्सा के संपूर्ण उपकरणों से सज्जित 100 पलंग सहित पोर्ट अस्पताल कार्य कर रहा है ।
- मेडिकल, सर्जिकल, गायनिक, आर्थो, इ एन टी, आन्थाल्मिक, पीडियाट्रिक्स, आन्कोलजी, कार्डियॉलजी, नेफ्रालजी तथा चर्मरोग के लिए विशेषज्ञों का क्लिनिक चल रहा है । अस्पताल में जांच सेवाएं जैसे कि क्लिनिकल तथा बायो केमिकल लेबोरेटरी, 500 एम ए एक्सरे प्लैंट के साथ रेडियोलॉजी, आल्ट्रा साउंड स्कैनर तथा ईसीजी डेंटल आदि की व्यवस्था है । डाइट अनुभाग तथा फिजियोथेरेपी युनिट है ।
- 12 डॉक्टर्स और सुपर स्पेशाल्टी जैसे कॉर्डियालजि, यूरोलजी, गॉस्ट्रोएंटरॉलजी, नेफ्रालजी और आन्कोलजी आदि के 26 विविध विशेषज्ञ विजिटिंग परामर्शक डॉक्टर्स उपलब्ध है । इसके अलावा अस्पताल में आयुर्वेद तथा होमियोपथी क्लिनिक भी शुरू किया गया है ।
- उपर्युक्त के अलावा बच्चों को पोलियो, डी पी टी, चेचक से बचाने टीकाकरण के लिए हर बुधवार और शनिवार को कार्य कर रहा है । एईड्स सेल, इंटेंसिव केयर यूनिट, विशेष उपकरणों के साथ छोटे और बड़े सर्जिकल आपरेशन्स करने के लिए टिन एयर कंडीशन आपरेशन थियेटर्स अस्पताल में उपलब्ध है ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति पत्नियों के लिए, कें.औ.सु.ब. तथा पोर्ट स्कूल एवं कॉलेज में कार्य करने वाले स्टाफ उनके आश्रितों के लिए भी चिकित्सा सुविधा विस्तार किया गया ।
- कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्पेशलाईज्ड कार्पोरेट अस्पतालों में सुपर स्पेशालिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है ।
- कर्मचारियों, श्रमिकों, और उनके बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिनामुशिडिवाडा में एक और डॉक एरिया के पास एक शाखा औषधालय हैं ।
- पोर्ट इंडोर स्टेडियम में अप्रैल, 2020 से नवंबर 2020 तक पोर्ट कर्मचारी / अधिकारी / पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से कोविड प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए उन्हें उच्च प्रोटीन भोजन प्रदान करते हुए 40 पलंग का एक कोविड-19 देखभाल केंद्र को स्थापित किया गया ।

निष्पादन विवरण :

की गई लैबोरेटरी जाँच की संख्या	2.92 लाख
इलाज किये गये वाह्य रोगियों की संख्या	3.15 लाख
भुगतान पर इलाज मामलों की संख्या	22
भुगतान मामलों से प्राप्त आमदनी (केबिन प्रभार)	0.01 लाख

औषधालयों में कार्यचालन :

मुख्य अस्पताल / डिस्पेंसरी	इलाज किये गये मरीजों की संख्या
1. जी जे एच मुख्य अस्पताल	2,96,531
2. पोर्ट एरिया डिस्पेंसरी	17,713
3. चिनमुशिडिवाडा डिस्पेंसरी	6,485
कुल	3,20,729

क्लिनिकों का कार्यचालन :

विवरण	2020-21	2019-20
प्रतिरक्षण किये गये मामलों की संख्या	72	105
पोलियो वौक्सीनेशन की संख्या	90	53
हेपाटिटिस-बी वौक्सीनों की संख्या	26	19
बी सी जी	12	8
डी पी टी	22	20
एम एम आर	14	13
मीजल्स	---	---

व्यवसायिक स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक :

वर्ष 2020-21 को क्लिनिक में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारियों की सं. 1911 है ।

आंतरिक रोगी सेवायें :

विवरण	2020-21	2019-20
भर्ती किये गये रोगियों की संख्या	3,260	2,556
किये गये आपरेशन्स की सं. (बड़े/छोटे)	3,572	4,478
किये गये प्रसवों की संख्या	12	9

परिवार कल्याण :

विवरण	2020-21	2019-20
किए गए टयूबेक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	05	03
किए गए वेसक्टोमी ऑपरेशन्स की संख्या	03	04

चिकित्सा परीक्षा :

वर्ष 2020-21 के दौरान नये भर्ती / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति / आवधिक दृष्टि परीक्षण आदि के लिए परीक्षा किये गये मामलों की सं.86 है ।

प्रथमोपचार केन्द्र :

वर्ष 2020-21 के दौरान 2,783 प्रथमोपचार मामलों का इलाज किया गया जबकि वर्ष 2019-20 में 2,452 था ।

डी-एडिक्शन क्लिनिक :

विवरण	2020-21	2019-20
पंजीकृत मामले (संचित)	72	160
शराब की लत छुड़ानेवाले मामलों की संख्या	190	137
इलाज किये जा रहे मामलों की संख्या	10	17

सफाई :

क्वे बर्थ से 3 कि.मी. की परिधि में तथा आवासीय कोलनियों में भी मच्छर नाशक उपाय नियमित और प्रणालीबद्ध रूप से किये गये। नियमित रूप से ऐंटी-रोडेंट उपाय किए गए हैं।

3.2 शिक्षा :

सालिग्रामपुरम पोर्ट आवास कॉलनीयों में एक (vii से x तक कक्षाएं हैं) हाई स्कूल है और एक प्राथमिक विद्यालय (iv से v तक कक्षाएं हैं) चल रहे हैं ।

दो स्कूलों में छात्रों की संख्या 328 था। स्कूल में 22 टीचिंग स्टाफ एवं 11 नॉन टीचिंग स्टाफ थे।

विवरण निम्नांकित है :

विवरण	शिक्षण स्टाफ	गैर-शिक्षण स्टाफ	विद्यार्थियों की सं.
सालिग्रामपुरम			
प्राईमरी स्कूल गोदावरी	2	2	57
हाई स्कूल गोदावरी	14	7	392
कुल	16	9	328

इसके अतिरिक्त 6 शैक्षणिक कर्मचारी और 2 गैर शैक्षणिक कर्मचारी पोर्ट के कार्यालयों में काम कर रहे हैं ।

3.3 आवास :

- दि. 31-03-2021 को पोर्ट एवं सी एच डी के कार्मिकों को आंबटित क्वार्टरों की सं.490 है। आगे, आंबटित क्वार्टरों का विवरण अनुलग्नक-36 में दिया गया है।

3.4 खेल-कूद :

- वर्ष के दौरान आयोजित की जानेवाली खेल-कूद गतिविधियों को कोविड-19 महामारी प्रभाव को देखते हुए अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था।

बाल दिवस समारोह एवं सम्मर कोचिंग कैंप :

- वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले बाल दिवस समारोह और सम्मर कोचिंग शिबिर गतिविधियों को कोविड-19 महामारी प्रभाव को देखते हुए अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था।

50 वीं वार्षिक अंतर्विभागीय खेल-कूद :

- वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले अंतर्विभागीय खेल-कूद गतिविधियों को कोविड-19 महामारी प्रभाव को देखते हुए अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था।

3.5 अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ :

- पोर्ट ने रू. 25 लाख बजट के साथ कल्याण निधि की व्यवस्था की, इस से निम्न लिखित कल्याण कार्य किए गए हैं :
- पोर्ट ने कर्मचारी / कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
- इंटरमीडियट तक पब्लिक परीक्षा में पहले तीन रैंक हासिल करने पर और इंटरमीडियट के बाद स्तर में पहले दो रैंक प्राप्त करने वाले पोर्ट कर्मचारी के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति।
- रोग से पीड़ित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता का प्रवाधान दी गई।
- पिकनिक आयोजित करने के लिए प्रति कर्मचारी को रू.40/- के हिसाब से कर्मचारियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- कैंटीनों को संरचना के लिए वित्तीय सहायता दी गई। निःशुल्क विद्युत और पानी आपूर्ति कर रही है।
- विभिन्न कार्यस्थलों में लंच-कम-रेस्ट रूम का प्रवाधान दी गई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान 15 परिवार विवाद मामले प्राप्त किये गये है और बेहतर जीवन के लिए उनका काऊंसिलिंग किया गया।
- वर्तमान में विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को शादी के लिए श्री सीतारामा कल्याण मंडपम आंबटित किया जाता है।

- विविध स्थलों पर कर्मचारी और उनके परिवारों के लाभ के लिए एक होमियो अस्पताल व्यवस्थित किया गया।
- पोर्ट के कर्मचारी और उनके बच्चों के लिए जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद और चेन्नै द्वारा आयोजित के हिंदी परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- पोर्ट कर्मचारियों और पोर्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्होंने हिन्दी परीक्षा पास होते हैं।
- देहांत हुई सेवारथ कर्मचारियों को पोर्ट द्वारा प्रदान किए गए गृह निर्माण अग्रिम का भारी शेष रकम की बाधा से मुक्त होने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ने गृह निर्माण अग्रिम परिवार सुरक्षा पारस्परिक निधि योजना नामक एक योजना का विकसित किया।
- पोर्ट ने कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर कृत्रिम अवयव की व्यवस्था करती है।
- ₹. 1,000 /- तक चश्मे की लागत पर और 31 कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की गई।
- दिवंगत कर्मचारी के दहन संस्कार के लिए उनके परिवार को अनुकंपा निधि से प्रति परिवार को ₹. 10,000 /- रकम के हिसाब से कुल 33 परिवारों को दिया गया।
- पोर्ट कर्मचारियों के बीच खेल-कूद आयोजित करने के लिए कल्याण निधि ₹. 1,00,000 /- रकम खर्च किया गया।
- सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कल्याण निधि से ₹. 10,000 /- रकम के लिए बजट प्रावधान की गई।
- पोर्ट कर्मचारी और उनके परिवार सदस्यों को लेजर सर्जरी कराने के लिए 50: या 15,000 /- जो कम होता पुर्नभुगतान करने की व्यवस्था की गई।
- पोर्ट की राजस्व निधि से 8 मार्च 2021 को आयोजित किया गया महिला दिवस के लिए ₹. 2,30,000 /- रकम मंजूर किया गया।
- कल्याण निधि से दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-37 में दिया गया है।

सुरक्षा उपाय

- पोर्ट में सुरक्षा प्रचालन के लिए जोखिम / खतरनाक कार्गो की संभलाई के लिए शीघ्र चेतावनी आदि हेतु गैस सेंसार जैसे तकनीकी पद्धतियों की स्थापना की गई है।
- पोर्ट प्रचालनों में लीगल फ्रेम वर्क का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डॉक प्रचालनों में आई एम डी जी कोड, संबंधित विनियम सुनिश्चित किये गये है।
- कार्गो संभलाई क्षेत्रों में तकनीकी प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों का कार्यचालन का निरीक्षण करने हेतु लोकेशन स्पेसिफिक चेक लिस्टों का विकास किया गया।

- विभिन्न कार्यस्थलों में जोखिम निर्धारण एवं खतरे से संबंधित विश्लेषण (एचआईआरए) का अद्यतन किया गया और खतरे के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित किया गया।
- पोर्ट प्रचालनों में चौबीस घंटे सुरक्षा की निगरानी के लिए लंबी दूरी की नाईट विज़न केमरा के साथ सीसीटीवी नेटवर्क एकीकृत है।
- सभी उठाने वाले उपकरणों को आवधिक भार परीक्षण के साथ और वैधानिक रूप से प्रमाणित करके एकत्रित किया जाता है।
- कार्यस्थलों के स्तर में सुरक्षा मामलों को सुलझाने के लिए शॉप फ्लोर सुरक्षा समिति बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- उच्चतम सुरक्षा उपायों के साथ अमोनियम नाईट्रेट (खतरनाक कार्गो) को संभलाई करने वाला एक मात्र पोर्ट।
- डॉक एवं औद्योगिक परिचालनों में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन का मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर डॉक सेफ्टी, इंस्पेक्टर ऑफ फेक्टरीज़ जैसे प्रवर्तित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- कर्मियों में निपुणता का विकास हेतु कार्य पर सुरक्षा जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु पोर्ट के उपभोक्ता, ठेकेदार एवं कर्मचारियों को शामिल करते हुए दिनांक 4 से 10 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया।
- कार्य स्थलों में सुरक्षा पद्धतियों पर कर्मचारियों को जागृत करने और प्रेरणा देने के लिए विशेष रूप से एक स्ट्रीट प्ले तैयार किया गया और कार्य स्थलों पर प्रदर्शित किया गया।
- सभी पोर्ट प्रचालन और अन्य कार्य स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल, पीपीई और स्वच्छता उपायों को प्रभावी ढंग से किए गए हैं।
- वर्ष 2020 के लिए वि.पो.ट्र. को "ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड विजेता" प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2020-21 के दौरान दुर्घटना एवं दुर्घटनाओं में घायल कर्मकार आदि का विवरण अनुलग्नक 39 में दिया गया है।

दुर्घटना प्रबंधन योजना

- एक व्यापक दुर्घटना / संकट प्रबंधन योजना विकसित की गई है, मानक प्रचालन पद्धतियों के साथ दुर्घटना / संकट प्रबंधन योजना और जोखिम मूल्यांकन अध्ययन शामिल है।
- वीपीटी के पास किसी भी दुर्घटना / संकट से निपटने के लिए दो समूह हैं अर्थात् दुर्घटना प्रबंधन के लिए जिसमें अध्यक्ष और सभी विभागाध्यक्ष के साथ एक और हार्बर मास्टर, फायर आफिसर, कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, उप यातायात प्रबंधक और उप कमांडेंट भी शामिल करते हुए एक कार्रवाई समूह होते हैं।
- वीपीटी के पास अलग ऑयल स्पिल का संभाव्यता योजना है और पोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित फायर ब्रिगेड हैं। वीपीटी के पास प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने

के लिए कार्यवाही योजना विकसित की है। वीपीटी के पास 5 फायर टैंडर्स हैं और आवधिक रूप से उसकी लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

- वीपीटी ने आवधिक रूप से सभी परिदृश्यों के लिए मॉक ड्रिल और वही वृद्धि करने के लिए समीक्षा की जा रही है।

सुरक्षा

- विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट 02-02-2013 से समुद्री सुरक्षा के स्तर-1 में है। आई एस पी एस कार्यकलापों की समीक्षा हेतु जिला समाहर्ता एवं मेजिस्ट्रेट के साथ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, केंद्र एवं राज्य इंटरलिंग्स, फिशरीज, सीमाशुल्क के सदस्य सहित सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- पोर्ट ने वीपीटी में आये हुए जहाजों पर सुरक्षित और कुशल नौचालन के लिए वीटीएस (जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली) को स्थापित किया और प्रचालन जुटाया गया।
- वीपीटी द्वारा बम खोज उपस्कर प्राप्त किया गया और डीफ्यूजिंग स्क्वेड तैयार करने के लिए कार्रवाई की गयी है।
- आंतरिक एवं बाह्य बंदरगाह को संपूर्ण रूप से कवर करने के लिए क्लोज्ड सर्क्यूट टेलिविजन (सीसीटीवी) जैसी आधुनिक गेड्जेट्स लगाया गया। कें.औ.सु.बल द्वारा प्रवेश / निकासी गेटों पर चौबीस घंटे प्रचालन का निगरानी है।
- सभी 06 गेट (जीसीबी, डीएम, ईक्यू, डब्ल्यूक्यूएस, डब्ल्यूक्यू5, डब्ल्यूक्यू7 और एनडब्ल्यू सेंटर) पर आरएफआईडी आधारित गेट मैनेजमेंट सिस्टम।
- एंकरेज पर चौबीस घंटे निगरानी करने के लिए के. औ. सु. बल कार्मिकों के साथ एक हाईस्पीड पेट्रोल बोट फरवरी 2010 से किराये पर लिया गया है।
- रेडियोएक्टिव सामग्री का स्क्रीनिंग और संदूषण के लिए रेडियो एक्टिव डिटेक्शन उपस्कर प्राप्त किया गया और पूर्व क्वे -7 गेट पर स्थापित किया गया।
- आई एस पी एस कोड के अनुसार डी जी शिपिंग ने वर्ष 2014 के लिए आई एस पी एस नवीकरण सत्यापन लेखापरीक्षा का आयोजन किया और वि पो ट्र को अनुपालन स्टेटमेंट प्रमाण पत्र (एसओसी) दिया, जो दिनांक 19-05-2024 तक वैध है।
- आई एस पी एस कोड के अनुसार डी जी शिपिंग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा किया गया।
- मोबाईल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की स्थापना कार्य समाप्त हुआ है।

पर्यावरण प्रबंधन

- पर्यावरण एसए, इंडिया प्रा. लि., द्वारा तीन स्थानों पर एंबियंट एयर क्वालिटी का लगातार मानीटरिंग किया जाता है।

- उप मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक अधीक्षक अभियंता (पर्या), सहायक अभियंता (पर्या), एक प्रबंधक (पर्या) और कर्तव्य निष्ठा स्टॉफ के साथ अलग पर्यावरण कक्ष है ।
- वीपीटी एवं पीपीपी टर्मिनल्स पर ईएमएस का कार्यान्वयन पर मॉनीटरिंग करने के लिए वीपीटी ने आंतरिक टास्क फोर्स टीम को गठित किया और सी.सी. केमेराओं की माध्यम से सभी प्रचालन क्षेत्रों से पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए कमांड नियंत्रण केंद्र है ।
- पर्यावरण मॉनीटरिंग समिति (एपीपीसीबी, वरिष्ठ नागरिक, वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ, एनजीओस, पोर्ट उपभोक्ता, जीवीएमसी के अधिकारी, नेवी, सेईल एवं पाठशालाओं के प्रतिनिधियों) हर दो महीने में एक बार मिलते हैं ।
- वायु एवं जल अधिनियमों के अंतर्गत एपीपीसीबी का सहमति प्राप्त किया गया और दिनांक 31-12-2021 तक वैध है ।
- आई एस ओ 14001 के लिए बाह्य एजेंसियों द्वारा (आई आर क्यू एस) वार्षिक लेखापरीक्षा ।
- वर्ष 2002 में जी सी बी के पास कोल भंडारण यार्ड, डब्ल्यूओबी, एस-4 कन्वेयर की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में 4,75,000 एम² को कवर करने वाले यांत्रिक धूलि दमन प्रणाली को रु. 8.00 करोड़ की लागत पर खरीदा और प्रारंभ किया गया तथा वह प्रभावी है तथा चौबीस घंटे लगातार पानी छिडकाव का कार्यक्रम किया जाता है ।
- आर-4 एवं आर-10 के कार्गो भंडारण के पास वाटर टैंकर द्वारा तथा यांत्रिक धूलि दमन पद्धति द्वारा सड़कों पर पानी को छिडकने का कार्यक्रम चौबीस घंटे लगातार किया जाता है ।
- वाहनों के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली धूलि को दूर करने के लिए पानी के टैंकरों द्वारा लगातार चौबीस घंटे सड़कों को गीला किया जाता है । प्रति दिन टैंकरों द्वारा जल 275 ट्रिप्स लगभग (4.0 एमएलडी) का पानी छिडकाव किया जाता है और यांत्रिक धूलि दमन पद्धति द्वारा भंडारण क्षेत्रों में 3.0 एमएलडी पानी का छिडकाव किया जाता है ।
- ट्रकों को टारपालिन्स से ढकाते हैं ।
- घाट तथा स्टॉक यार्डों पर कार्गो का लदान/उतराई के समय उत्पन्न होने वाली धूलि का दमन करने के लिए रु. 0.90 करोड़ की लागत पर दो ट्रक माऊंटेड फॉग केनन नियोजित किया गया ।
- सड़कों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से मैनुअल स्वीपिंग ।
- भंडारण की ऊँचाई केवल छह मीटरों तक सीमित किया गया ।
- धूलि दमन प्रणाली, हाई-राईज़ एनक्लोजर्स, स्क्रीन आदि सहित आवश्यक पर्यावरण उपाय लिया गया ।
- सड़क द्वारा कार्गो चालन में महत्वपूर्ण धूलि प्रदूषण कमी का नियंत्रण ।
- शहर में मिलने वाली पोर्ट सड़कों के पास अर्थात बी रैंप और इस्सार जंक्शन तक शहर के

अंतरापृष्ठ सड़कों को साफ रखने के लिए रू. 85,00,000 /— की लागत पर यांत्रिक ट्रक टायर सफाई सुविधा, इसमें तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण शामिल है ।

- उचित पर्यावरण उपाय अर्थात् भंडारण क्षेत्रों के चारों ओर आर सी सी केर्ब दीवार की व्यवस्था, नाली सुविधा, एम डी एस एस तथा पौधारोपण करते हुए वर्तमान परिधी से अंदर को कोल स्टेकों को स्थानांतरित करते हुए स्टॉक यार्डों का पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया ।
- विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, अस्पताल को शामिल करते हुए कुल गोल्डेन जूब्ली अस्पताल के सीवेज 25 केएलडी को आपूर्ती, स्थापना और टेस्टिंग और प्रारंभ करने के लिए एफआरपी के आधार पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को संभलाई करने को दिया । 5 वर्षों की अवधि के लिए (आपूर्ती, स्थापना और टेस्टिंग और प्रारंभ प्रचालन और अनुरक्षण) अक्टूबर, 2019 को प्रारंभ किया और ओएवंएम प्रगति पर है ।
- विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के कच्चा सीवेज/ट्रीटेड 10 एमएलडी पानी को 3 वर्षों की अवधि के लिए सेंट्रिंग, एनालिसिस और टेस्टिंग करने मेसर्स प्रगति लेब्स एंड कन्सलटेंट्स (प्रा) लि., को दिनांक 02-08-2021 तक सौंपा गया यह प्रगति पर है ।
- कोविड-19 के दौरान जब पोर्ट चौबीस घंटे खुला और अन्य उद्योग बंद हो गए तो एंबियंट एयर क्वालिटी का स्तर सामान्य दिनों की तुलना में और कम हो गया । यह सूचित किया जाता है कि शहर में वायु प्रदूषण अकेले वीपीटी के कारण नहीं है ।

कोल भंडारण यार्ड (ईस्ट यार्ड) का इन्सुलेशन

- शहर के अंतरापृष्ठ में रू. 2.0 करोड़ की लागत पर ईस्ट यार्ड के पूर्वी दिशा तथा उत्तरी दिशा के कुछ भाग में 4 मीटर ऊँचाई वाली धूली निरोधक के साथ साथ 7.5 मीटर ऊँचाई वाली हाई राईज़ दीवार (कुल ऊँचाई 11.5 मी.) का निर्माण किया गया ।
- ज्ञानापुरम के पास आर-11 क्षेत्र पर 7.5 मीटर ऊँचाई वाली धूली निरोधक हाई राईज़ दीवार का निर्माण किया गया ।
- शहर के अंतरापृष्ठ में सीहार्स जंक्शन से कान्वेंट जंक्शन तक रू. 10 करोड़ की लागत पर 7.5 मीटर ऊँचाई वाली हाई राईज़ दीवार का निर्माण किया गया ।

वी पी टी के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में व्यापक वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग

- मेसर्स एन्विरॉनमेंट एसए, इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा पोर्ट के आवासीय कॉलनी तथा परिचालन क्षेत्रों में, वीजीसीबी, आर एवं डी यार्ड, जीवीएमसी स्टेडियम में लगातार व्यापक वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जाता है ।

जल प्रदूषण निवारक उपाय :

- हार्बर बेसिन में बिल्लज या बल्लास्ट वाटर छोड़ने से रोकने के लिए जहाजों पर नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य किया ।

- मेसर्स ए यू डी सी द्वारा 9 स्थानों में तिमाही के आधार पर सैको – केमिकल पैरामीटर्स के लिए बंदरगाह जल का विश्लेषण ।
- मेसर्स एस.वी. एन्विरो लेब्स एंड कन्सल्टेंट्स द्वारा अर्ध वार्षिक के आधार पर बेड सेंपिल्स प्राप्त करना ।
- तेल संभलाई प्रचालन के दौरान गिरने वाले तेल को हटाने के लिए फ्लोटिंग ऑयल बूम का प्रावधान किया गया ।
- फ्लोटिंग क्राफ्ट द्वारा मलवा और बहता कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करना ।
- सी डब्ल्यू पी आर एस द्वारा निर्धारित समुद्र के एक स्थल में निकर्षित मिट्टी का निपटारा ।
- उद्योगों को सख्त अनुदेश दिया गया कि व्यर्थ जल को पोर्ट जल में छोड़ने से पहले कूड़ा निकाल दे ।
- शहर से पोर्ट जल में आनेवाले सीवेज और सुल्लेज को संसाधित करने के लिए एक 10 एम एल डी सवीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत है । नारियल का खोपरा, प्लास्टिक बैग्स और अन्य ठोस बेकार चीजें आदि को नगर निगम डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है ।
- प्लावीयानों से आनेवाले तेलीय गंदगी से जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे जल को अलग "रिसेप्शन टैंक" में इकट्ठा किया जाता है ।
- सभी कार्मिकों को पानी में तेलीय पदार्थ नहीं फेंकने के लिए अनुदेश दिया गया है ।
- जल में किसी प्रकार के दुर्घटनात्मक छिडकाव से बचने के लिए ऑयल बेरल्स को रखने के लिए ट्रे की व्यवस्था की गयी है ।
- ऑयल ट्रान्सफर करते समय सावधानी बरती गयी है (जैसे कि सेव ऑयल ट्रे को ड्रिपिंग प्वाइंट्स के पास रखना) ।
- ऑयल ट्रान्सफर के लिए प्रयोग करने वाले होसेस बिगडने से बचने के लिए दबाव का आवधिक परीक्षण करना ताकि दाब के कारण फटने से रोका जा सके ।

ध्वनि प्रदूषण निवारक उपाय :

- भारी कार्गो वाहकों के आने जाने के लिए सडकों को चौड़ा करना और कार्पेटिंग करना ।
- ध्वनि स्तर को मापा गया तथा मॉनिटर किया गया ।
- टाउनशिप से जाने वाले कन्वेयर को आच्छादित किया गया ।

भूमि प्रदूषण निवारक उपाय :

- अनुरक्षण कार्य करते समय जमीन पर तेल गिरने से रोकने के लिए ड्रिप ट्रेस और सेव-ऑयल ट्रेस का प्रयोग किया गया ।
- बेकार तथा रद्ध सामग्री को समय समय पर निपटारा किया गया ।

तरल अवशिष्ट का निपटारा :

- एकत्रित तरल अवशिष्ट का निपटारा करने से पहले उसे सोडियम हाईड्रो क्लोराईड मिश्रण और ब्लीचिंग पौडर द्वारा संसाधित किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कैंटीन्स में एकत्रित अवशिष्ट को पद्धति पूर्ण तरीके से पानी से अलग करके केवल पानी को नाले में जाने दिया गया है।

खतरनाक अवशिष्ट का निपटारा :

- रेडियोलॉजी अनुभाग के अवशिष्ट को सुरक्षित निपटारे के लिए पृथक कंटेनर में इकट्ठा किया गया।
- खतरनाक अवशिष्ट जैसे कि तेलीय रूई को लुहार की दुकान में उर्जा संरक्षण के लिए पुनरुपयोग किया जाता है।
- उपयोग किया गया तेल और खराब बौटरी जैसे खतरनाक अवशिष्ट का निपटारा खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन एवं बौटरी प्रबंधन नियमों के अनुसार किया जाता है।
- बेटरी एसिड्स सेडिमेंट्स को 6 से 8 के बीच पीएच वेल्यु प्राप्त करने के लिए घोल बनाकर निपटारा करते हैं।

ठोस अवशिष्ट का निपटारा :

- पोर्ट एरिया और इसके आसपास के क्षेत्र के ठोस अवशिष्ट को बायोडीग्रेडबुल और नॉन-बायोडीग्रेडबुल तथा खतरनाक अवशिष्ट वर्ग के रूप में अलग किया जाता है और अलग कलर कोटेड डस्टबिन्स में एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से एकत्रित किये गये कूड़ा कर्कट को स्थानीय नगर निगम द्वारा निपटारा किया जाता है।
- ठोस अवशिष्ट जैसे कोरोडेड स्टील प्लेट्स, रबड के टुकडे, छांटे गये अतिरिक्तों/उपकरणों आदि का निपटारा नियमित रूप से किया जाता है।

बायो-मेडिकल अवशिष्ट का निपटारा :

- अस्पतालों और औषधालयों में एकत्रित बायो केमिकल अवशिष्ट का निपटारा अलग कलर कोटेड डस्टबिन्स में किया जाता है और यह डस्टबिन्स सरकारी प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा विशेष रूप से बनाये गये वाहनों के द्वारा एकत्रित किया जाता है और विशाखपट्टणम नगर निगम प्राधिकारी द्वारा नगर के बाहरी प्रदेश में व्यवस्थित की गयी आग भस्मक में भस्म होने के लिए डाल दिया जाता है।
- सभी इंजेक्शन्स और सिरंजी नीडिल्स को फिर से प्रयुक्त करने से बचने के लिए मानक के अनुसार एलक्ट्रीकल नीडिल टर्मिनेटर्स द्वारा टर्मिनेट करके फेंक दिया जाता है।

वी पी टी में प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन का अनुपालन के लिए प्रगति पर रहे और प्रस्तावित अध्ययन / कार्य :

- सड़क साफ करना, नालियों से तैरने वाला पदार्थ तथा कूड़ा कचड़ा निकालना और सड़क तथा स्टॉक यार्डों में पानी का छिड़काव आदि सहित विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन पद्धति रु. 6.94 करोड़ की लागत पर दो वर्ष की अवधि के लिए समाप्त हुआ । सड़कों पर पानी छिड़काव के लिए अन्य ठेके अर्थात् 01-03-2021 से प्रगति पर है ।
- सड़को का रखरखाव तथा उचित हाऊस कीपिंग सुनिश्चित करने के लिए "अऊटपुट पेरफार्मन्स ऑफ रोड़ कांट्राक्ट" का कार्य रु. 43 करोड़ की लागत पर परिचय किया जाता है।

वी पी टी द्वारा योजनाबद्ध ग्रीन बेल्ट :

- स्टॉक यार्डों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया । लगातार वृद्धि के लिए पिछले 2 दशकों से वी पी टी द्वारा पौधारोपण और पोर्ट क्षेत्र के चारों ओर अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट कार्यक्रम किया जाता है ।
- 1990 से, 630 एकड़ क्षेत्र मिलाकर पोर्ट प्रचालन क्षेत्र, आवास और पट्टण क्षेत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4,30,000 पौधारोपण किया जाता है ।
- दिनांक 12.10.2014 को हुई हुदहुद तूफान के कारण हरियाली क्षतिग्रस्त हुआ । खोया हुआ हरियाली को पुनरु स्थापित करने के लिए 2,40,000 पौधों का 2014-15 पहले ही पौधारोपण किया गया ।
- वर्ष 2020-21 के दौरान वीपीटी ने 1.02 पौधारोपण कार्य को लिया गया और रु. 3.87 करोड़ के लागत पर आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा एक लाख शेल्टर बेल्ट पौधारोपण किया गया ।

व्यर्थ पानी का रीसाईकिलिंग और पुनरु उपयोग :

- बंदरगाह के जल में शहर के गंदा पानी प्रवेश होने से पहले उसे इकट्ठा करके साफ करने हेतु एक 10 एमएलडी एसटीपी प्रचालन में है और इससे बंदरगाह जल की गुणवत्ता का रखरखाव किया जाता है ।
- इस प्रकार शुद्ध किया गया जल धूली दमन के लिए उपयोग किया जाता है अतरु स्वच्छ जल संसाधन सुरक्षित रहता है ।

ग्रीन एनर्जी :

- विशाखपट्टणम पोर्ट ने रु. 52.00 करोड़ की लागत पर 10 एम डब्ल्यू सोलार पावर प्लांट स्थापित करने के साथ ग्रीन इनीशियेटिव्स के अंतर्गत सोलार पावर जेनरेशन का पालन में मार्गदर्शन किया ।
- सोलार पावर का उत्पादन हेतु छत पर मिलने वाले जगहों का प्रभावि रूप में उपयोग किया । पोर्ट ने रु. 70 लाख की लागत पर गोल्डन जूब्ली अस्पताल में रूफ टॉप पर 100 केडब्ल्यू सोलार

पावर प्लांट की स्थापना की और रु. 49.50 लाख की लागत पर प्रचालन भवन के रूफ टॉप पर 190 केडब्ल्यू सोलार पावर प्लांट की स्थापना की ।

- रु. 5,09,940/- की लागत पर पोर्ट के कुछ क्षेत्रों में रोशनी के लिए प्रयोग के आधार पर सोलार एनर्जी का उपयोग किया जाता है ।
- विभिन्न कैंटीन तथा पोर्ट अतिथि गृह में रु. 9.02 निवेश करते हुए सोलार पावर वाटर हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है ।

ग्रीन हाऊस गैसेस की गति के खिलाफ ग्रीन तकनीकी की क्रांति :

- डीजल इंजनों के स्थान पर विद्युत रेल इंजनों का विकास के लिए प्रस्ताव करते हुए फॉसिल फ्यूल खपत को यथासंभव कम करना उसके द्वारा क्लीन फ्यूल तकनीकी का विकास में सहयोग देना ।

प्रदूषण के खिलाफ रोक के रूप में ग्रीन बेल्ट का विकास :

- संसदीय स्थाई समिति के सिफारिशों के अनुसार विश्व स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त ग्रीन बेल्ट विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी ।

स्वच्छ भारत अभियान :

- सड़कों का नियम रूप से साफ करना और डॉक क्षेत्र की सफाई के लिए यांत्रिक सफाई मशीनों का उपयोग किया जाता है ।
- दक्षिण सेक्टर और उत्तर सेक्टर के सभी साईनेज एवं बोर्ड को यूनिफॉम कलर कोड के साथ (पोर्ट का विलक्षण – हरा और सफेद) लिया गया ।
- सभी सेक्टरों में सड़क साईन का पेइंटिंग, फुटपात के अंत जीब्रा क्रसिंग आदि लिया गया ।
- दक्षिण सेक्टर और उत्तर सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों में सुन्दरीकरण और लैंडस्केपिंग का कार्य के लिए रु. 59.73 लाख लिया गया ।
- रु. 8.00 लाख की लागत पर खुले क्षेत्रों, रास्ते और कोनों में पौधारोपण किया जा रहा है ।
- सभी नालियों की लगातार सफाई / कूड़ा कचड़ा हटाना और मरम्मत करना ।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) :

- वीपीटी में अध्यक्ष / वीपीटी की अध्यक्षता में एक उपसमिति कार्य कर रहे हैं और सीमाशुल्क विंग से एक न्यासी, एक कार्मिक न्यासी, मुख्य अभियंता संयोजक, वि.स. एवं मु.ले.अ. और सचिव सदस्य है ।
- समिति ने सी.एस.आर. प्रस्तावों को आवधिक रूप से समीक्षा करती है, अभी नई प्रस्ताव, यदि कोई पाईपलाइन में प्रस्तावों का मॉनिटरिंग और सीएसआर समिति की माध्यम से निरीक्षण करता है ।

शिक्षा :

- वीपीटी ने कोविड-19 के कारण छात्रों को पुस्तकों का वितरण निलंबित कर दिया है । पिछले वर्ष के दौरान रू. 25.95 लाख की लागत पर 38 पाठशालाओं में 8,000 छात्रों को छात्रों को 1,16,425 नोट बुक्स वितरित किया गया ।

स्वास्थ्य :

- ओल्ड टारुन क्षेत्र के और अच्चियम्मा पेटा, मनोरमा थियेटर के पास के लोगों के लाभ के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, चिकि त्सा परीक्षण और दवाईयों का वितरण पर प्रति वर्ष रू. 34.20 लाख रूपये व्यय करते हुए वीपीटी ने दो नियमित मुफ्त स्वास्थ्य क्लीनिक चला रहा है ।
- वीपीटी ने 5 पाठशालाओं में नियमित रूप से शौचालयों के अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष रू. 1.02 लाख की खर्च कर रहा है ।

निपुणता का विकास :

बेरोजगार युवजन तथा महिलाओं को रोजगार / स्वयं रोजगार अवकाश सृजन करने की उद्देश्य से वीपीटी ने निपुणता विकास कार्यक्रम का डिजाईन किया। इसके लिए सिस्टामेटिक सांईटफिक मेथडॉलजी के साथ घर घर में सर्वे करते हुए अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का कार्य एक प्रीमियर एड्युकेशन इंस्टिट्यूट को दिया गया और पहचानित अभ्यर्थियों को निम्न लिखित में प्रशिक्षण दिया गया :

- वेल्लिंग टेक्नॉलजी
- फिट्टर टेक्नॉलजी
- सिलाई मशीन
- कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एवं एम एस आफीस

अन्य घटनाएं

1. ड्राई डॉकिंग

विवरण	पोर्ट ड्राई डॉक		
	2020-21	2019-20	2018-19
ड्राई डॉक नियोजित करने की दिनों की संख्या	396	329	132
पोर्ट क्राफ्टों की संख्या	5	9	4
बाहरी क्राफ्टों की संख्या	6	6	9
ड्राई डॉक से कुल आमदनी (रूपया लाखों में)	148.22	170.23	230.45

2. कार्यशालाएं

विवरण	पोर्ट कार्यशाला		ड्राई डॉक		ओ.आर.एस.	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
प्राप्त कार्यो की संख्या	358	283	289	381	741	653
पूरा किये गये कार्यो की संख्या	350	274	289	381	741	653

3. बंकर्स

(टनों में)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
आपूर्ति किये गये बंकर्स	1,17,605	69,361	76,893	76,903	66,574	26,001	26,458	26,243

4. जलापूर्ति

(लाख किलो लीटरों में)

जल के स्रोत	निम्न को आपूर्ति		पोर्ट की खपत	कुल
	जहाज	अन्य		
विशाखपट्टणम नगर निगम	—	3.95	7.90	11.85
वि.पो.ट्र. के अपने साधन				
संतमेड्डा रिजर्वायर	2.29	1.10	0.30	3.69
लोवा गार्डन्स	0.95	1.18	0.25	2.38
सालग्रामपुरम आवासीय कालोनी के.ओ.सु.बल				
कालोनी,खेल एवं सांस्कृतिक कांप्लेक्स में खुले कुएं	—	—	1.22	1.22
कुल	3.24	6.23	9.67	19.14

5. विद्युतशक्ति की खपत

उपभोक्ता	वर्ष में खपत की गयी विद्युत (लाख युनिट)				
	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
पोर्ट (सरकारी विभाग और पोर्ट से संबंधित प्राइवेट फर्म शामिल है)	73.28	82.44	89.90	177.72	263.94
पोर्ट के आवासीय भवन	30.91	31.00	25.16	27.82	31.06
कुल	104.19	113.44	115.06	205.54	295.00

6. राजभाषा कार्यान्वयन :

- वर्ष के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिन्दी में प्रशिक्षण 1976 में शुरू किया गया जो संतोषजनक रहा है। वर्ष के दौरान सभी सचिवीय स्टॉफ को समाप्त हुआ, 2 गौर सचिवीय कर्मचारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और हिन्दी टंकण और आशुलिपि परीक्षाओं के लिए योग्य बन गये।
- हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के साथ साथ हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- विभिन्न स्थलों पर लगाए गए बोर्डों पर 'आज का हिन्दी शब्द' और उसके समानार्थक अंग्रेजी शब्द और हिन्दी वाक्य में इसका प्रयोग लिखे गये।
- 14 सितंबर से अक्तूबर 13, तक हिन्दी माह का आयोजन एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अधिकारी / कर्मचारियों को विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को तीन उत्तम विभागों को पुरस्कार दिया गया।
- पोर्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर हिन्दी पुस्तकों की खरीद की गई और हिन्दी पढ़ने की आदत बनाने के लिए हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र हर माह खरीदे गये।
- एक दिन का राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम जारी रहा और वर्ष के दौरान 45 कर्मचारियों को राजभाषा नीति, नियम एवं अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई है।
- विशाखपट्टणम पोर्ट में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया उसमें अध्यक्ष ही समिति के अध्यक्ष है, सचिव राजभाषा अधिकारी होंगे और सभी विभागाध्यक्ष सदस्य वर्ष के दौरान इस समिति का कार्य संतोषजनक है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है और पोर्ट में हिन्दी कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के लिए ठोस प्रयत्न किये गये।
- राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों अर्थात् अनुमति लाइसेंस, निविदा पत्र के नियम व शर्तें, सामान्य आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषा में जारी किये गये और उनकी समीक्षा अध्यक्ष द्वारा हर माह में होने वाली विभागाध्यक्षीय बैठक में की गयी।

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया । मंत्रालय को हिन्दी में पत्र भेजे गये । वर्ष में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्विभाषा में मुद्रित करके मंत्रालय को भेजा गया ।
- वर्ष के दौरान कर्मचारियों को कंप्यूटरों पर दैनंदिन कार्यालय कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए व्यवस्थित ऑन लाईन सेवा जारी रहा ।
- राजभाषा का उपयोग करने के लिए सभी अनुभागों के नेमी फार्मेट एवं फार्मों को द्विभाषा में व्यवस्था की गई और पोर्ट ट्रस्ट में हिन्दी की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण की जाती है ।
- राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर मूल्यांकन करने के लिए हर विभाग में हिन्दी समीक्षा बैठकों का आयोजन जारी रहा ।
- राष्ट्रीय समुद्री दिवस, डॉक सुरक्षा दिवस, अग्नि शमन दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि के अवसर पर हिन्दी में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है ।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पोर्ट नराकास के साथ समन्वय करता है ।

7. अन्य पिछड़े जाती एवं शारीरिक रूप से अपंग

- दिनांक 31-03-2020 को ओ बी सी तथा शारीरिक रूप से अपंग वर्गों के अंतर्गत कार्मिकों की संख्या अनुलग्नक 35 में दी गई है ।

8. आर टी आई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

- संगठन के कार्यचालन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट में आर टी आई अधिनियम 2005 कार्यान्वयित किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रस्ट ने 12 सीएपीआईओ, 10 सीपीआईओ और एक अपील प्राधिकरण को नामित किया गया है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल 267 आरटीआई अनुरोध और 31 पहला अपील प्राप्त हुए हैं, जिसमें 61 अनुरोध और 9 अपीलों को अस्वीकृत कर दी गई ।
- महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के सभी विनियम और आरटीआई अधिनियम, 2005 के धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत सूचना वीपीटी वेबसाइट अर्थात www.vizagport.com पर प्रकाशित हो चुका था। आरटीआई अधिनियम के तहत वीपीटी की तिमाही रिटर्न भी वीपीटी वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

9. लोक / स्टॉफ शिकायत सुधारने कार्य

- प्रशासनिक रिफार्म्स विभाग और लोक शिकायत, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किये गये कंप्यूटरैज्ड ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा लोक शिकायत ठीक किए जाते हैं।

10. पोर्ट में प्रतिष्ठित आगंतुक / प्रतिनिधि मंडल

आगंतुकों / प्रतिनिधियों का विवरण	दौरे की तिथि
श्री अरविंद चौधरी, वित्तीय सलाहकार, शिपिंग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दि. 20-11-2020 से 22-11-2020 तक विशाखपट्टणम पोर्ट का आधिकारिक दौरा ।	21.11.2020
श्री अरूप कुमार गोस्वामी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, श्री बी.देवानंद और श्री सीएच. मानावेंद्रनाथ, न्यायाधीशों के साथ विशाखपट्टणम जिला के न्यायाधीशों का दौरा ।	06.01.2021
जापान के कन्सल जर्नल श्री टागा मासायुकी द्वारा विशाखपट्टणम पोर्ट का दौरा ।	18.03.2021
डॉ संजीव रंजन, भा.प्र.से., सचिव, भारत सरकार, पत्तन, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, द्वारा दि. 27-03-2021 से 29-03-2021 तक दौरा	27.03.2021

वार्षिक लेखा 2020–21

वार्षिक लेखा

31 मार्च 2021 को तुलनपत्र की अनुसूची		31 मार्च 2021 को समाप्त राजस्व लेखा की अनुसूची	
अनुसूची 1.1	आरक्षण एवं अधिशेष	अनुसूची आर 1	कार्गो संभलाई और भंडारण प्रभार
अनुसूची 1.2	ऋण निधि	अनुसूची आर 2	पोर्ट एवं डाक प्रभार
अनुसूची 1.3	ग्रांट की प्राप्ति	अनुसूची आर 3	रेल्वे आमदनी
अनुसूची 1.4	आस्थगित कर	अनुसूची आर 4	संपदा किराया
अनुसूची 2.1	नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ	अनुसूची आर 5	कार्गो संभलाई और भंडारण
अनुसूची 2.2	निवेश	अनुसूची आर 6	पोर्ट एवं डाक सुविधाएं
अनुसूची 2.3	चालू परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	अनुसूची आर 7	रेल्वे कार्यचालन
अनुसूची 2.4	चालू देयतायों एवं प्रावधान	अनुसूची आर 8	किराये योग्य भूमि और भवन
अनुसूची 2.5	विविध व्यय	अनुसूची आर 9	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन
		अनुसूची आर 10	वित्त और विविध आय
		अनुसूची आर 11	वित्त और विविध व्यय

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2019 को		
निधियों का स्त्रोत : आरक्षण और अधिशेष : क. पूँजी आरक्षण ख. राजस्व आरक्षण क) सामान्य आरक्षण निधि ख) कर्मचारी कल्याण निधि ग) कर्मचारी परिवार सुरक्षा निधि घ) उपस्कर संरक्षा निधि ङ) देयताओं का आरक्षण निधि ग. सांविधिक आरक्षण क) पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण ख) ऋण एवं आकस्मिकताओं का पुनर्भुगतान, विकास के लिए आरक्षण	1.1	3,35,27,08,176	10,17,08,23,557	2,26,38,91,338	9,62,98,32,707	
		0		0		
		10,25,34,149		7,98,88,743		
		0		0		
		0		0		
			3,45,52,42,325		2,34,37,80,081	
			7,57,20,01,079		6,92,49,61,665	
			7,52,90,99,290		6,88,20,59,877	
			15,10,11,00,369	28,72,71,66,251	13,80,70,21,542	25,78,06,34,330
		1.3		21,27,27,227		20,34,58,813
अनुदान प्राप्तियों ऋण निधियों : क. सुरक्षा ऋण ख. सरकारी ऋण ग. असुरक्षित ऋण	1.2		0		0	
			7,71,92,990		23,39,29,590	
			0		0	
आस्थागत कर दायित्वाएँ : निधियों के कुल संसाधन		7,71,92,990	29,13,80,99,862	7,71,92,990	23,39,29,590	
		12,10,13,394		12,10,13,394	0	
		29,13,80,99,862		29,13,80,99,862	26,21,80,22,733	

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2019 को	
निधियों की प्रयुक्ति :					
क. नियत पूँजी परिसंपत्तियों: (शुद्ध ब्लाक)	2.1	34,84,37,415	34,84,37,415	73,881	73,881
क) जमीन		73,881			
ख) पट्टा का जमीन		4,87,74,29,921	4,93,14,54,950		
ग) पूँजी निकर्षण		60,05,14,805	62,06,52,513		
घ) भवन, शेड्स एवं अन्य संरचना		1,86,06,70,146	1,87,82,61,071		
ङ) गोदाम, सडकें, सीमाएं		60,31,31,982	67,69,51,501		
च) प्लावीयान		1,04,31,53,533	1,08,02,72,878		
ड) रेल्वे तथा रोलिंग स्टॉक		8,18,67,43,640	8,31,44,46,305		
ढ) डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स एवं नौचालन सहयोग		4,92,40,919	6,77,90,615		
च) क्रेन एवं वाहन		76,07,26,617	80,23,42,967		
छ) संयंत्र और मशीनरी		32,15,31,806	33,07,75,330		
ज) जल, विद्युत, दूर संचार तथा अग्निशमन की संस्थापन			19,05,14,59,426		
ख. प्रगति पर रहे पूँजी कार्य			1,75,94,31,615		
					20,81,08,91,041
निवेश :	2.2	29,40,00,000	79,40,00,000		
क. सामान्य आरक्षण निधि का निवेश		3,42,06,31,950	2,93,03,72,100		
शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉण्ड्स		3,97,03,444	3,97,03,444		
सरकारी अथवा न्यासी प्रतिभूतियां		1,44,03,71,163	1,32,57,26,318		
अन्य निवेश					
चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम :	2.3				
क. चालू परिसंपत्तियों					
i. निवेशो पर प्रोदभूत ब्याज		37,87,49,227	43,30,21,644		
ii. वस्तु सूची		22,95,91,061	28,11,25,963		
					5,08,98,01,862

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	अनु	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2019 को	
iii. फुटकर देनदार					
क) सरकारी देय		37,03,73,578	79,87,20,641	0	0
ख) अंतर पोर्ट देय		0	0	0	0
ग) गैर सरकारी देय		3,27,11,89,023	3,64,15,62,601	3,67,17,87,017	3,67,17,87,017
iv. नकद और बैंक शेष					
क) हस्त नगद शेष		15,93,797	16,17,971	0	0
ख) शेड्यूल्ड बैंक के साथ बैंक शेष		9,78,07,57,429	9,87,20,58,868	0	0
ग) अन्य बैंकों के साथ बैंक शेष		0	9,78,23,51,227	0	9,87,36,76,839
घ) ऋण और अग्रिम		14,03,22,54,115	14,03,22,54,115	14,25,96,11,463	14,25,96,11,463
क) सविमडरी/पोर्ट/न्यास के लिए अग्रिम और ऋण		12,80,00,000	12,80,00,000	0	0
ख) प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम		66,74,83,780	62,76,14,662	0	0
ग) उपदान निधि		19,98,398	0	0	0
ग) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के साथ शेष		8,17,60,70,703	7,40,66,88,965	0	0
घ) जमा		12,18,63,771	11,10,82,644	0	0
	24	9,09,54,16,652	23,12,76,70,767	8,27,33,86,270	22,53,29,97,733
घाटा : चालू दायिताएं और प्रावधान :					
क. चालू दायिताएं :					
i. भविष्य निधि, पेंशन एवं उपदान निधियाँ		4,97,75,022	4,76,40,327	0	0
क) भविष्य निधि		18,31,07,074	5,25,07,00,070	0	0
ख) पेंशन निधि		0	31,79,388	0	0
ग) उपदान निधि		23,28,82,096	5,30,15,19,785	0	0

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2019 को		
	अनु				
ii. विविध लेनदार					
क) स्टोर्स के लिए लेनदार	13,32,75,998		3,28,49,632		
ख) गैर दावा वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से आय	0		0		
ग) अधिशेष सामग्री का गैर समायोजित बिक्री से आय	0	13,32,75,998	0	3,28,49,632	
iii. विविध लेनदार और ऋण शेष					
क) रेल्वे को देय विलंब / वैगन भाड़ा प्रभार	17,47,33,877		18,35,62,424		
ख) सांविधिक भुगतान	1,38,33,86,072		1,01,00,32,711		
ग) पूंजी व्यय के प्रति दायित्वाएं	2,12,72,455		2,12,72,455		
घ) अन्य	1,44,54,72,909		59,95,86,343		
ङ) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा	2,28,51,80,076	5,31,00,45,389	2,50,64,17,389	4,32,08,71,322	
iv. अग्रिम भुगतान तथा असमाप्त रियायतें					
अभी भी दिये जानेवाले हिस्से के लिए मूल्य		5,99,06,11,041		5,18,41,43,062	
अन्य दायित्वाएं		3,65,05,13,655		4,02,86,19,637	
v. ब्याज प्रोदमूत किया गया परंतु ऋण पर देय नहीं		36,89,31,489		36,81,41,168	
vi. प्रावधान :		15,68,62,59,668		19,23,61,44,606	
क) कर के लिए प्रावधान	4,52,50,85,309		4,52,50,85,309		
ख) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0		0		
ग) अन्य प्रावधान	0		0		
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		20,21,13,44,977		23,76,12,29,915	
विविध व्यय :		2,91,63,25,790		-1,22,82,32,182	
(जिस हद तक लिखित या समायोजित नहीं किया गया है)	2.5	0		0	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां :					
निधियों की कुल प्रयुक्ति	1.4	0		1,54,55,62,012	
		29,13,80,99,862		26,21,80,22,733	

₹/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

₹/-
अध्यक्ष

आरक्षण और अधिशेष

	पूँजी आरक्षण	राजस्व आरक्षण			सांविधिक आरक्षण		
		सामान्य आरक्षण निधि	कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	पूँजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापना आरक्षण	विकास, ऋण तथा आकस्मिकताओं की अदायगी के लिए आरक्षण	
01-04-2020 को आदि शेष	9,62,98,32,707	2,26,38,91,338	7,98,88,743	0	6,92,49,61,665	6,88,20,59,877	
जोड़ :							
1. (क) राजस्व लेखा से योगदान	0	0	2,42,28,462	0	64,70,39,414	64,70,39,414	
(ख) अतिरिक्त मूल्यहास	0	0	0	0	0	0	
2. राजस्व लेखा से अंतरण	7,31,000	1,09,16,16,838	0	0	0	0	
3. (क) अन्य आरक्षणों से अंतरण	0	0	0	0	0	0	
(ख) सामान्य आरक्षण निधि	0	0	3,00,000	25,00,000	0	0	
4. अन्य अंतरण	54,02,59,850	0	0	0	0	0	
	10,17,08,23,557	3,35,55,08,176	10,44,17,205	25,00,000	7,57,20,01,079	7,52,90,99,291	
घाटा :							
1. आरक्षणों से अंतरण	0	0	0	0	0	0	
(क) शुद्ध घाटा	0	0	0	0	0	0	
(ख) पूँजी आरक्षण से अंतरण	0	0	0	0	0	0	
(ग) ऋणों की पुर्न अदायगी	0	0	0	0	0	0	
(घ) सांविधिक आरक्षणों में अंतरण	0	0	0	0	0	0	
2. अन्य अंतरण							
(ए) परिवार सुरक्षा योजना और कल्याण निधि को स्थानांतरण	0	28,00,000	0	0	0	0	
3. वर्ष के दौरान व्यय	0	0	18,83,056	25,00,000	0	0	
31-03-2021 तक अंत शेष	10,17,08,23,557	3,35,27,08,176	10,25,34,149	0	7,57,20,01,079	7,52,90,99,291	

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची - 1.2

ऋण निधियाँ

	सुरक्षित ऋण	
	ऋण और अग्रिम	भारत सरकार से व्यवस्थिति निधियां जिका ऋण
01-04-2020 तक शेष वर्ष के दौरान प्राप्त		23,39,29,590
वर्ष के दौरान भुगतान		0
31-03-2021 तक शेष		15,67,36,600
		7,71,92,990

तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची - 1.3

ग्रांट की प्राप्ति

क्रूज़ घाट निर्माण के संबंध में प्राप्त ग्रांट	19,25,00,000
प्राप्त ब्याज	2,02,27,227
31-03-2021 तक शेष	21,27,27,227

तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची - 1.4

आस्थगित कर

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आस्थगित कर दायिताएं - आदिशेष		
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	38,93,07,752	41,93,09,570
घाटा/जोड़ : अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीए	60,56,23,341	63,26,27,908
घाटा रू आइ.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	2,54,04,93,105	2,22,62,59,708
आस्थगित कर दायिताएं / (परिसंपत्तियां)	-1,54,55,62,012	-1,17,43,22,230
मूल्यह्रास के कारण समय में भिन्नता	39,44,90,761	38,93,07,752
घाटा/जोड़ : अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीए	58,08,41,670	60,56,23,341
घाटा : आइ.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) के तहत नियोक्ता के रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	85,43,19,037	2,54,04,93,105
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ - अंत शेष	12,10,13,394	-1,54,55,62,012
पी एवं एल खाते से शुद्ध आस्थगित कर देयता प्रभार	1,66,65,75,406	-37,12,39,782

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ

(रूपयों में)

	परिसंपत्तियों की श्रेणी	कुल ब्लॉक			मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक		
		1 अप्रैल 2020 से	जोड़	विलोपन	31 मार्च 2021 से	1 अप्रैल 2020 से	वर्ष के दौरान मूल्यहास	मूल्यहास समायोजन	1 अप्रैल 2020 से	1 अप्रैल 2021 से
1	जमीन	34,84,37,415	0	0	34,84,37,415	0	0	0	34,84,37,415	34,84,37,415
	पट्टे का जमीन	73,881	0	0	73,881	0	0	0	73,881	73,881
2	पूँजी निकर्षण	5,57,93,24,662	0	0	5,57,93,24,662	64,78,69,712	0	0	4,93,14,54,950	4,87,74,29,921
3	भवन, श्रेष्ठ, एवं अन्य संरचनाएँ	1,03,69,25,948	34,59,854	0	1,04,03,85,801	41,62,73,435	0	0	62,06,52,513	60,05,14,805
4	वर्कस, सड़क सीमाएँ	2,55,04,62,125	4,80,93,263	48,93,380	2,59,36,62,008	67,22,01,054	80,52,772	0	1,87,82,61,071	1,86,06,70,146
5	प्लावीयान	2,21,84,18,185	22,86,201	65,84,493	2,21,41,19,893	1,54,14,66,684	65,84,493	0	67,69,51,501	60,31,31,982
6	रेल्वे तथा रेलिंग स्टॉक	1,87,67,16,641	0	0	1,87,67,16,641	79,64,43,763	0	0	1,08,02,72,878	1,04,31,53,533
7	डॉक, समुद्र दीवार, पीरिस एवं नौवहन सहायता	9,58,44,45,002	10,48,102	0	9,58,54,93,104	1,26,99,98,698	0	0	8,31,44,46,305	8,18,67,43,640
8	क्रैन और वाहन	47,63,06,169	0	16,96,042	47,46,10,127	40,85,15,554	16,96,042	0	6,77,90,615	4,92,40,919
9	प्लॉट एंड मशीनरी	1,75,78,79,839	2,08,59,850	0	1,77,87,39,689	95,55,36,872	0	0	80,23,42,967	76,07,26,617
10	पानी, विद्युत के लिए स्थापना	1,46,47,43,735	6,89,40,145	2,57,925	1,53,34,25,956	1,13,39,68,406	0	0	33,07,75,330	32,15,31,806
	कुल	26,89,37,33,603	14,46,87,414	1,34,31,839	27,02,49,89,178	7,84,22,74,177	1,63,33,307	0	19,05,14,59,426	18,65,16,54,665
	प्रगति	1,75,94,31,615	1,89,65,38,726	1,28,05,57,492	2,37,54,12,849				1,75,94,31,615	2,37,54,12,849
	कुल स्थिर पूँजी परिसंपत्तियाँ	28,65,31,65,218	2,04,12,26,141	1,29,39,89,331	29,40,04,02,028				20,81,08,91,041	21,02,70,67,514

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

निवेश

(रूपयों में)

	31 मार्च 2021 से		31 मार्च 2020 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
गैर व्यापार योग्य निवेश				
क. सामान्य आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां एनटी				
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स (एन.टी.)				
एनएचएआई ईक्विटी (31.03.2017)	18,00,00,000	18,00,00,000	18,00,00,000	18,00,00,000
सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000
सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड घटाव के लिए प्रावधान	-30,00,00,000	-30,00,00,000	0	0
एनएचएआई ईक्विटी	60,00,00,000	60,00,00,000	60,00,00,000	60,00,00,000
इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन	10,80,00,000	10,80,00,000	10,80,00,000	10,80,00,000
एनएचएआई/सागर माला विकास	0	0	20,00,00,000	20,00,00,000
कुल (क)	29,40,00,000	29,40,00,000	79,40,00,000	79,40,00,000
ख. सांविधिक आरक्षण				
चालू निवेश				
दीर्घकालिक निवेश :				
1. सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां				
सीजी 2034 @ 7.50: (एन.टी.)	2,01,70,333	2,00,00,000	2,01,70,333	2,00,00,000
सीजी 2035 @ 7.40: (एन.टी.)	1,95,33,111	2,00,00,000	1,95,33,111	2,00,00,000
कुल (1)	3,97,03,444	4,00,00,000	3,97,03,444	4,00,00,000
2. शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स				
डीसीआई शेयर्स (@ रु.10/- प्रति शेयर				
5451710 शेयर्स अंकित मूल्य) (टी.)	2,78,03,72,100	5,45,17,100	2,78,03,72,100	5,45,17,100
डी सी आई कर छूट बॉन्ड्स - 2013 (एन.टी.)	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000
केनरा बैंक बॉन्ड्स (एन.टी.)	0	0	5,00,00,000	5,00,00,000
वीएसपी पोर्ट लॉजिस्टक्स पार्क लि.,	54,02,59,850	54,02,59,850	0	0
कुल (2)	3,42,06,31,950	69,47,76,950	2,93,03,72,100	20,45,17,100
कुल (बी =1+2)	3,46,03,35,394	73,47,76,950	2,97,00,75,544	24,45,17,100
कुल (ए+बी)	3,75,43,35,394	1,02,87,76,950	3,76,40,75,544	1,03,85,17,100

निवेश

(रूपयों में)

	31 मार्च 2021 से		31 मार्च 2020 तक	
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
सी. अन्य निधियों				
एलआईसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	1,26,73,53,916	1,15,48,46,973	1,15,60,89,933	1,15,48,46,973
बजाज एलियन्ज़ के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	3,52,14,300	4,27,36,924	4,54,78,340	4,27,36,924
बजाज एलियन्ज़ के अंतर्गत परिवार सुरक्षा योजना	9,36,01,761	7,91,97,513	8,12,55,042	7,91,97,513
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाईफ) के अंतर्गत ग्रुप अर्जित छुट्टी योजना	4,42,01,186	4,99,89,482	4,29,03,003	4,99,89,482
कुल (ग)	1,44,03,71,163	1,32,67,70,892	1,32,57,26,318	1,32,67,70,892
कुल निवेश रु (क+ख+ग)	5,19,47,06,557	2,35,55,47,842	5,08,98,01,862	2,36,52,87,992

एन.टी. - गैर व्यापार योग्य

टी - व्यापार योग्य: 31-03-2021 से प्रति शेयर का मूल्य रु. 37075 है । रु 370.75 है

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ.

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
चालू परिसंपत्तियां				
i. निवेशों पर संचित ब्याज		37,87,49,227		43,30,21,644
ii. संपत्ती सूची				
सर्विस स्टॉक एवं स्पेयर्स				
2 वर्ष से कम की सामान सूची	22,75,18,993		27,74,76,078	
2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम की सामान सूची	6,03,221		10,06,271	
3 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सामान सूची	14,81,912		28,66,983	
10 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम की सामान सूची	46,038		42,405	
15 वर्ष से अधिक की सामान सूची	20		20	
	22,96,50,184		28,13,91,757	
घाटा: नॉन मूविंग संपत्ति सूची पर मूल्यह्रास	59,123	22,95,91,061	2,65,794	28,11,25,963
iii. विविध देनदार				
क) शोध्य समझे जानेवाला अशोध्य ऋण :				
क. कार्गो संबंधी देय	29,98,78,776		62,51,17,876	
ख. जहाज संबंधी देय	23,81,543		63,79,458	
ग. संपदा देय	3,03,80,29,021		2,79,03,61,925	
घ. रेल्वे देय	21,35,13,798		16,96,01,720	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	5,03,73,710		4,29,40,285	
छ. अन्य विविध देय	3,73,85,753		3,73,85,753	
		3,64,15,62,601		3,67,17,87,017
ख) संदिग्ध या अशोध्य समझे जानेवाले ऋण :				
क. कार्गो संबंधी देय	2,29,27,786		2,29,27,786	
ख. जहाज संबंधी देय	2,377		2,377	
ग. संपदा देय	42,59,566		42,59,566	
घ. रेल्वे देय	4,08,79,049		4,08,79,049	
च. मत्स्य बंदरगाह देय	50,26,643	7,30,95,421	50,26,643	7,30,95,421
		3,71,46,58,022		3,74,48,82,438
घाटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		7,30,95,421		7,30,95,421
		3,64,15,62,601		3,67,17,87,017
iv. रोकड और बैंक शेष				
क. हस्तगत रोकड		15,93,797		16,17,971
ख. बैंकों में शेष :				
ग. चालु / बचत बैंक खातों में :				

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
आंध्रा बैंक - पोर्ट शाखा	1,61,47,346		21,41,29,869	
एक्सिस बैंक	4,46,83,704		4,15,06,637	
बैंक ऑफ बरोड़ा	7,08,998		58,188	
केनरा बैंक	7,153		7,627	
विजया बैंक	30,94,239		0	
इंडियन ओवरसीस बैंक	8,561		8,725	
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई)	1,76,623		1,76,623	
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	11,08,696		11,08,696	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - सूर्याबाग शाखा	1,02,35,009		51,76,710	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुख्य शाखा	6,55,337		6,55,337	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुख्य शाखा (ऐस्को खाता)	16,29,247		16,40,584	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	35,52,40,140		25,10,93,100	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - आरटीजीएस एसबी खाता 133641	52,46,063		98,91,907	
एसबीआई अग्रदाय	4,12,429		6,03,538	
एसबीआई-पीबी-पीसीएस खाता (1)-31	1,00,000		1,00,000	
आईडीबीआई- पीसीएस(0) - 15010300	58,620		61,602	
एचडीएफसी- पीसीएस खाता (0) -5003	3,58,73,849		4,09,42,934	
एसबीआई - आरएफआईडी	37,79,024		3,76,38,049	
आईसीआईसीआई-पीसीएस खाता-(1)-600	12,70,60,911		74,13,648	
विविध बैंक	39,11,491		84,58,115	
		61,01,37,440		62,06,71,889
घ. जमा खाते में (टीडीआर खाता एवं सीएलटीडी खाता) :				
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (आंध्रा बैंक)	33,25,15,315		1,55,99,00,000	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,45,99,99,988		1,25,00,00,000	
केनरा बैंक	60,00,00,000		85,00,00,000	
एलआईसी ऑफ इंडिया	3,72,56,04,795		3,89,89,86,980	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	2,01,24,99,903		7,25,00,000	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कार्पोरेशन)	23,99,99,988		15,00,00,000	
इंडियन बैंक (अलहाबाद बैंक)	0		199,99,999	
इंडियन ओवरसीस बैंक	0		1,15,00,00,000	
इंडियन बैंक	80,00,00,000		30,00,00,000	
	9,17,06,19,989	9,17,06,19,989	9,25,13,86,979	9,25,13,86,979
		9,78,23,51,226		9,87,36,76,838
कुल चालू परिसंपत्तियां		14,03,22,54,115		14,25,96,11,463

चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(रूपयों में)

	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
ऋण एवं अग्रिम				
1. सबसिडरी / पोर्ट / न्यासियों को ऋण एवं अग्रिम कार्गो संभलाई प्रभाग द्वारा लिया गया भंडार	0		0	
इंटरकार्पोरेट ऋण	1,00,00,000		1,00,00,000	
पेंशन निधि ट्रस्ट को अग्रिम				
उपदान निधि ट्रस्ट को अग्रिम				
विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लि. को अधीनस्थ ऋण	11,80,00,000		11,80,00,000	
		12,80,00,000		12,80,00,000
2. नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेके कार्यों के लिए अग्रिम	33,34,23,541		28,77,60,670	
भंडार के खरीद के लिए अग्रिम	5,72,59,330		5,82,08,118	
कंप्यूटर अग्रिम	24,53,085		28,25,862	
गृह निर्माण अग्रिम	39,02,326		41,21,747	
मोटर कार / साईकिल अग्रिम	13,49,224		14,82,761	
यात्रा / छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	60,31,496		59,91,724	
उपदान निधि	19,98,398		0	
अन्य	26,36,69,178		26,78,28,179	
		67,00,86,577		62,82,19,061
घाटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		6,04,399		6,04,399
		66,94,82,178		62,76,14,662
3. सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के पास शेष संचार निगम विभाग के पास स्वैच्छिक जमा	30,550		30,550	
आयकर - टीडीएस, अग्रिम कर एवं सेवा कर	8,17,60,40,153		7,40,66,58,415	
		8,17,60,70,703		7,40,66,88,965
4. जमा				
एपीट्रान्स्को के साथ जमा	6,83,70,111		5,75,88,984	
जीवीएमसी के साथ जमा	5,34,93,660		5,34,93,660	
		12,18,63,771		11,10,82,644
' ऋण एवं अग्रिम उपयोगी और असुरक्षित समझा गया				
कुल ऋण एवं अग्रिम		9,09,54,16,652		8,27,33,86,271

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ.

चालू दायितार्ये एवं प्रावधान

(रुपयों में)

	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
i. भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं उपदान निधियां				
क) भविष्य निधि	4,97,75,022		4,76,40,327	
ख) पेंशन निधि	18,31,07,074		5,25,07,00,070	
ग) उपदान निधि	0		31,79,388	
		23,28,82,096		5,30,15,19,785
ii. विविध लेनदार				
क) भंडार के लिए लेनदार	13,32,75,998		3,28,49,632	
ख) अदाया वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
ग) अधिशेष सामग्री की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
		13,32,75,998		3,28,49,632
iii. फुटकर लेनदार एवं जमा शेष				
क) रेल्वे को देय विलंब शुल्क / वेगन भाड़ा प्रभार	17,47,33,877		18,35,62,424	
ख) सांविधिक भुगमान	1,38,33,86,072		1,01,00,32,711	
ग) पूँजी व्यय के लिए दायितार्ये	2,12,72,455		2,12,72,455	
घ) अन्य	1,44,54,72,909		59,95,86,343	
च) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा	2,28,51,80,076		2,50,64,17,389	
		5,31,00,45,388		4,32,08,71,322
iv. अग्रिम भुगतान एवं असमापन छूट				
उस भाग के लिए अभी भी मूल्य दिया जाना है				
क) पहले चुकायी गयी आय	23,29,56,755		15,53,78,056	
ख) परिशोध्य किये जानेवाले अपफ्रंट प्रीमियम	5,75,76,54,286		5,02,87,65,006	
		5,99,06,11,041		5,18,41,43,062
v. अन्य देयतार्ये		3,65,05,13,655		4,02,86,19,637
vi. प्राप्त ब्याज लेकिन ऋणों पर देय नहीं		36,89,31,489		36,81,41,168
कुल चालू देयतार्ये		15,68,62,59,668		19,23,61,44,606
ख. प्रावधान :				
i. कर के लिए प्रावधान	4,52,50,85,309		4,52,50,85,309	
ii. आकस्मिताओं के लिए प्रावधान	0		0	
iii. अन्य प्रावधान	0		0	
कुल प्रावधान		4,52,50,85,309		4,52,50,85,309
कुल चालू देयतार्ये एवं प्रावधान		20,21,13,44,977		23,76,12,29,915

ह/-

वि.स.एवं मु.ले.अ.

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आय :		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	5,50,95,70,480	5,14,43,73,282
पोर्ट एवं डॉक प्रभार	5,41,87,80,348	5,01,27,96,519
रेल्वे आमदनी	1,41,45,33,429	1,76,23,79,831
संपत्ति किराया	2,11,39,92,037	2,12,22,56,377
कुल परिचालन आय	14,45,68,76,294	14,04,18,06,009
व्यय :		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण	1,53,11,30,762	1,35,52,07,983
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	1,44,86,90,645	1,58,43,74,634
रेल्वे कार्यचलन	90,34,47,348	95,15,44,194
किराये योग्य भूमि एवं भवन	43,29,06,378	50,99,61,242
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग व्यय	2,22,53,25,623	2,22,44,37,766
कुल परिचालन व्यय	6,54,15,00,755	6,62,55,25,819
प्रचालन अधिशेष :	7,91,53,75,539	7,41,62,80,189
जोड : वित्त एवं विविध आय	78,15,75,392	1,07,65,36,201
घाटा : वित्त एवं विविध व्यय	4,64,39,48,860	5,43,45,22,924
कर से पहले लाभ	4,05,30,02,070	3,05,82,93,466
घाटा : टैक्सेशन के लिए प्रावधान :		
पिछले वर्ष	0	0
चालू वर्ष	0	68,55,53,168
अस्थगित कर	1,66,65,75,405	-37,12,39,783
कर के बाद लाभ	2,38,64,26,665	2,74,39,80,081
घाटा : पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ को पूँजी आरक्षण को स्थानांतरण	7,31,000	4,24,054
विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	2,38,56,95,665	2,74,35,56,027
घाटा : विनियोजन		
विकास, ऋणों का पुर्नभुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए निधि	64,70,39,414	94,89,38,675
पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापना, पुनर्नियुक्ति और आधुनिकीकरण के लिए निधि	64,70,39,414	53,46,96,817
कुल विनियोजन	1,29,40,78,827	1,48,36,35,493
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित शेष	1,09,16,16,838	1,25,99,20,535

ह/-
अध्यक्ष

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनुसूची – आर. 1		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार :		
सामान्य कार्गो पर संभलाई और भंडारण प्रभार	2,35,05,16,748	2,21,93,93,279
वेयर हाऊसों में सामग्री का भंडारण	4,11,81,458	3,71,32,631
क्रेनेज	28,91,374	22,92,095
लाईटैज	0	0
पीओएल तेल और लुब्रिकेंट्स की संभलाई	1,12,95,00,692	76,08,01,609
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	1,52,11,723	2,16,81,949
बी ओ टी ठेके से रॉयल्टी	1,90,65,24,647	2,06,05,85,269
विविध प्रभार	6,37,43,838	4,24,86,450
कुल	5,50,95,70,480	5,14,43,73,282
अनुसूची – आर – 2		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार :		
टोविंग एवं मूरिंग प्रभार	6,40,67,805	5,46,87,502
डॉक देय	1,19,62,29,117	1,02,71,87,409
पोर्ट देय	1,44,06,35,371	1,36,85,23,006
पाईलटैज शुल्क	2,65,77,56,572	2,51,93,64,978
ड्राई डॉकिंग प्रभार	2,68,800	1,62,09,066
जहाजों के लिए जल आपूर्ति	61,14,484	81,12,886
साल्वेज और जलगत मरम्मत	2,95,75,965	28,44,712
विविध प्रभार	2,41,32,234	1,58,66,960
कुल	5,41,87,80,348	5,01,27,96,519
अनुसूची – आर – 3		
रेल्वे आमदनी :		
वेगन भाड़ा एवं दुलाई प्रभार	22,27,93,962	17,10,15,430
साईडिंग प्रभार	42,42,80,570	58,38,24,895
टर्मिनल प्रभार	77,48,76,001	83,23,44,117
विविध प्रभार	-74,17,104	17,51,95,389
कुल	1,41,45,33,429	1,76,23,79,831

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनुसूची – आर – 4		
संपदा किराया :		
भूमि से किराया	2,04,71,27,224	2,02,93,64,403
भंडारण शेडों पर किराया	3,726	0
बाहरी कार्यालयों के लिए व्यवस्थित आवास से किराया	91,00,489	1,15,74,781
कलावाणी ऑडिटोरियम	-32,24,833	90,07,555
पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टरों से किराया	17,53,305	30,19,927
वसूली योग्य प्रभार	457,31,793	5,23,40,848
विविध आय	135,00,333	1,69,48,863
कुल	2,11,39,92,037	2,12,22,56,377
अनुसूची – आर – 5		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण :		
शेडों और वेयरहाउसों में सामान्य कार्गो की संभलाई और भंडारण	90,05,55,605	74,69,31,874
वेयरहाउसिंग	0	0
अयस्क संभलाई संयंत्र का प्रचालन और अनुरक्षण	1,57,16,787	1,43,43,964
लाईटर्स और बार्जों का परिचालन और अनुरक्षण	70,714	1,54,328
वार्फ क्रैन और क्रैन जहाजों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,41,28,441	2,06,48,587
डॉक में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	2,47,87,930	2,29,03,180
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	46,58,73,192	44,00,91,613
नई लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	9,99,98,093	11,01,34,437
कुल	1,53,11,30,762	1,35,52,07,983

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनुसूची – आर – 6		
पोर्ट एवं डॉक सुविधाएं :		
टोविंग, बर्थिंग एवं मूरिंग	54,20,34,781	52,48,57,579
पायलटेज	34,08,60,690	29,25,09,384
ड्राई डाकिंग व्यय	3,25,88,963	4,13,68,343
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	75,79,829	1,07,86,902
अग्नि शमन	6,36,72,891	6,28,91,982
निकर्षण एवं समुद्री सर्वेक्षण	12,94,58,099	21,39,52,078
नौचालन सहायताओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,45,26,636	1,61,32,888
साल्वेज और जलगत मरम्मत	87,909	4,60,181
डॉक और हार्बर दीवारों, समुद्री संरचनाओं आदि का अनुरक्षण	1,76,67,274	2,00,56,640
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	3,38,80,902	2,95,37,432
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	26,63,32,671	37,18,21,225
कुल	1,44,86,90,645	1,58,43,74,633
अनुसूची – आर – 7		
रेल्वे कार्यचालन :		
लोकोमोटिव, वेगन आदि का प्रचालन एवं अनुरक्षण	29,16,84,322	34,69,20,993
स्थाई वे सिग्नल और इंटर लॉकिंग सिस्टम का अनुरक्षण	11,73,06,211	11,34,73,269
स्टेशन, यार्ड और साईडिंग के प्रचालन अनुरक्षण और प्रशासन संबंधी व्यय	0	0
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	45,46,78,444	44,72,19,893
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	39,778,371	4,39,30,039
कुल	90,34,47,348	95,15,44,194
अनुसूची – आर – 8		
किराये योग्य भूमि और भवन :		
संपदा अनुरक्षण	35,12,99,138	44,06,76,449
भूमि मरम्मत और उद्धार	47,63,244	21,98,008
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	7,18,431	13,17,961
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	7,61,25,565	6,57,68,824
कुल	43,29,06,378	50,99,61,242

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनुसूची – आर – 9		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन :		
प्रबंधन और सचिवालय प्रशासन	11,10,86,354	14,37,04,081
पोर्ट सुरक्षा (कें.औ.सु.ब)	51,58,71,830	37,00,27,623
कानूनी व्यय	1,45,10,485	1,26,18,628
श्रम और कल्याण व्यय	4,72,41,755	3,85,63,693
अनुसंधान एवं योजना एकक	5,43,68,048	6,23,30,937
चिकित्सा व्यय	37,48,19,107	37,51,98,371
भंडार पालन	6,76,75,703	6,13,69,065
लेखाकरण और लेखापरीक्षा	17,59,09,006	5,20,37,643
मुख्य कार्यालय भवन पर व्यय	42,32,308	17,85,911
दूरभाष	65,98,345	99,04,443
इंजीनियरिंग और कर्माशाला प्रशासन अतिरिक्त खर्च	74,25,44,675	95,20,10,538
विविध व्यय	7,09,50,730	10,20,22,056
मूल्यहास	3,95,17,277	4,28,64,777
कुल	2,22,53,25,623	2,22,44,37,766
अनुसूची – आर – 10		
वृत्ति और विधि आय :		
आवधिक निक्षेप एवं नकद शेष पर ब्याज	43,92,11,955	65,89,79,358
राजस्व लेखा पर ब्याज	1,01,66,557	5,70,52,871
जमा लेखा पर ब्याज	19,68,413	31,65,436
आयकर वापसी पर ब्याज	5,61,37,833	0
कार्गो संभलाई के लिए संयंत्र के अलावा किराया	0	0
विविध आय	25,00,68,616	22,58,87,229
आरएफआईडी आय	0	2,89,69,786
विविध प्राप्तियां	2,11,12,260	9,26,71,860
सिक्का समायोजन	28,630	0
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ	7,31,000	12,42,669
सेंटेज प्रभार	0	65,408
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	3,62,124	6,79,726
भंडार समायोजन (अधिकता)	17,88,004	95,75,069
पिछले वर्ष से संबंधित मदें	0	-17,53,211
कुल	78,15,75,392	1,07,65,36,201

लाभ एवं हानि

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनुसूची – आर – 11		
वित्त और विविध व्यय :		
बैंक प्रभार	2,07,180	3,31,056
चुकाए जानेवाले ब्याज :		
i. सरकार से ऋण	16,24,353	74,77,447
ii. अन्य एजन्सियों से ऋण	0	0
iii. अन्यो से ब्याज	1,94,58,613	0
सिक्का समायोजना	0	18,403
बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	42,887	0
संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
निवेश में प्रत्याशित कमी के लिए प्रावधान	0	0
संपत्ति कर	58,69,63,268	55,78,10,339
आयकर अपील आदि पर व्यय	22,000	1,000
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर हानि	0	6,32,442
भंडार समायोजन	0	0
बाहरी उत्पादन मूल्य भिन्नता से हानि	22,75,993	69,86,860
उत्तर जीविता लाभ	5,78,351	0
i. सेवानिवृत्ति उपदान	20,99,99,990	23,83,00,000
ii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक अदायगी	6,97,50,025	12,68,36,655
कोविड अनुग्रहपूर्वक भुगतान	4,00,00,000	0
iii. क) पेंशन भुगतान	2,71,97,92,845	2,81,81,57,453
ख) नए पेंशन (टाईर-1) योजना के लिए अंशदान	6,05,24,898	6,15,27,299
ग) पेंशन निधि के लिए अंशदान	58,00,00,000	61,01,00,000
घ) पेंशन का कमुटेशन	25,34,20,548	24,25,70,111
ई) पेंशन भुगतान में गिरावट के लिए प्रावधान	0	50,00,00,000
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि के लिए अंशदान	5,48,79,602	3,73,53,704
भाविष्य निधि में न्यासियों का अंशदान	1,97,25,000	0
पिछले अवधि से संबंधित व्यय	2,46,83,306	22,64,20,155
कुल	4,64,39,48,860	5,43,45,22,924

ह/-
वि.स.एवं मु.ले.अ.

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क. कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान :		
1. वेतन, मजदूरी और बोनस आदि		
i. वेतन और मजदूरी	3,41,80,54,915	3,19,08,20,906
ii. संशोधित वेतन बकाया प्रावधान	0	0
iii. बोनस	4,39,88,393	4,78,15,469
	3,46,20,43,308	3,23,86,36,375
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
i. भविष्य निधि में न्यासियों के अंशदान	0	0
ii. पेंशन निधि के अंशदान	58,00,00,000	61,01,00,000
iii. कम्प्यूटेशन सहित पेंशन भुगतान	3,00,16,50,545	3,08,65,99,852
iv. पूल खलासियों को ईपीएफ वीपीटी और सीएचडी का अंशदान	3,26,66,087	3,56,55,011
	3,61,43,16,632	3,73,23,54,863
3. उपदान	21,00,00,000	23,83,00,000
4. वर्कमेन और स्टॉक कल्याण व्यय		
i. छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	94,154	10,66,907
ii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	13,99,23,885	15,16,80,286
iii. आंतरिक रोगियों को पौष्टिकता	4,67,620	3,71,457
iv. भंडार (चिकित्सा)	5,76,60,621	6,22,52,679
v. भंडार (सर्जिकल)	1,04,71,951	62,00,637
vi. कामगार काम्पनशेषन अधिनियम के अंतर्गत भुगतान	12,34,280	0
vii. पासेस एवं पीटीओ	0	0
viii. छात्रवृत्ति, परुस्कार एवं अवार्ड	28,500	84,500
ix. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक भुगतान	6,97,50,025	12,68,36,655
x. कोविड अनुग्रहपूर्वक भुगतान	4,00,00,000	0
	31,96,31,036	34,84,93,121
कुल (क)	7,60,59,90,976	7,55,77,84,359
ख. प्रचालन व्यय :		
1. भंडार और अतिरिक्त और अतिरिक्त पुर्जों आदि का उपभोग	2,89,51,606	6,63,17,744
2. संयंत्र और मशीनरी (यांत्रिक) की खपत	22,33,79,263	26,33,15,247
3. भवन और सिविल संरचनाओं की मरम्मत	18,69,83,329	22,87,49,845
4. अन्य मरम्मत		
i. विशेष मरम्मत	0	0
ii. प्राक्कलन द्वारा पूरित विशेष मरम्मत	1,86,45,576	2,43,21,298
iii. आफीस मशीनों का किराया और सेवा प्रभार	3,44,85,081	3,97,46,462
	5,31,30,657	6,40,67,760

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
5. उपयुक्त भंडार		
i. सामान्य भंडार	3,50,88,300	5,04,73,585
	3,50,88,300	5,04,73,585
6. विद्युत, प्यूल, लूब्रिकेट्स आदि		
i. भंडार (प्रचालन)	34,77,44,224	33,67,61,206
ii. विद्युत शक्ति	11,33,90,559	9,59,13,227
	46,11,34,783	43,26,74,433
7. नए लघु कार्य	0	0
8. अन्य परिचालन व्यय		
i. रेल्वे को क्षति और कमियों के लिए चुकाए जानेवाले भुगतान	94,76,684	64,59,684
ii. वैगन किराये प्रभार	0	0
iii. प्लोटिंग क्राफ्ट्स के लिए किराया प्रभार	2,55,18,313	2,51,17,021
iv. वाहन के लिए किराया प्रभार	8,23,11,499	5,55,87,777
v. प्राईवेट टग्स के लिए किराया प्रभार	17,53,85,089	10,98,59,043
vi. अग्नि प्रभार	21,83,94,970	21,74,78,074
vii. फुटकर व्यय परिचालन	1,03,97,590	70,81,919
viii. फ्राईट तथा संभलाई प्रभार	0	0
ix. सुरक्षा	0	0
x. सुरक्षा प्रभार	48,37,91,454	36,20,58,623
xi. प्राईवेट सुरक्षा	2,20,28,997	2,28,57,821
xii. निकर्षण प्रभार	7,37,41,354	15,43,15,099
xiii. मूल्यह्रास	52,17,51,977	63,45,19,301
	1,62,27,97,927	1,59,53,34,363
कुल (ख)	2,61,14,65,865	2,70,09,32,977
ग. सामान्य व्यय :		
i. किराया, दर एवं कर	2,85,944	425,070
ii. लेखापरीक्षा शुल्क	54,99,000	78,39,950
iii. जल प्रभार	3,93,68,448	4,87,15,731
iv. संचार व्यय	3,33,372	2,83,530
v. अन्य व्यय		2,03,279
vi. बीमा	6,84,51,371	4,50,07,748
vii. यात्रा व्यय	24,12,659	97,12,952
viii. फर्निचर एवं कार्यालय उपस्कर	1,09,478	1,28,906
ix. विविध व्यय	4,27,50,704	23,19,28,953
x. स्टीवडोरिंग व्यय	0	0

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
xi. पोर्ट स्वास्थ्य	0	0
xii. विज्ञापन एवं प्रचार	32,62,126	62,75,144
xiii. न्यासियों के शुल्क	36,000	72,000
xiv. मनोरंजन	18,01,313	68,61,252
xv. पुस्तक एवं पीरियाडिकल्स	4,60,655	1,96,883
xvi. विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	4,61,01,133	3,93,26,432
xvii. मुद्रण एवं प्रकाशन	2,14,960	11,21,936
xviii. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति	1,31,800	11,76,542
xix. लाईसेंस शुल्क	4,50,185	31,53,595
xx. टेलिफोन्स	61,72,283	60,84,657
xxi. अनुसंधान एवं विकास	3,15,07,734	3,80,26,136
xxii. चंदा	11,750	4,750
xxiii. अंशदान	87,49,660	1,77,54,555
कुल (ग)	25,81,10,575	46,43,00,001
घ. वित्तीय व्यय :		
1. ब्याज व्यय		
i. बैंक प्रभार	2,07,180	3,31,056
ii. सरकारी ऋणों पर ब्याज	16,24,353	74,77,447
iii. अन्य ऋणों पर ब्याज	1,94,58,613	0
	2,12,90,146	78,08,503
2. संपत्ति कर	58,69,63,268	55,78,10,339
कुल (घ)	60,82,53,414	56,56,18,842

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची
कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

(रूपयों में)

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
च. सामान्यतरु पोर्ट द्वारा नहीं किये जानेवाले वस्तु के ट्रान्सेक्शन्स या अपवादी परिस्थितियों में या वापस नहीं होनेवाली स्थिति में किये गये कार्यकलापों से संबंधित लाभ या हानि –		
अगर सामग्री रकम में हैं तो :		
i. बड़े खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	42,887	0
ii. च्त्तवअपेपवद वित्त क्तवच पद च्मदेपवद चंलउमदज	0	50,00,00,000
iii. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
iv. पूँजी परिसंपत्तियों की निपटाने पर हानि	0	6,32,442
v. भंडार समायोजन	0	0
vi. निवेश में प्रत्याशित कमी के लिए प्रावधान	0	0
vii. पिछली अवधि के व्यय	2,46,83,306	22,64,20,155
viii. कर अपील पर व्यय	22,000	1,000
ix. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंशदान निधि	5,48,79,602	3,73,53,704
x. घाटा बाहरी उत्पाद्य मूल्यों से भिन्नता	22,75,993	69,86,860
xi. विविध व्यय	1,97,25,000	0
सिक्का समायोजन	0	18,403
कुल (च)	10,16,28,788	77,14,12,564
कुल व्यय	11,18,54,49,617	12,06,00,48,743

2020-21 के वार्षिक लेखा

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणी

(क) लेखा नीतियां :

1. लेखाकरण के मर्केटाईल सिस्टम के अंतर्गत पुस्तकों का अनुरक्षण की गई। मूलभूत लेखा धारण को संबद्ध और सामंजस्य जाने की पालन किया जाता है। वास्तविक के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया गया यदि कोई शुद्ध (सेवा कर)/जीएसटी एवं छूट/प्रोत्साहन आदि प्रस्तुत किया गया।

2. नियत पूँजी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास

सभी परिसंपत्तियाँ मूल लागत पर पूँजीकृत किए गए हैं।

सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम की अनुमानित अवधि एवं ₹.1,00,000/- लागत से कम की परिसंपत्तियाँ राजस्व परिसंपत्ति समझी गई और राजस्व व्यय में प्रभारित की गयी।

मूल्यहास को सीधी लाईन प्रणाली के तहत उपलब्ध कराया गया।

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 माह से कम के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और छह माह की अवधि से कम प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए आधा मूल्यहास उपलब्ध कराया गया और 6 माह से अधिक के लिए प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए पूरा मूल्यहास का प्रावधान किया गया।

निपटाने के कारण वित्तीय सारणी में नियत परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं किए गए हैं। महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 96 प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया।

निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को प्रगति पर रहे पूँजी कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पूँजी परिसंपत्तियों के निपटाने पर लाभ एवं हानि को वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया। बिक्री पर मिलने वाले पूँजी लाभ मूल रूप से अधिग्रहीत लागत से ज्यादा होने के कारण, उसे पूँजी आरक्षण लेखा में स्थानांतरित किया जा रहा है।

3. निवेश

एक वर्ष से अधिकतम के निवेशों को दीर्घकालीन निवेशों के रूप में तथा एक वर्ष या उससे कम अवधि के निवेशों को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया।

निवेशों को लागत मूल्य की लेखा पुस्तकों में ले जाया गया। मंडल के यह रॉय को ध्यान में रखते हुए हास स्थाई प्रकार का है, दीर्घ कालीन निवेश के मार्केट मूल्य में हास के लिए प्रावधान किया गया।

4. माल सूची का मूल्यांकन

स्टॉक मदों की सूची का मूल्यांकन औसत भार प्रणाली पर किया गया ।

5. आय

कार्य समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना, की गई सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवा की समाप्ति की अवस्था के अनुपात में स्वीकार किया गया। पोर्ट में प्रविष्ट माल पर, लदाई न करने पर भी, अधिसूचित दरमानों के अनुसार वार्फेज प्रभार लगाये जाएंगे। तदनुसार वार्फेज आय का गणन किया गया । घाट/सुविधाओं के पट्टे पर वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और जमीनों की पट्टे वसूल किया गया प्रीमियम को अग्रिम आय के रूप में गणन किया गया और बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान चुकाया गया ।

6. उधार लागत

अधिग्रहण, परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सीधा आरेप्य उधार लागत को परिसंपत्ति प्रारंभ करने की तिथि तक पूँजीकृत किया गया। पूँजीकरण के बाद ऋण पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभार्य किया गया।

7. विदेशी मुद्रा कार्य संपादन

पुर्जे तथा प्रधान उपस्कर का आयात के लिए विदेशी मुद्रा कार्य संपादन सौदा करने की तिथि को रहे एक्सचेंज दर पर रिकार्ड की गई। अब तक पोर्ट को पुर्जे तथा प्रधान उपस्कर का आयात से संबंधित न कोई विदेशी मुद्रा का ऋण है न ही कोई आगे के ठेके में हस्ताक्षर किया। जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संबंधित लेखा मानकों को दृष्टि में रखते हुए नीति का निर्माण किया जाएगा।

पोर्ट को जलयान से संबंधित प्रभार जैसे राजस्व है, जो यू एस डालरों में डिनामिनेट किया जाता है लेकिन भारतीय रूपयों में वसूल किया जाता है । यह वसूली जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की तिथि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके सब्सिडरीज़ या अन्य कोई सार्वजनिक बैंक द्वारा अधिसूचित क्रय दर का उपयोग करते हुए किया जाता है ।

8. आय पर कर

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, चालू कर का प्रावधान बनाया गया। ए एस 22 के अनुसार मुख्यतरु मूल्हास एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत आनेवाले मदों के कारण टाईमिंग में भिन्नता के परिणाम रूप में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व हुआ जो लाभ और हानि लेखा में प्रभार्य करते हुए लेखा में पाया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करते हुए आगे ले जाया गया, क्योंकि पिछले मामलों के रिकार्ड एवं भविष्य के लाभ का प्राक्कलन के आधार पर उन्हें वसूल किया जा सकता है।

9. पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन के लिए एलआईसी/एसबीआई द्वारा वार्षिक आधार पर बीमांकित मूल्यांकन किया जाता है ।

ठ. लेखा पर टिप्पणी

1. पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार देखें दिनांक 19.11.2018 को पत्र संख्या एस एस -28036/18/2016-डीसीआई-भाग-टए अनुमोदन, वीपीटी मंडल ने भारत सरकार से डीसीआई लिमिटेड के 54,51,710 समान शेयरों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में रु. 278.04 करोड़ की लागत पर अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 21.02.2019 को देखें संकल्प सं. 196/2018-19 और उसी को दीर्घकालिक निवेश के तहत शेयर एवं ऋणपत्र के तहत अनुसूची 2.2 में दिखाया गया है।
2. पूँजी राजस्व में वर्ष 1933 से 1964 तक प्रारंभ पूँजी के रूप में भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित निधियाँ भी शामिल है ।
3. वर्ष के दौरान पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ के खाते में रु.7,31,000/- रकम को पूँजी राजस्व को स्थानांतरित किया गया है ।
4. इस संबंध में रखा गया नीति और पद्धति के अनुसार स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की जा रही है। स्थिर संपत्ति का भौतिक सत्यापन के लिए समिति गठित किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित विभागों को पुष्टि के लिए पत्र जारी किये गये थे। विभागों से पुष्टि प्राप्त होने पर, परिसंपत्तियां जो पुस्तकों में शून्य / एक पैसे के मूल्य के साथ मौजूद है और समिति द्वारा पहचान किए उन्हें परिसंपत्ति मास्टर से हटा दिया गया था। संबंधित अन्य मदों के लिए जो वर्तमान पुस्तकों में मूल्य, और एक बार सत्यापित करने और विवरण प्रस्तुत करने के लिए विभागों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। वहीं प्राप्त होने पर, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
5. 2020-21 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन भी किया गया है और नगण्य मूल्य विनमेय भिन्नता नोटिस किया गया है ।
6. मंत्रालय की पत्र सं.15/76, दिनांक 22-09-1976 के अनुसार नकद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए 3: आरक्षण, पूँजी नियोजन पर विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिकताओं के लिए 3: आरक्षण हर वर्ष किया जाना है ।

विवरण	2020-21
पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण	64,70,39,414
विकास और ऋणों एवं आकस्मिकताओं के लिए आरक्षण	64,70,39,414

7. क्रूस बर्थ निर्माण के लिए रू. 19.25 करोड़ रकम का अनुदान प्राप्त किया गया ।

कोई अनुदान प्राप्त होता है तो उस रकम को अलग खाता पुस्तकों में रखने और जब कभी विशिष्ट कार्य पूरा होने के लिए जिसके लिए अनुदान प्राप्त होता है तो देयता को रद्द कर देता है विधिवत परिसंपत्ति को परिसंपत्ति खाता में स्थानांतरित किया जाता है ।

8. विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट को आईटी अधिनियम 1961 के 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकार के रूप में निर्धारण वर्ष 2002-03 तक छूट दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2001-02)। वित्तीय अधिनियम 2002 में संशोधन के साथ निर्धारण वर्ष 2003-04 (वित्तीय वर्ष 2002-03) के बाद पोर्टों को स्थानीय प्राधिकार के रूप में मिलने वाला छूट हटाया गया। अतः वीपीटी, निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से आयकर चुकाना होगा खैर, आयकर निर्धारण से छूट का दावा करने हेतु वि पो र्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत दानशील संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया, देखें आवेदन दि. 20-03-2008ए परिणाम रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित रकम को छोड़कर, निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक चुकाए गए कर वापस किया गया। आयकर विभाग से देय वापस निधि का शेष निर्धारण वर्षवार निम्नानुसार है :

निर्धारण वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वापसी बकाया (रू. करोड़ों में)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

उक्त रकम वीपीटी को वापस देने के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर विभाग ने रू. 16.85 करोड़ ब्याज सहित रू. 43.99 (01-04-2013) करोड़ वापस किया और ब्याज, 2012-13 के पी एंड एल लेखा में जमा किया। आयकर विभाग द्वारा, निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित निर्धारण के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारण पिटीशन फाईल किया गया और शेष भुगतान रू. 5.61 करोड़ सहित यह पिटीशन, पालन के अंतर्गत है।

वित्तीय अधिनियम 2008 की धारा 2 (15) में संशोधन करने के कारण निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद पोर्ट्स, आयकर अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए अनर्हक है और 1 अप्रैल 2008 से वि पो ट्र को अयकर चुकाने वाले संगठनों में शामिल किया। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की गई कर भुगतान/दावा किए गए टीडीएस/वीपीटी लेखों में किए गए प्रावधान/कर दायित्व/फाईल किए गए रिटर्नों के अनुसार दावा किया गया शुद्ध वापसी और निर्धारण की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति	
1	वित्तीय वर्ष	2008-09	<p>ए. मार्च 2010 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.23.27 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (दिसंबर 2011) कर दायित्व रु.70.32 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु.176.21 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देनेवाले शुद्ध रकम रु.6.68 करोड़ है।</p> <p>सी. इस से असंतुष्ट होकर, यह आदेश पर कमीशनर, आई टी (सीआईटी) एपीलस विशाखपट्टणम के पास विरोध (30 जनवरी 2012) किया गया और अपील पर अंतिम निर्णय लंबित है। सी आई टी (एपीलस) ने फरवरी 2017 को सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रगति पर है।</p> <p>डी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रु.0.72 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।</p>
	निर्धारण वर्ष	2009-10	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	77.72	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	67.24	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	54.45	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	23.27	
2	वित्तीय वर्ष	2009-10	<p>ए. मार्च 2012 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.51.32 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (नवंबर, 2012) कर दायित्व रु.58.90 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु.190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम रु; 37.02 करोड़ है। वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आय को पुर्न</p>
	निर्धारण वर्ष	2010-11	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	76.41	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	37.50	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	25.09	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	51.32	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया।</p> <p>सी. पुनः निर्धारण करते समय (27-05-14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रू.130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रू.40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए वीपीटी को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया।</p> <p>डी. तत्पश्चात आयकर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल-1, विशाखपट्टणम ने आय को रू.135.25 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रू.41.79 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीटी को रू.22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया।</p> <p>ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त मांग (रू.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू.7.54 करोड़ वापस (6 अप्रैल 2016) किया।</p> <p>एफ. वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल अय में रू.0.89 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-04-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया।</p> <p>जी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रू.9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।</p> <p>एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी, नं.0266 / 12-13 / एडिशनल.सीआईटी / आर-1 / वीएसपी / 2013-14, दि.28-03-2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (27-01-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।</p>

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		<p>आई. सीआईटी-1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत रु.5.09 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21-1-2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (27-01-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।</p> <p>जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2010-11 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रु.4.71 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015-16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है।</p> <p>के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14-05-2015 से 31-03-2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रु.0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017-18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है।</p>												
3	<table border="1"> <tr> <td>वित्तीय वर्ष</td> <td>2010-11</td> </tr> <tr> <td>निर्धारण वर्ष</td> <td>2011-12</td> </tr> <tr> <td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td> <td>85.66</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td> <td>65.14</td> </tr> <tr> <td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td> <td>20.52</td> </tr> </table>	वित्तीय वर्ष	2010-11	निर्धारण वर्ष	2011-12	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	85.66	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	70.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	65.14	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	20.52	<p>ए. सितंबर 2011 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.20.52 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (जनवरी, 2013) कर दायित्व रु.101.95 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रु.329.93 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम रु.42.40 करोड़ है। वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (25-2-13) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया।</p> <p>सी. तत्पश्चात, कर लगाने योग्य आय (28-02-14) को रु.338.44 करोड़ के रूप में, कर दायित्व को</p>
वित्तीय वर्ष	2010-11													
निर्धारण वर्ष	2011-12													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	85.66													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	70.00													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	65.14													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	20.52													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>रु.104.58 करोड़ में संशोधित किया गया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर शेष कर रु.5.09 करोड़ चुकाने के लिए वीपीटी को आदेश दिया। इससे असंतुष्ट होकर वीपीटी ने दि.05-03-14 को सीआईटी (ए) के पास अपील फाईल किया।</p> <p>डी. एसीआईटी, सकर्मल1, विशाखपट्टणम ने धारा 154 के अंतर्गत – देखें आदेश दि.14-5-2015 रु.86.48 करोड़ दायित्व सहित कर लगाने योग्य आय को रु.279.86 करोड़ के रूप में निर्धारित किया तथा चुकाया गया कर /टीडीएस/रिफंड्स/ब्याज पर विचार करने पर निर्धारण किया कि वीपीटी को पुर्नभुगतान करने वाले शुद्ध रकम रु.21.14 करोड़ है अंत में पुर्नभुगतान करने वाले रकम को रु.21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया।</p> <p>ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त मांग (रु. 13.99 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रु.7.43 करोड़ (6 अप्रैल 2016) वापस किया।</p> <p>एफ. वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में से रु.1.35 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के अंतर्गत पिटीशन फाईल किया।</p> <p>जी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (20-01-2017) की धारा 154 के अंतर्गत रु.1.06 करोड़ टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।</p> <p>एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी नं.0362/12-13/एसीआईटी/सी-1/वीएसपी/2013-14, दिनांक 28-03-2014 द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (22-12-2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		<p>आई. सीआईटी-1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत रु.8.51 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21-11-2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।</p> <p>जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2011-12 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रु.0.29 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015-16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है।</p> <p>के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14-05-2015 से 31-03-2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रु.0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017-18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है।</p>												
4	<table border="1"> <tr> <td>वित्तीय वर्ष</td> <td>2011-12</td> </tr> <tr> <td>निर्धारण वर्ष</td> <td>2012-13</td> </tr> <tr> <td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td> <td>81.37</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td> <td>53.00</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td> <td>14.12</td> </tr> <tr> <td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td> <td>67.25</td> </tr> </table>	वित्तीय वर्ष	2011-12	निर्धारण वर्ष	2012-13	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	14.12	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25	<p>ए. सितंबर 2012 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.67.25 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, कर निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में दिनांक 23-03-2015 कर दायित्व रु.41.50 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय. 134.30 करोड़ के रूप में गणन किया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी द्वारा चुकाए जानेवाले शेष शुद्ध कर रु.0.75 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया।</p> <p>सी. इससे असंतुष्ट होकर वीपीटी ने (दि.15-4-15) सीआईटी (एपील्स) के पास अपील फाईल किया।</p> <p>डी. एसीआईटी, सर्किल -1, विशाखपट्टणम ने उपदान के लिए किया गया रु. 30.17 करोड़ प्रावधान को इनकार</p>
वित्तीय वर्ष	2011-12													
निर्धारण वर्ष	2012-13													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	14.12													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>करते हुए, कर लगाने योग्य आय को रु.164.47 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रु.50.82 करोड़ सहित ब्याज मांग रु.3.92 करोड़ के रूप में संशोधित (25-6-15) किया। चुकाया गया अग्रिम कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी को आदेश दिया कि शेष कर रु. 13.99 करोड़ चुका। वीपीटी ने (दि. 16-7-15) सीआईटीह (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।</p> <p>ई. इस बीच में, आयकर विभाग ने रु.13.99 करोड़ शेष कर मांग को समायोजित (6-4-2016) किया और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए करने वाले रु.21.42 करोड़ पुर्नभुगतान आदेश में से रु.7.43 करोड़, वीपीटी को रिलीज किया ।</p> <p>एफ. उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एनील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (30-03-2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है।</p> <p>जी. उपर्युक्त (घ) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (13-03-2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है।</p> <p>एच. उपर्युक्त (च) (छ) के लिए आईटीएटी सुनवाई प्रगति पर है।</p> <p>आई. सीआईटी (ए)-1 के दिनांक 30-03-2017 आदेश को लागू करते हुए देखें दिनांक 09-05-2017 के एसीआईटी पत्र के माध्यम से कुल आय संशोधित रूप से 160.34 करोड़ से बढ़कर रु.164.47 करोड़ हो गये और 32.62 करोड़ की वापसी योग्य है जिसमें आयकर अधिनियम 244ए के अंतर्गत रु.8.41 करोड़ की ब्याज शामिल थे।</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>जे. वीपीटी को दिनांक 05-01-2018 को वापसी योग्य रु.32.62 करोड़ और 244ए के अंतर्गत रु. 8.41 करोड़ ब्याज के रूप में जारी किया गया था, वर्ष 2017-18 ब्याज आय के रूप में पहचाना गया था।</p> <p>के. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, वापसी योग्य रु.21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31-03-2016 को आनुषंगिक आदेश जारी किया गया था। कुल वापसी योग्य रकम में से, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए जो कि बकाया मांग के लिए रु.13.99 करोड़ समायोजित किया गया था और वीपीटी को बाकी रकम जारी किया। बाद में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 09-05-2017 को आनुषंगिक आदेश जारी करते हुए, वीपीटी को रु.13.99 करोड़ का जमा नहीं दिया गया।</p> <p>एल. उप सीआईटी(1)-1 विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम 154 के अंतर्गत दिनांक 101-03-2019 को धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज सहित वापसी योग्य रकम रु.13.99 करोड़ (कुल रकम रु.15.53) और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग के विरुद्ध वापसी योग्य रु.15.53 करोड़ रकम समायोजित (कुल मांग रु.46.92 करोड़) किया गया।</p> <p>धारा 244ए के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए रु. 1.54 करोड़ ब्याज को वर्ष 2018-19 का आय के रूप में मान्यता दी गई थी।</p> <p>एम. एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने ई-कार्यवाही डीआईएन और पत्र सं.आईटीबीए/सीओएम/एफ/17/2021-/1030949(1), दि.24.2.2021 को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत दि. 8.2.2021 और धारा 244 के तहत (संशोधित आदेश, दि.15.12.2020), वापसी योग्य रु.11.58 करोड़ और ब्याज सहित रु. 3.99 करोड़ और (फरवरी, 2021), रु.0.076 करोड़ का संशोधित आदेश जारी किया। धारा 244ए के तहत वर्ष 2020-21 के लिए रु.4.07 करोड़ ब्याज को आय के रूप में मान्यता दी गई थी।</p>

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
5	वित्तीय वर्ष	2012-13	<p>ए. सितंबर 2013 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.53.65 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु.69.48 करोड़ वापस देने का दावा किया। मार्च 2015 में रु.82.69 करोड़ वापस देने के लिए संशोधित रिटर्न फाईल किया गया।</p> <p>बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, एसीआईटी, सर्किल-1(1), विशाखपट्टणम ने उनका प्राथमिक निर्धारण आदेश दिनांक 31-03-2016 में रु.356.64 करोड़ को इनकार करने के बाद निर्धारण किया कि वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार, रु.53.65 करोड़ हानि को कम करने के बाद कर लगाने व्यापार योग्य कर आय रु.302.98 करोड़ रहा और कुल कर दायित्व को रु.97.57 करोड़ के रूप में निर्धारण किया।</p> <p>सी. कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010-11 के लिए रु.22.48 करोड़ का पुर्नभुगतान आदेश पर कार्रवाई करते समय (6 अप्रैल 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दावा किए गए टीडीएस के लिए रु.82.64 करोड़ समायोजित करने के बाद, शेष कर रु.14.93 करोड़ वसूल किया गया और शेष रु.7.54 करोड़ वापस किया गया।</p> <p>डी. इससे असंतुष्ट होकर, वीपीटी ने (18 अप्रैल, 2016) सीआईटी (एनहज), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील सीआईटी (एपील) के साथ लंबित है और सीआईटी (एपीलस) के साथ सुनवाई प्रारंभ नहीं किया गया।</p> <p>ई. वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रु.3.53 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया और रु.0.05 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।</p> <p>एफ. ऊपर (डी) के खिलाफ सीआईटी (अपील) ने डीआईएन सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1/2020-21/1029229691 (1) के तहत अधिनियम की</p>
	निर्धारण वर्ष	2013-14	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	82.69	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	15.00	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुर्नभुगतान	82.69	

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		धारा 250 के तहत अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम के लिए नोटिस जारी किया, वर्ष 2013-14 के लिए अपील सं.1/10059/216-17 और वीपीटी ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.6.1.2021 के माध्यम से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं।												
6	<table border="1"> <tr> <td>वित्तीय वर्ष</td> <td>2013-14</td> </tr> <tr> <td>निर्धारण वर्ष</td> <td>2014-15</td> </tr> <tr> <td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td> <td>56.33</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td> <td>7.29</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td> <td>56.33</td> </tr> </table>	वित्तीय वर्ष	2013-14	निर्धारण वर्ष	2014-15	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.33	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	7.29	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.33	<p>ए. मार्च 2016 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.35.40 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु.56.33 करोड़ कर वापस देने का दावा किया।</p> <p>बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31-12-2016 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में, रु.169.49 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार रु.35.40 करोड़ हानि घटाते हुए व्यापारी योग्य कर आय को रु.134.09 करोड़ के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रु.41.43 करोड़ रहा।</p> <p>सी. प्राप्त किया गया अग्रिम कर एवं दावा किया गया टीडीएस रु.56.08 करोड़ समायोजन करने के बाद, 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रु.14.64 करोड़ को स्वीकार किया और आयकर विभाग द्वारा वापस किये जाने वाले कुल रकम रु.17.06 करोड़ रहा।</p> <p>डी. आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत आयकर विभाग ने (04-02-2017) रु.17.06 करोड़ रकम वापस किया, जिसमें रु.2.42 करोड़ ब्याज भी शामिल है और वही वर्ष 2016-17 के आय ब्याज के रूप में पहचाना गया।</p> <p>ई. उपर्युक्त (ख) में रु.169.49 करोड़ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (08-02-2017) एक ई-पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ।</p>
वित्तीय वर्ष	2013-14													
निर्धारण वर्ष	2014-15													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.33													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	7.29													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.33													

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (08-02-2017) वीपीटी ने रु.0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु पिटीशन फाईल किया।</p> <p>जी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02-03-2017) रु.0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु तथा धारा 244ए के तहत ब्याज देने हेतु वीपीटी ने पिटीशन फाईल किया, रिफंड प्राप्त करने की तिथि फरवरी, 2017 तक ब्याज चुकाने के बावजूद केवल रु. 2.42 करोड़ के लिए दिनांक 31-12-2016 तक स्वीकार किया।</p> <p>एच. दिनांक 31-12-2016 को धारा 143 (3) को पास किया गया आदेश पर 10: की दर पर सरचार्ज लगाने के लिए आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम धारा 154/155 टी के तहत नोटिस जारी किया।</p> <p>आई. उपर्युक्त (झ) में रु.6.73 करोड़ की माँग को निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए वापस जारी करते हुए समायोजित किया गया और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए शेष रकम रु.1.90 करोड़ को वापस कर दी गई थी।</p> <p>जे. ऊपर (ई) के खिलाफ अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (अपील) ने डीआईएन दिनांक 29.12.2020 के सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1 /2021/-/2021/102329391 (1) के तहत अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम के लिए नोटिस जारी किया, वर्ष 2014-15 के लिए अपील सं.1/10477/2016-17 और वीपीटी ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.11-1-2021 के माध्यम से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं।</p>
7		<p>मार्च 2017 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.48.11 करोड़ कर वापस देने का दावा किया।</p> <p>संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31-12-2017 को</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में रु. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिटर्न के अनुसार रु.123.34 करोड़ व्यापार कर योग्य आय के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रु.41.92 करोड़ रहा। रु.5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद अग्रिम कर प्राप्त किया गया और 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रु.42.70 करोड़ टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी तथा आयकर विभाग द्वारा कुल वापसी योग्य रु.6.73 करोड़ रहा।</p> <p>ए. वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण आदेश जारी करते समय गैर लेवी के/10: सरचार्ज के लिए आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए रु.4.82 मांग को समायोजित करते हुए (19-01-2018) रु.6.73 करोड़ की रकम वापस किया गया और आयकर अधिनियम 244ए के तहत जिसमें शुद्ध वापसी रु.1.90 ब्याज सहित वापसी योग्य रु.0.95 करोड़ लगाया गया था।</p> <p>बी. उपर्युक्त (ख) में रु.37.70 करोड़ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (02-02-2018) को ई-पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ।</p> <p>सी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02-02-2018) को वीपीटी ने रु.0.41 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट अनुदाने करने हेतु पिटीशन फाईल किया।</p> <p>डी. उपरोक्त (बी) पर वर्ष 2015-16 (9.1.2020) के लिए सीआईटी (अपील) से पहले निर्धारण वर्ष 2015-16 आईटीए सं.10251/2017-18 में फाईल की गई के लिए लिखित प्रविष्टियाँ प्रस्तुत किया। दिनांक 22-09-2020 के सीआईटी (अपील) आईटीए सं. 10251/2017-18/सीआईटी(ए)1/वीएसपी/2019-20 के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दिया है।</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		<p>ई. निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी, एसीआईटी, सर्कल-1(1) ने दि. 27-11-2020 को एक अनुवर्ती आदेश जारी की और रु. 3.88 करोड़ की रिलीफ का अनुदान दी तथा रु.1.54 करोड़ ब्याज सहित रु.2.32 करोड़ की वापसी जारी की ।</p> <p>एफ. धारा 244ए के तहत वर्ष 2015-16 के लिए रु.1.54 करोड़ ब्याज को 2020-21 के आय के रूप में मान्यता दी गई थी ।</p> <p>जी. उक्त (ई) पर निर्धारित वर्ष 2015-16 के लिए वापसी रु.2.32 करोड़ को निर्धारित वर्ष 2017-18 के लिए मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया था ।</p> <p>एच. वीपीटी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए सीआईटी (अपील) के अपीलीय आदेश और निर्णय (21.9.2020) के आधार पर आईटीएटी के साथ अपील फाईल किया गया ।</p>												
8	<table border="1"> <tr> <td>वित्तीय वर्ष</td> <td>2015-16</td> </tr> <tr> <td>निर्धारण वर्ष</td> <td>2016-17</td> </tr> <tr> <td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td> <td>47.01</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td> <td>47.01</td> </tr> </table>	वित्तीय वर्ष	2015-16	निर्धारण वर्ष	2016-17	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	47.01	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	47.01	<p>ए. मार्च 2018 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.11.41 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रु.47.01 करोड़ कर वापस देने का दावा किया ।</p> <p>बी. संवीक्षा और ऑन लाईन की माध्यम से कई बार पूछने के बाद, दिनांक 25-12-2018 को धारा 143 (3) के तहत एसीआईटी, सर्कल-1(1), विशाखपट्टणम ने अपने प्रारंभिक मूल्यांकन में रु.351.95 करोड़ का अनुमति न देने का आदेश और व्यापार योग्य आय रु.237.78 करोड़ के रूप में और रु.93.93 करोड़ की आयकर देयता पर पहुँचा ।</p> <p>सी. अग्रिम कर प्राप्त के संदर्भ में रु.5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद और रु.42.01 का टीडीएस जमा का अनुमोदित करने तथा अधिनियम धारा 156 के तहत दिनांक 25-12-2018 के आयकर विभाग को वीपीटी द्वारा कुल मांग रु. 46.92 करोड़ चुकाना है ।</p>
वित्तीय वर्ष	2015-16													
निर्धारण वर्ष	2016-17													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	47.01													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	47.01													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>डी. वीपीटी ने (बी) में अपमानित रू.351.95 करोड़ के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष पिटीशन फाईल करने को कहा गया।</p> <p>ई. वीपीटी ने दिनांक 23-01-2019 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई-फाईल का अपील किया। सीआईटी (अपील) के पास अपील लंबित है। सीआईटी अपील पर सुनवाई प्ररंभ नहीं हुई है।</p> <p>एफ. लेखापरीक्षा अधिकारी ने ई-कार्यवाही को दंडात्मक कार्यवाही जारी की और आयकर अधिनियम 156 के तहत रू.46.92 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 25-12-2018 को डिमांड नोटिस जारी किया।</p> <p>जी. आयकर अधिनियम 156 के तहत डिमांड नोटिस विरुद्ध रू.46.92 करोड़ की विवादित मांग के वसूली पर रोक लगाने के लिए अपील करने के लिए, वीपीटी को रू.46.92 करोड़ निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विवादित मांग 20: होने के लिए रू.9.38 करोड़ भुगतान करना होगा।</p> <p>एच. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, वापसी योग्य रू.21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31-03-2016 को अनुवर्ती आदेश पारित किया। कुल वापसी योग्य रकम में से निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग के लिए रू.13.99 करोड़ का समायोजन किया गया और वीपीटी को बाकी रकम जारी किया गया। बाद में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 09-05-2017 को अनुवर्ती आदेश पारित किया गया, वीपीटी को रू.13.99 करोड़ जमा नहीं दिया गया।</p> <p>आई. वीपीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए मांग वसूली की रोक के लिए दिनांक 24-01-2019 को डीसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम के समक्ष स्टे पिटीशन दी, और लेखापरीक्षा अधिकारी से अधिनियम की धारा 244ए के तहत रू.13.99 करोड़ जमा सहित ब्याज के लिए निर्धारण वर्ष 2012-13 वापसी के विरुद्ध 20% मांग को समायोजित करने का अनुरोध किया।</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>जे. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत को उप सीआईटी, सर्कल -1(1), विशाखपट्टणम ने रु.13.99 करोड़ वापसी योग्य रकम धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ रु. 51.54 करोड़ (कुल रकम 15.53 करोड़) को और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए बकाया मांग के विरुद्ध रु.15.52 करोड़ वापसी योग्य रकम (कुल मांग रु.46.92 करोड़) को समायोजित करने को दिनांक 01-03-2019 के आदेश देखें।</p> <p>के. आयकर -1 के मुख्य आयुक्त, विशाखपट्टणम ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विवादित मांग के वसूली का रोक के लिए आवेदन पर आदेश, रु.10.00 करोड़ की भुगतान दिनांक 22-03-2019 के पहले या करने के लिए दिनांक 18-03-2019 को सूचित आदेश और लेखापरीक्षा अधिकारी को निदेश दिया कि कुछ नियम एवं शर्तों पर सीआईटी (ए) द्वारा 1 अपील निपटाने तक विवादित मांग का शेष वसूली को अस्थगित रखने या दिनांक 31-12-2019 जो पहले हो।</p> <p>एल. वीपीटी ने रु.46.92 करोड़ का विवादित मांग के विरुद्ध दिनांक 20-03-2019 को रु.10.00 करोड़ रकम भुगतान किया गया। मांग के विरुद्ध रु.25.53 करोड़ (उक्त (एच) में रु.15.53 और रु.10.00 करोड़) और शेष रु.21.39 करोड़ भुगतान किया जाना है।</p> <p>एम. वीपीटी द्वार विवादित डिमांग के रु.21.39 करोड़ की शेष देय भुगतान के लिए दिनांक 31-01-2020 को वीपीटी ने आयकर विभाग द्वारा ई- पद्धति में नोटिस जारी किया गया था और वीपीटी ने दिनांक 06-02-2020 को पिटिशन फाईल किया कि विभाग द्वारा निपटाने के लिए वीपीटी के कारण अभी तक लंबित वापसी के लिए मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए विवादित डिमांड शेष से अधिक है।</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति												
		<p>एन. उपरोक्त (डी) पर वर्ष 2016-17 (9.1.2020) के लिए सीआईटी (अपील) से पहले निर्धारण वर्ष 2016-17 आईटीए सं.10269/2018-19 में फाईल की गई के लिए लिखित प्रविष्टियाँ प्रस्तुत किया। दिनांक 22-09-2020 के सीआईटी (अपील) आईटीए सं. 10251/2017-18/सीआईटी(ए) 1/वीएसपी/2019-20 के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दिया है।</p> <p>ओ. वीपीटी ने एसीआईटी (19.11.2020) के साथ एक पिटिशन फाईल की जिसमें सीआईटी (ए)-1 द्वारा निर्धारित वर्ष 2016-17 के लिए पारित आदेश को जारी करने के लिए अनुवर्ती आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।</p> <p>पी. वीपीटी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए सीआईटी (अपील) के अपीलीय आदेश और निर्णय (21.9.2020) के आधार पर आईटीएटी के साथ अपील फाईल किया गया।</p>												
9	<table border="1"> <tr> <td>वित्तीय वर्ष</td> <td>2016-17</td> </tr> <tr> <td>निर्धारण वर्ष</td> <td>2017-18</td> </tr> <tr> <td>चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस</td> <td>56.13</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान</td> <td>13.09</td> </tr> <tr> <td>वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान</td> <td>56.13</td> </tr> </table>	वित्तीय वर्ष	2016-17	निर्धारण वर्ष	2017-18	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.13	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	13.09	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.13	<p>ए. मार्च 2019 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रु.56.13 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत जारी ई-कार्यवाही नोटिस देखें दिनांक 14-08-2018, 27-09-2018 और 27-09-2019 और धारा 142 (1) के तहत नोटिस दिनांक 19-09-2019 और धारा 143(3) के तहत नोटिस दिनांक 29-11-2019, 18-12-2019, 21-12-2019 जो जारी शोकांस नोटिस।</p> <p>सी. ऑनलाईन मोड़ की माध्यम से जाँच और पूछने के बाद धारा 143(3) दिनांक 28-12-2019 के तहत एसीआईटी, सर्कल-1 (1), विशाखपट्टणम के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश में, रु.169.83 करोड़ की अनुमति नहीं दिया और रु.169.83 करोड़ को व्यापार कर योग्य आय पर तथा कुल मिलाकर रु.59.65 करोड़ की देयता आयकर पर पहुंचे।</p>
वित्तीय वर्ष	2016-17													
निर्धारण वर्ष	2017-18													
चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.13													
वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	13.09													
वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	0.00													
आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.13													

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>डी. टीडीएस जमा को समायोजित करने के बाद रु.56.12 करोड़ का अनुमति दिया और वीपीटी द्वारा कुल रु.3.52 करोड़ देय का मांग दिया ।</p> <p>ई. आयकर अधिनियम धारा 156 के तहत वीपीटी को रु. 3.52 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 28-12-2019 को डिमांड नोटिस जारी किया गया था और वीपीटी ने दिनांक 07-01-2020 के अपने पिटिशन के विरुद्ध मूल्यांकन अधिकारी को अनुरोध किया कि सीआईटी (अपील) के समक्ष वीपीटी अपील फाईल कर रहा है तथा कहा कि वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम धारा 154 के तहत वीपीटी द्वारा रु.3.52 करोड़ की विवादित मांग 20% होने के रूप में रु.0.70 करोड़ रकम वीपीटी द्वारा वापसी प्राप्त करने के विरुद्ध वीपीटी ने पिटिशन फाईल किया गया था।</p> <p>एफ. रु.3.52 करोड़ की अनुमोदित नहीं देने पर पहुंचा (डी) में वीपीटी का कहना है कि सीआईटी(अपील) के समक्ष पिटिशन फाईल किया।</p> <p>जी. वीपीटी ने दिनांक 10-01-2020 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई-फाईल अपील किया था। सीआईटी(अपील) के साथ अपील लंबित है। सीआईटी (अपील) पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है ।</p> <p>एच. वीपीटी द्वारा रु.3.52 करोड़ की भुगतान के लिए डिमांड आयकर विभाग द्वारा ई-पद्धति में वीपीटी ने दिनांक 31-01-2020 को नोटिस जारी किया गया और वीपीटी ने रु.3.52 करोड़ की विवादित डिमांड की नियमित मूल्यांकन कर 20% रकम रु.0.70 करोड़ चुकाया गया था।</p> <p>आई. उक्त (एफ) के अनुसार, अधिनियम की धारा 250 के तहत वर्ष 2017-18 के लिए सीआईटी (अपील) ने डीआईएन सं.आईटीबीए/एनएफएसी/एफ/एपीएल-1/2020-21/102973 4733(1) दि.13.1.2021 के अपील संख्या सीटी (ए), विशाखापत्तनम सं. 1/10413/2019-20 के लिए नोटिस जारी किया</p>

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		<p>और वीपीटी ने आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के लिए पत्र दि.19-1-2021 के माध्यम से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं। सीआईटी (अपील) प्रगति पर है।</p> <p>जे. एसीआईटी, सर्कल 1(1) विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस (12.3.2021) को जारी किया जिसमें कहा गया कि निर्धारित वर्ष 2017-18 के लिए दि. 28.12.2019 को पारित धारा 143 (3) आदेश में संशोधन की आवश्यकता है।</p> <p>के. वीपीटी ने दि.16.3.2021 के उत्तर की माध्यम से सीआईटी (अपील) और आईटीएटी के पहले फाईल किये गये अपीलों को निपटाने तक अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रस्तावित संशोधन को स्थगित करने का अनुरोध किया।</p> <p>एल. निर्धारित वर्ष 2015-16 के लिए रु.2.32 करोड़ की वापसी को निर्धारित वर्ष 2017-18 की मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया था। उक्त (आई) और (जे) पर, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के दि. 28.12.2019 के आदेश गलत पारित कर दी गई और निर्धारित वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 154 पठित 143 (3) के तहत रु.51,97,27,909/- घाटा सामने लाते हुए एक आदेश पारित किया गया। कुल आय रु.2,21,80,53,397/- विचार करते हुए और रु.26,73,90,440/- की देय मांग पर पहुँची। वीपीटी कर सलाहकारों को उनकी सलाह/अपील फाईल करने के लिए मांग नोटिस भेजा गया था। धारा 154 पठित 143 (3) के तहत नोटिस पर सीआईटी (अपील) के साथ अपील दि. 21.10.2021 को फाईल की गई थी।</p>

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
10	वित्तीय वर्ष	2017-18	<p>ए. वीपीटी ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रू.29.17 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. प्राथमिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और धारा 143 (2) के तहत ई-कार्यवाही दिनांक 22-09-2019 और 29-09-2019 के तहत नोटिस जारी किया गया है।</p> <p>सी. धारा 142 (1) के तहत नोटिस के अंतर्गत ई-प्रोसीडिंग्स प्रगति पर है।</p> <p>डी. वीपीटी के घाटा / मूल्यहास को समायोजित करने से पहले आय की वापसी के अनुसार सकल कुल आय रू. 172,28,55,086/- है।</p> <p>ई. धारा 143(3) के तहत ई.कार्यवाही आदेश दि.24.9.2021 की अस्वीकृति रू. 175,20,10,588/- के साथ सकल कुल आय के रू. 347,48,65,674/- को निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरा किया गया था। आयकर अधिनियम के धारा 801ए के तहत दावे की कटौती के बाद रू. 27,81,92,328/- और रू. 319,66,73,350/- की कुल आय पर पहुँचे।</p> <p>एफ. उक्त (ई) में अस्वीकृत करते हुए और वीपीटी द्वारा रू. 175,20,10,588/- की देय मांग है। वीपीटी ने सीआईटी (अपील) के साथ अपील करना चाहती है और दि. 21.10.2021 को सीआईटी के साथ अपील फाईल किया गया।</p>
	निर्धारण वर्ष	2018-19	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	56.46	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	57.77	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	27.29	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	26.17	
11	वित्तीय वर्ष	2018-19	<p>ए. वीपीटी ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रू.41.85 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।</p> <p>बी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ।</p>
	निर्धारण वर्ष	2019-20	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	65.35	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	23.49	
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	41.85	

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
12	वित्तीय वर्ष	2019-20
	निर्धारण वर्ष	2020-21
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	88.96
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	36.26
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिटर्न के अनुसार कर दायित्व	74.00
	आयकर रिटर्न के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	14.95
13	वित्तीय वर्ष 2020-21 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22) के लिए, रु.27.81 करोड़ की अग्रिम कर चुकाया गया और फार्म 26ए के अनुसार रु.69.61 करोड़ को टीडीएस में जमा किया गया। आयकर संबंधित प्रावधान शून्य है। समय सीमा के अनुसार वापसी कर को फाईल किया जाएगा।	ए. वीपीटी ने मार्च 2020 में संशोधित रिटर्न फाईल करते रु.41.85 करोड़ कर वापस करने का दावा किया। बी. प्राथमिक मूल्यांकन अभी तक शुरू नहीं हुआ।

9. निम्न मदों में आकस्मिक दायित्व शामिल है : (रूपये करोड़ों में)

क) पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ दावा के लिए अदालतों में लंबित कानूनी मुकदमों	61.84
बी) एनआईटीआई आयोजन के मार्गदर्शन के अनुसार आकस्मिक देयता खाते पर 75: रकम का भुगतान न करने के कारण मेसर्स एवीआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड पीपीपी प्रचालक द्वारा उत्पदन न होने के कारण आवश्यक कागजात जैसे बीसी और एसक्रो खाता खोला ।	16.23
ग) वर्ष 86-87 से 98-99 तक विवादास्पद संपत्ति कर दावों	27.98
कुल :	<u>106.05</u>

* उपरोक्त के अतिरिक्त, मेसर्स एसईडब्ल्यू - वैजाग कोल टर्मिनल ने रियायत करारनामे समाप्त करने के विरुद्ध रु.1685.74 करोड़ के लिए दावा फाईल किया और वीपीटी ने भी मेसर्स एसईडब्ल्यू-वैजाग कोल टर्मिनल प्रा. लि, के विरुद्ध ईक्यू-1 पूरा नहीं करने के कारण रु.2951.24 करोड़ राजस्व का घाटा का काउंटर फाईल किया।

10. पेंशन निधि, उपदान निधि और भविष्य निधि के लिए अलग ट्रस्ट खाते का अनुरक्षण किए गए हैं। ग्रूप छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं है लेकिन जीएलईएस के लिए अलग से निधि रखा जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान छुट्टी नकदीकरण का भुगतान राजस्व के नामे डाला गया है।

11. बीमांकिक दायित्व, सृजित/अभी सृजन करने वाले प्रावधान और निधियों की स्थिति नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.3.2021 को पेंशन, उपदान एवं	जीएलईएस निधियों की स्थिति		
विवरण	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	जीएलईएस
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार व्यवस्था करने वाले निधियाँ	5405.82	255.10	109.33
दिनांक 31.3.2020 के अंत तक उपलब्ध निधि	3810.73	174.16	124.45
वर्ष 2020-21 के दौरान की गई निवेश	534.36	21.00	0
वर्ष 2020-21 के दौरान अर्जित ब्याज	281.78	12.64	8.72
* वर्ष 2020-21 के दौरान निधियों से की गई भुगतान	शून्य	27.03	शून्य
दिनांक 31.3.2021 के अंत तक की गई कुल निवेश	4626.87	180.77	133.17
निधियों में (शार्टफॉल) / अधिकतम	(778.95)	(74.33)	23.84

12. पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में कमी को भविष्य में उपलब्ध अधिशेष निधियों के साथ ठीक किया जाएगा।
13. मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र बिलिमोरिया रिपोर्ट) के अनुसार परीक्षण शेष सेप में उत्पादन होता है और वित्तीय ब्यौरा एक्सेल में तैयार किए जाते हैं, लाभ एवं हानी खाता और तुलनपत्र दोनों अनुसूची के साथ एसएपी में उपलब्ध नहीं है।
14. वर्ष 2020-21 के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीएलआर का प्रावधान रु.4.70 करोड़ का है।
15. दावे को आय के रूप में गणन किया गया, लेकिन बाद में प्रप्ति के लिए अर्नहक समझा गया, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दिखाया गया।
16. सभी विविध देनदारों को अच्छा समझा जाता है और बुरे ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।
17. वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि आय या व्यय एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या चूक के परिणाम स्वरूप वित्त, और विविध आय या व्यय के अंतर्गत शामिल है।
18. मंत्रालय के पत्र सं.25021/1/2011-पीडी-II, दिनांक 02-12-2011, के अनुसार वर्ष के दौरान रु.3.74 करोड़ कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि सृजित किया गया है।
19. बिन काड्स के साथ स्टोर्स प्राइज्ड लेडजर्स की मात्रा शेष का समाधान किया गया और आवश्यकतानुसार अपेक्षित समायोजन किए गए।
20. जहाँ चालू वर्ष का वर्गीकरण को पृष्टि करने के लिए आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पीगूप किया गया है।

21. डीबीएफओटी के आधार पर ड्राई बल्क कार्गो संभलाई के लिए आंतरिक बंदरगाह की उत्तरी आर्म में वेस्ट्रन क्वे - 6 (डब्ल्यूक्यू-6) घाट को मेसर्स वेस्ट क्वे मल्टि पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था जो रियायत करारनामे (जुलाई 2010) के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। घाट का प्रचालन के लिए तीन वर्ष दस महीने के बाद, ग्राही ने मार्च 2019 में प्रचालन को निलंबित कर दिया। रियायत करारनामे को समाप्त कर दिया गया और उसी को पोर्ट ने प्रचालन कर रहा है। रियायत करारनामे के अनुसार मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और न्यायाधीश प्राधिकारण से आदेश प्राप्त होने के बाद आदेशों के अनुसार सभी आवश्यक समायोजन आदेश पारित किए जाएंगे।

22. बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्पष्टीकरण।

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20	टिप्पणी
1.	निपटाने के लिए रहे सक्रिय उपयोग से अलग किये गये नियत पूँजी परिसंपत्तियों को अलग से दिखाना होगा।	शून्य	शून्य	जब इसे अनुपयुक्त समझा जाता तब परिसंपत्तियों को निपटान किया जाता था और संबंधित वर्षों में बिक्री पद्धति राजस्व में बुक/चार्ज की जाती है।
2.	31-03-2021 को समाप्त होने के लिए पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गई।	शून्य	शून्य	वीपीटी की नीति के अनुसार वास्तविक के आधार पर राजस्व को पहचानते हुए, मार्च 2019-20 के अंत तक प्रकलित पूँजीगत व्यय 31-03-2021 के अंत तक प्रावधान किया गया।
3.	विवादों के कारण आकस्मिक दायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी।	शून्य	शून्य	वीपीटी में, सभी विवाद/अदालत के मामलों के लिए आकस्मिक देयता का प्रावधान की जाती है। इसलिए, इसे शून्य के रूप में माना जा सकता है।
4.	वर्ष के दौरान आयात की सीआईएफ मूल्य; भंडारण एवं पुर्जे, पूँजी वस्तु / पुर्जे (रूपये करोड़ों में)	0.75	0.90	
5.	विदेशी मुद्रा में व्यय।	0.75	0.90	
6.	विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य	शून्य	
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित एवं देशीय भंडार एवं उपयोग किये गये पुर्जे का % सहित मूल्य	शून्य	शून्य	
8.	अनुसंधान, योजना और विकास कार्यकलापों पर खर्चा किया गया व्यय (रूपये करोड़ों में)	3.15	3.80	

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20	टिप्पणी																								
9.	वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लिये गये लागत	शून्य	शून्य																									
10.	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का लाभ / हानि	शून्य	शून्य																									
11.	वीपीटी की कुल क्षमता। (मिलियन टन)	126.89	126.89																									
12.	वर्तमान वर्ष में संभलाई गयी जलयानों की वास्तविक संख्या	2040	2099																									
13.	वर्ष के दौरान संभलाई गयी वास्तविक टन्नेज	69.84	72.72																									
14.	वास्तव में मंजूर किया गया श्रेणीवार कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीएचडी</th> <th>वीपीटी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>श्रेणी I 2</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी II 1</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी III 33</td> <td>1503</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी IV 537</td> <td>676</td> </tr> <tr> <td>कुल 573</td> <td>2388</td> </tr> </tbody> </table>	सीएचडी	वीपीटी	श्रेणी I 2	120	श्रेणी II 1	89	श्रेणी III 33	1503	श्रेणी IV 537	676	कुल 573	2388	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीएचडी</th> <th>वीपीटी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>श्रेणी I 4</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी II 1</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी III 44</td> <td>1583</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी IV 581</td> <td>728</td> </tr> <tr> <td>कुल 630</td> <td>2525</td> </tr> </tbody> </table>	सीएचडी	वीपीटी	श्रेणी I 4	126	श्रेणी II 1	88	श्रेणी III 44	1583	श्रेणी IV 581	728	कुल 630	2525	
सीएचडी	वीपीटी																											
श्रेणी I 2	120																											
श्रेणी II 1	89																											
श्रेणी III 33	1503																											
श्रेणी IV 537	676																											
कुल 573	2388																											
सीएचडी	वीपीटी																											
श्रेणी I 4	126																											
श्रेणी II 1	88																											
श्रेणी III 44	1583																											
श्रेणी IV 581	728																											
कुल 630	2525																											

ह/—
एस.शांति
वि.स. एवं मु.ले.अ.
विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

ह/—
के. राम मोहन राव, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

1. महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पठित यंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत हमने विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के 31 मार्च 2021 तक के संलग्न तुलन पत्र की तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार कराने की जिम्मेदारी पोर्ट प्रबंधन की है। लेखापरीक्षा उपलब्धि के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय/विचार अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाकरण के तरीके पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, उक्त लेखाकरण पद्धति के साथ समानरूपता लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानक आदि से संबंधित टिप्पणियाँ ही शामिल हैं। विधि के अनुपालन नियम, विनियम (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता सह-निष्पादन पक्ष से संबंधित वित्तीय संचालन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि हैं तो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट की गई हैं।
 3. हमने अपने लेखापरीक्षा सामान्यतरु भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त है या नहीं इसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण जांच के आधार पर रकम के समर्थन और वित्तीय विवरण के प्रकटन के साक्ष्य की जाँच आदि शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट प्राक्कलन, साथ ही वित्तीय विवरण एवं समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी विचार के लिए उचित आधार पर तैयार करता है।
 4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - i) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रयोजनार्थ सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विवरण के अनुसार आवश्यक है।
 - ii) इस रिपोर्ट द्वारा बनाया गया तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्म में तैयार किया गया है।
 - iii) हमारी राय में लेखा की उचित पुस्तके और अन्य तर्क संगत रिकार्ड वीपीटी, विशाखपट्टणम द्वारा अनुरक्षित रखे गये हैं जो इस प्रकार की पुस्तकों की जांच से पता चला है।
 - iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- ए. लेखा का संशोधन**
- इस कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कुछ प्रभाव देने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम ने अपने लेखों का संशोधन किया। परिणाम स्वरूप :
- ए) कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) रू. 1.98 करोड़ तक कमी हुई अर्थात् पीबीटी रू. 407.28 करोड़ से पीबीटी रू. 405.30 करोड़ हुई तथा

बी) कर के बाद (पीएटी) रू. 1.98 करोड़ तक कमी हुई अर्थात पीएटी रू. 240.62 करोड़ से रू. 238.64 करोड़ तक हुई।

ख. लेखों पर संशोधित टिप्पणी

तुलनपत्र :

चालू परिसंपत्तियां और प्रावधान

ए. चालू परिसंपत्तियां

1. भविष्य निधि, पेंशन और उपदान निधियाँ रू. 23.29 करोड़

1. एलआईसी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2021 को भविष्य पेंशन और उपदान के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक रू. 5660.92 करोड़ रखा गया है। हालांकि, वीपीटी ने 31 मार्च 2021 तक उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए रू. 4807.64 करोड़ की राशि का विभाजन किया और पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश किया गया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश के लिए रू. 853.28 करोड़ की कमी हुई है।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों में न्यूनक्ति हुई और लाभ में रू. 853.28 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

निधियों का विनियोग :

ए. स्थिर पूँजी परिसंपत्तियाँ (शुद्ध ब्लाक) (अनुलग्नक दृ 2.1) रू. 2702.50 करोड़

2. दो परिसंपत्तियों के जीवन मानदंड को अपनाने के कारण रू. 4.87 करोड़ से अत्युक्ति हुई, जो 40 वर्षों के बजाय 0 और 75 वर्षों के बीच कुल रू. 12.59 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के व्यय रू. 4.72 करोड़ और मूल्यहास में रू. 0.15 करोड़ की न्यूनक्ति हुई। परिणाम, कर के बाद लाभ में रू. 4.87 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

निवेश रू. 519.47 करोड़

शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स (एन.टी.) रू. 29.40 करोड़

3. वर्ष 2020-21 के लिए निवेश के तहत रीकास्ट वार्षिक लेखों से यह देखा गया कि विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल), एनएचएआई के एसपीवी, द्वारा जारी किये गये शेयर प्रमाणपत्रों में रू. 18.60 करोड़ के लिए, रू.18.00 करोड़ और रू.0.60 करोड़ को एनएचएआई ने की इक्विटी के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, निवेश अनुसूची में सुधार की आवश्यकता है।

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

ए. चालू परिसंपत्तियां

विविध देनदार रू. 364.16 करोड़

4. मार्च 2014 तक रू.7.31 करोड़ की संदिग्ध ऋणा का प्रावधान था। बाद में, वर्ष के बाद वर्ष आश्वसन के बावजूद, वीपीटी ने आगे संदिग्ध बकाय के लिए प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च, 2021 तक विविध देनदारों की रू. 371.47 करोड़ कुल से, पांच वर्ष के लिए रू.127.81 करोड़ (34.41 प्रतिशत) के लिए बकाया रकम था।

वर्ष 2019-20 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी को शामिल किया गया

था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वीपीटी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किया गया था।

5. वर्ष 2020–21 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स वैजाग सी पोर्ट प्रा.लि. (रु. 8.45 करोड़) और मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि. (रु. 13.09 करोड़) स प्राप्त संपत्ति किराया वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए कुल रकम रु. 21.54 करोड़ राशि को खातों की किताबों में शामिल नहीं किया गया था। रीकास्ट आकड़ों के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा प्वाइंट अऊट किए जाने पर, वीपीटी ने प्राप्त संपत्ति किराये रु. 21.54 करोड़ के बजाय रु. 5.44 करोड़ के लिए मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार द्वारा रु. 16.10 करोड़ और संपत्ति किराया के साथ साथ कर के बाद लाभ द्वारा रु.16.10 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

ग. प्रबंधन पत्र

ये गलतियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, उन्हें 2021–22 में सुधार / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र की माध्यम से अध्यक्ष, वीपीटी के ध्यान में लाया गया।

- i) पूर्व अनुच्छेदों में व्यक्त हमारे विचारों के आधार पर हम यह अभिलेख करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा देखे गये तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।
- ii) हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियाँ, लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखा पर टिप्पणी के साथ पठित तथा उपरोक्त विशेष मामले तथा यह प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक—i में दिये गये अन्य मामलों की शर्त पर, भारत में प्रायः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को पृष्टता में सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- क. वीपीटी, विशाखपट्टणम के 31 मार्च 2020 तक के कार्यकलापों की स्थिति की तुलनपत्र के संबंध में और
- ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ/हानि के लाभ लेखा के संबंध में।
- iii) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट का पिछले तीन वर्षों का लाभ के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाली लेखा की समीक्षा अनुलग्नक – ii में दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(एम.एस.सुब्रहमण्यम)
वाणिज्य लेखापरीक्षा का महा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक 3 दिसंबर, 2020

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाहरी एजेंसी अर्थात् मेसर्स आरएसएम और असोसियेट्स को दिनांक 01-10-2019 दो वर्ष तक दिया गया है। चालू वर्ष 2020-21 के दौरान, संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीटी के वि.स. एवं मु.ले.अ. को प्रस्तुत किया। आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश ने वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में प्रारूप तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, अनुसूची और लेखा के भाग फार्म नोट्स आदि में विभिन्न कमियों का सत्यापन सहित विभिन्न जांचों की व्यवस्था सी एंड एजी लेखापरीक्षा से 64 लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले, जिसमें से वीपीटी प्रबंधन ने 44 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित किया गया था। आगे आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की उन्नति और प्रभावशीलता की आवश्यकता को सूचित करता है।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

वीपीटी के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं। निर्धारित क्षेत्र जैसे विविध देनदार को मजबूत / वृद्धि करने की आवश्यकता के लिए, अनुपालन करने के लिए वीपीटी की माध्यम से अलग से प्रबंधन पत्र में शामिल किए जाने के साथ अध्यक्ष, वीपीटी के ध्यान में लाया गया है।

कुछ आवश्यक क्षेत्रों इस प्रकार हैं :

- ❖ 2012-13 में सेप एन्विरोनमेंट स्थानांतरण करते समय, विविध खाता बहियों के शेष को पहले समायोजित करने के लिए कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए थे, जिन्हें शेष राशि में कटौती खाते के रूप में था। आठ वर्ष के अंतराल के बावजूद, 2012-13 से पहले की शेष कटौती, बिना कोई भी समायोजना के साथ 2020-21 की बहियों में प्रदर्शित किया जा रहा है।
- ❖ आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि पहले 1974-75 से सरकारी पार्टियों से, 1990-91 से ट्रेड बकाया था और यह उनकी समय पर वसूली के लिए ठोस प्रयासों के अभाव को दर्शाता है।
- ❖ सभी पोर्ट उपभोक्ताओं को अपने रिवाल्विंग जमा लेखों में न्यूनतम रु. 25,000 शेष रखना होगा। वीपीटी के साथ कुल 2428 जमा खातों में से, 1043 जमा खातादारों ने उक्त न्यूनतम शेष रकम से आवश्यक रकम का अनुरक्षण नहीं करते हैं। आगे 553 जमा खातादारों से रु. 196.79 नकारात्मक शेष राशि है। यह पोर्ट सेवाओं को प्रदान करने से पहले ग्राहका के खातों में जमा राशियों की अपर्याप्तता को सूचित करता है।
- ❖ आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध एवाई 2009-10 से एवाई 2019-20 का अपील आयकर के विविध अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है। प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

(नोट: आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, वीपीटी ने आयकर अधिकारियों का अग्रिम कर श्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान करता है (जिसके लिए वीपीटी को ग्राहक द्वारा जारी

फार्म 26 एएस टीडीएस प्रमाणपत्र के अनुसार क्रेडिट मिलता है)। रिफंड प्राप्त करने के लिए उपरोक्त अग्रिमों से आयकर अधिकारियों से, वीपीटी हर वर्ष लागू कर निर्धारण के साथ आयकर रिटर्न फाईल करता है। हालांकि, 2009–10 से 2020–21 तक आईटीआर में वीपीटी द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन न करने के कारण, रु. 817.60 करोड़ की राशि दिखाई दे रही थी। चालू परिसंपत्ति के रूप में और चालू दायिता के रूप में रु. 452.50 करोड़ और वीपीटी के वर्तमान अनुपात को बढ़ा रहा है)

विविध देनदारों के विश्लेषण से पता चलता है कि विविध एजेंसियों के पांच वर्ष से अधिक अवधि से व्यापार बकाया था। उनके वास्तविक वसूली के लिए प्रभावी प्रतिपादन के बिना संचित रु. 374.49 करोड़ में से विविध देनदार, सरकारी पार्टियों से शेष राशि रु. 89.22 करोड़ (23.82%), कार्गो संभलाई प्रभाग को शामिल करते हुए प्राईवेट पार्टियों को रु. 285.27 करोड़ (76.18%) है। वर्ष 2014 में बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए रु. 7.31 करोड़ का सृजन किया गया था और अबतक अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई/निपटाने के बिना प्रावधान बनाए रखते हैं। यह बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से लगे रहने और ठोस प्रयासों की अनुपस्थिति सूचित करता है।

2002–03 से किए गए संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान अभी भी पुस्तकों में मौजूद नहीं है। इस इंगित करता है कि इस प्रावधान को बढ़े खाते में डालने के लिए कोई उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

3. नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और प्रक्रिया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2013 मार्च 31 के अंत तक आयोजित किया गया। तदनुसार, मार्च, 2018 तक अगला भौतिक सत्यापन बाकी है, 2018–19 में आयोजित करना है उनके लिए गठित समिति द्वारा किया गया। संबंधित वीपीटी विभागों को रिपोर्ट भेज दी गई है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ने 788 परिसंपत्तियों को हटाने के लिए सिफारिश की गई जिसमें से 538 परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2020 को हटा दी गईं और बाकी अन्य परिसंपत्तियों का समाधान प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान वीपीटी ने कोई परिसंपत्ति को नहीं हटाया गया।

4. वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और पद्धति से संबंधित के अनुसार, वार्षिक आधार पर भंडारण और सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से आयोजन करना है। वर्ष 2020–21 के लिए वहीं भौतिक सत्यापन समाप्त किया गया था।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

वीपीटी ने नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधिक देयों का भुगतान किया।

(एम.एस.सुब्रहमण्यम)
महा निदेशक

अनुलग्नक – ii

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन / विचारों पर ध्यान न देते हुए लेखा की समीक्षा की गई है।

1. परिचय

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत किया गया।

2. वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2020-21 के वीपीटी की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रति वर्ष के अंत तक बड़े शीर्ष के तहत निम्नानुसार है :

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
1.ए.	दायिताएँ			
	(i) पूँजी आरक्षण	962.94	962.98	1017.08
	(ii) अन्य आरक्षण	1340.43	1615.08	1855.64
	(iii) उधार	0.00	0.00	0.00
	(iv) पूँजी ऋण	39.06	23.35	7.72
	(v) प्राप्त किये गये अनुदान	19.53	20.35	21.27
	(vi) चालू दायिताएँ एवं प्रावधान अन्य दायिताएँ (भविष्य निधि / पेंशन, उपदान निधि आदि)	2205.74	2376.12	2021.13
	(vii) अस्थागित कर दायित्व	0.00	0.00	12.10
	कुल	4567.70	4997.92	4934.94
1.ख.	परिसंपत्तियाँ			
	(i) नियत परिसंपत्तियाँ (ग्रास ब्लॉक)	2452.37	2689.37	2702.49
	(ii) घटाईये रू मूल्यहास	740.76	784.23	837.33
	(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1711.61	1905.14	1865.16
	(iv) प्रगति पर पूँजी कार्य	350.21	175.94	237.54
	(v) निवेश	513.51	508.98	519.47
	(vi) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1874.94	2253.30	2312.77
	(vii) विविध व्यय (डीआरई)	0.00	0.00	0.00
	(viii) अस्थागित कर परिसंपत्तियाँ	117.43	154.56	0.00
	कुल	4567.70	4997.92	4934.94

ग.	कार्यचालन पूँजी ²	-330.81	330.81	291.64
घ.	शुद्ध मूल्य ³	2303.36	2578.06	2872.72
च.	नियोजित पूँजी ⁴	1380.80	1782.33	2156.80
छ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁵	8.90	15.40	11.06
ज.	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	1731.01	1958.27	2394.34
झ.	नियोजित पूँजी पर पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	7.10	14.01	9.97

2 कार्यचालन पूँजी – चालू परिसंपत्तियां माईनेस चालू दायिताओं को दर्शाता है ।

3 शुद्ध मूल्य – पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण तथा संचित अधिशेष, घाटा-संचित कमी को दर्शाता है ।

4 पूँजी नियोजन – शुद्ध नियत परिसंपत्ति एवं कार्यचालन पूँजी को दर्शाता है ।

5 रेट ऑफ रिटर्न – पूँजी नियोजन के लिए शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत (विनियोजन से पहले) को दर्शाता है ।

3. कार्यचालन परिणाम का सारांश :

31 मार्च 2021 को समाप्त वीपीटी के कार्यचालन परिणाम पिछले दो वर्ष 31 मार्च 2018 और 2019 की तुलना के साथ नीचे दिये गये हैं :

(रूपया करोड़ों में)

	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
ii	राजस्व :			
क.	आय			
	परिचालन आय	1201.39	1404.18	1445.69
	गौर परिचालन आय	99.42	107.65	78.16
	कुल	1300.81	1511.83	1523.85
ख.	व्यय			
	परिचालन व्यय	591.01	662.55	654.15
	गौर परिचालन व्यय	508.89	543.45	464.40
	कुल	1099.90	1206.00	1118.55
ग.	विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष / कमी / कर से पूर्व लाभ	200.91	305.83	405.30
	घटाईए : कर के लिए प्रावधान			
	पिछले वर्ष	0.00	0.00	0.00
	चालू वर्ष	36.27	68.55	0.00

	फ्रिंज लाभ कर	0.00	0.00	0.00
	आस्थगित कर	40.13	-37.12	166.66
	कर के बाद लाभ	124.51	274.40	238.64
घ.	घटाईरू स्थिर परिसंपत्तियों को निपाटाने पर लाभ और पूंजी आरक्षण में स्थानांतरण	1.60	0.04	0.07
च.	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	122.91	274.36	238.57
छ.	घटाईरू मौनडेटरी विनियोजन / आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	120.50	148.36	129.47
ज.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	2.41	126.00	109.16
झ.	निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत			
	i परिचालन आय	10.36	19.54	16.51
	ii शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	7.27	14.40	12.79
	iii शुद्ध मूल्य	5.41	10.64	8.31

4. अनुपात विश्लेषण (परिसमापन और शोध क्षमता) :

- (क) चालू दायिताओं के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 114.43 से वृद्धि होकर वर्ष 2020-21 में 94.83 हुआ।
- (ख) चालू दायिताओं के लिए तत्काल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 57.01 से वृद्धि होकर वर्ष 2020-21 में 66.42 हुआ।
- (ग) चालू दायिताओं के लिए तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 41.55 से वृद्धि होकर वर्ष 2020-21 में 48.40 हुआ।
- (घ) परिचालन आय के लिए फुटकर देनदार का प्रतिशत वर्ष 2018-19 को 26.15 घटकर वर्ष 2020-21 को 25.19 हुई।
- (च) ऋण / पूंजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण का अनुपात वर्ष 2019-20 को 0.91 से घटकर वर्ष 2020-21 को 0.27 हुई।
- (छ) कुल परिसंपत्तियों के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 45.08 से वृद्धि होकर वर्ष 2020-21 में 45.08 हुई।
- (ज) परिचालन आय के लिए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 47.18 से घटकर वर्ष 2020-21 में 45.25 हुई।

(एम.एस.सुब्रहमण्यम)

महा निदेशक

वीपीटी की लेखों पर की गई कार्रवाई पर सीएजी की टिप्पणी

चालू दायिताएं रु अन्य दायिताएँ रु. 402.86 करोड़

1. भविष्य निधि, पेंशन और उपदान निधियाँ : रु. 23.29 करोड़

एलआईसी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2021 को भविष्य पेंशन और उपदान के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक रु. 5660.92 करोड़ रखा गया है। हालांकि, वीपीटी ने 31 मार्च 2021 तक उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए रु. 4807.64 करोड़ की राशि का विभाजन किया और पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश किया गया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में निवेश के लिए रु. 853.28 करोड़ की कमी हुई है।

वीपीटी अपनी स्थिति के अनुसार समय पर पेंशन योगदान की कमी को पूरा करेगा। वीपीटी से पेंशन फंड ट्रांसफर करने के लिए विशिष्ट समय की सीमा नहीं होती है। हालांकि, वीपीटी मानदंडों के अनुसार वार्षिक वेतन व्यय पर 27: है।

निधियों का विनियोग :

ए. स्थिर पूँजी परिसर्तियाँ (शुद्ध ब्लाक) (अनुलग्नक दृ 2.1) रु रु. 2702.50 करोड़

दो परिसंपत्तियों के जीवन मानदंड को अपनाने के कारण रु. 4.87 करोड़ से अत्युक्ति हुई, जो 40 वर्षों के बजाय 0 और 75 वर्षों के बीच कुल रु. 12.59 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि के व्यय रु. 4.72 करोड़ और मूल्यह्रास में रु. 0.15 करोड़ की न्यूनक्ति हुई। परिणाम, कर के बाद लाभ में रु. 4.87 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

वीपीटी ने पिछले 34 वर्षों से गोदी की दीवारों, घाटो, और सूखी गोदी में समूहीकृत किया है, जिसके ले जीवन मापदंड 75 वर्ष है, जिनकी सीजीए द्वारा लेखा – परीक्षा की गई है, जिसके खिलाफ कोई टिप्पणी उठाई नहीं गई थी। इसीलिए इस मोड पर केवल लावा गार्डन में भूमि आधारित कार्यों और सामान्य कार्यों के रूप में एसएपी में नामांकण के आधार पर संपत्ति को फिर से समूहित करना और सीजीए द्वारा बताए गए जीवन मापदंडों को कम करना संभव नहीं हो सकता है और यह आयकर के साथ मुद्दे पैदा कर सकता है। एस ए पी में डेटा 2012 के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।

निवेश रु रु. 519.47 करोड़

शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स (एन.टी.) : रु. 29.40 करोड़

वर्ष 2020-21 के लिए निवेश के तहत रीकास्ट वार्षिक लेखों से यह देखा गया कि विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल), एनएचएआई के एसपीवी, द्वारा जारी किये गये शेयर

2021-22 के दौरान निवेश के तहत विशाखपट्टणम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड द्वारा निवेश के तहत जारी किए आवश्यक सुधार यानी शेयर प्रमाण पत्र बनाए जायेंगे।

प्रमाणपत्रों में ₹. 18.60 करोड़ के लिए, ₹.18.00 करोड़ और ₹.0.60 करोड़ को एनएचएआई ने की इक्विटी के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, निवेश अनुसूची में सुधार की आवश्यकता है।

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम
ए. चालू परिसंपत्तियां
विविध देनदार ₹. 364.16 करोड़

मार्च 2014 तक ₹. 7.31 करोड़ की संदिग्ध ऋणा का प्रावधान था। बाद में, वर्ष के बाद वर्ष आश्वसन के बावजूद, वीपीटी ने आगे संदिग्ध बकाय के लिए प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च, 2021 तक विविध देनदारों की ₹. 371.47 करोड़ कुल से, पांच वर्ष के लिए ₹.127.81 करोड़ (34.41 प्रतिशत) के लिए बकाया रकम था।

वर्ष 2019-20 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी को शामिल किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वीपीटी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किया गया था।

इस संबंध में मंत्रालय विविध देनदारों के लिए प्रावधान पर एक समान नीति बनाने की प्रक्रिया में है। इसकी प्राप्ति होने पर वी पी टी उसी का पालन करेला और आवश्यक प्रविष्टियों को संसाधित करेगा।

वर्ष 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स वैजाग सी पोर्ट प्रा.लि. (₹. 8.45 करोड़) और मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि. (₹. 13.09 करोड़) से प्राप्त संपत्ति किराय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कुल रकम ₹. 21.54 करोड़ राशि को खातों की किताबों में शामिल नहीं किया गया था। रीकास्ट आकड़ों के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा प्वाइंट अऊट किए जाने पर, वीपीटी ने प्राप्त संपत्ति किराये ₹. 21.54 करोड़ के बजाय ₹. 5.44 करोड़ के लिए मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार द्वारा ₹. 16.10 करोड़ और संपत्ति किराया के साथ साथ कर के बाद लाभ द्वारा ₹.16.10 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

इस संबंध में यह बताना है कि मामला आईपीए के पास है, परिणाम के बाद वीपीटी शेष ₹ 16.10 करोड़ रुपये के लिए प्रावधान प्रदान करेगा।

अनुलग्नक – i

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाहरी एजंसी अर्थात् मेसर्स आरएसएम और असोसियेट्स को दिनांक 01-10-2019 दो वर्ष तक दिया गया है। चालू वर्ष 2020-21 के दौरान, संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीटी के वि.स. एवं मु.ले.अ. को प्रस्तुत किया। आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश ने वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में प्रारूप तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, अनुसूची और लेखा के भाग फार्म नोट्स आदि में विभिन्न कमियों का सत्यापन सहित विभिन्न जांचों की व्यवस्था सी एंड एजी लेखापरीक्षा से 64 लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले, जिसमें से वीपीटी प्रबंधन ने 44 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित किया गया था। आगे आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की उन्नति और प्रभावशीलता की आवश्यकता को सूचित करता है।

लेखापरीक्षा क्षेत्रों के अधिक व्यापक कवरेज के साथ नोट करने के लिए अनुपालन के लिए एक नई निविदा शुरू की गई।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

2012-13 में सेप एन्चिरॉनमेंट स्थानांतरण करते समय, विविध खाता बहियों के शेष को पहले समायोजित करने के लिए कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए थे, जिन्हें शेष राशि में कटौती खाते के रूप में था। आठ वर्ष के अंतराल के बावजूद, 2012-13 से पहले की शेष कटौती, बिना कोई भी समायोजना के साथ 2020-21 की बहियों में प्रदर्शित किया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कूट बही खातों को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बही खातों को साफ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हालाँकि के रूप में इन संतुलन पुरानी अवधि के हैं जिसके लिए काफी समय लग रहा है

आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि पहले 1974-75 से सरकारी पार्टियों से, 1990-91 से ट्रेड बकाया था और यह उनकी समय पर वसूली के लिए ठोस प्रयासों के अभाव को दर्शाता है।

वीपीटी पार्टियों के साथ नियमित रूप से लगातार संपर्क कर रहा है और कई नोटिस जारी किए, कई मुकद्दमें दायर किए हैं और उनकी निरंतर समीक्षा की जाएगी।

सभी पोर्ट उपभोक्ताओं को अपने रिवाल्विंग जमा लेखों में न्यूनतम रु.25,000 शेष रखना होगा। वीपीटी के साथ कुल 2428 जमा खातों में से, 1043 जमा खातादारों ने उक्त न्यूनतम शेष रकम से आवश्यक रकम का अनुरक्षण नहीं करते हैं। आगे 553 जमा

वीपीटी अन्य बंदरगाहों के समान लेखांकन पैटर्न को बदलने की प्रक्रिया में है और पीओएस और एसएपी के अपडेशन के साथ इन मुद्दों को संबोधित किया जाएगा।

खातादारों से रु. 196.79 नकारात्मक शेष राशि है। यह पोर्ट सेवाओं को प्रदान करने से पहले ग्राहका के खातों में जमा राशियों की अपर्याप्तता को सूचित करता है।

आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध एवाई 2009-10 से एवाई 2019-20 का अपील आयकर के विविध अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है। प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित करने के कारण, आईटी विभाग में बेंच के लिए काफी वर्षों से लगने के बाद मामलों को नहीं लिया गया था। इस में तेजी लाने के लिए विपीटी ने प्रत्यक्ष कर मुद्दों और अपीलों को बंद करने के लिए विशेष रूप से सीए फर्मों को नियुक्त किया है।

विविध देनदारों के विश्लेषण से पता चलता है कि विविध एजेंसियों के पांच वर्ष से अधिक अवधि से व्यापार बकाया था। उनके वास्तविक वसूली के लिए प्रभावी प्रतिपादन के बिना संचित रु. 374.49 करोड़ में से विविध देनदार, सरकारी पार्टियों से शेष राशि रु. 89.22 करोड़ (23.82%), कार्गो संभलाई प्रभाग को शामिल करते हुए प्राईवेट पार्टियों को रु. 285.27 करोड़ (76.18%) है। वर्ष 2014 में बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए रु. 7.31 करोड़ का सृजन किया गया था और अबतक अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई / निपटाने के बिना प्रावधान बनाए रखते हैं। यह बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से लगे रहने और ठोस प्रयासों की अनुपस्थिति सूचित करता है।

पोर्ट सर्विस वाइज बिलिंग और जमा समायोजन रोक कर लेखा पद्धति को बदलने की प्रक्रिया में है जो कि नए अद्यतन पीओएस और एसएपी में सुनिश्चित किया जायेगा।

2002-03 से किए गए संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान अभी भी पुस्तकों में मौजूद नहीं है। इस इंगित करता है कि इस प्रावधान को बढ़े खाते में डालने के लिए कोई उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।

3. नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और प्रक्रिया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2013 मार्च 31 के अंत तक आयोजित किया गया। तदनुसार, मार्च, 2018 तक अगला भौतिक सत्यापन बाकी है, 2018-19 में आयोजित करना है उनके लिए गठित समिति द्वारा किया गया। संबंधित वीपीटी विभागों को रिपोर्ट भेज दी गई है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ने 788 परिसंपत्तियों को हटाने के लिए सिफारिश की गई जिसमें से

अनुपालन के लिए नोट किया गया। फिक्स्ड एसेट्स में शेष परिसंपत्ति समायोजन प्रगति पर है भौतिक सत्यापन का अगला चक्र 2024-25 को शुरू होगा।

538 परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2020 को हटा दी गईं और बाकी अन्य परिसंपत्तियों का समाधान प्रगति पर है। वर्ष 2020-21 के दौरान वीपीटी ने कोई परिसंपत्ति को नहीं हटाया गया।

4. वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और पद्धति से संबंधित के अनुसार, वार्षिक आधार पर भंडारण और सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से आयोजन करना है। वर्ष 2020-21 के लिए वहीं भौतिक सत्यापन समाप्त किया गया था।

तथ्यपूर्ण

सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

वीपीटी ने नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधिक देयों का भुगतान किया।

तथ्यपूर्ण

Certificate

This is to certify that

**Visakhapatnam Port Trust
Visakhapatnam**

*has been declared
WINNER*

*for Outstanding Achievements
in Safety Excellence.*



Rema

Mrs. REMA
General Secretary

12th February 2021
Mahabalipuram (India)



PARTNERS IN YOUR PRIDE & PRESTIGE



पीपीपी मोड पर बारही बंदरगाह पर मौजूदा कंटेनर टर्मिनल (वीसीटीपीएल-II) का विस्तार।
संचालन की अपेक्षित व्यावसायिक तिथि जनवरी 2022 (क्षमता वृद्धि 0.54 एमटीईयू)



विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

Visakhapatnam - 530 035, Andhra Pradesh, India.
Tel : 91-891-2876000 | Fax : 91-891-2565023
Web : www.vizagport.com | E-mail : e-reg.vpt@gov.in